

C O N T E N T S

**Fifteenth Series, Vol.VIII, Fourth Session, 2010/1932 (Saka)
No.20, Wednesday, April 21, 2010/Vaisakha 1, 1932(Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
 ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.361 to 364	4-37
 WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.365 to 380	38-77
Unstarred Question Nos. 4105 to 4334	78-391

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	392-400
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	401
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS 5th Report	401
STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY 5th to 8th Reports	402
STANDING COMMITTEE ON ENERGY 4th to 6th Reports	402
STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT (i)6th and 7th Reports	403
(ii) Action Taken Reports	403
(iii)Statement	403
ELECTION TO COMMITTEE National Institutes of Technology (NIT) Council	404
SUBMISSION BY MEMBER Re: Need to address the problems being faced by victims affected due to natural calamities in Bihar	407-408
MATTERS UNDER RULE 377	423-433
(i) Need to open a railway booking counter at Kandi in Murshidabad district of West Bengal Shri Adhir Chowdhury	423
(ii) Need to extend facilities of BPL household to the people whose thatched houses were gutted in a fire in Barmer Parliamentary Constituency, Rajasthan Shri Harish Choudhary	424
(iii) Need to provide title deeds to farmers to facilitate land transaction in Idukki district, Kerala Shri P.T. Thomas	425

- (iv) Need to constitute Vigilance and Monitoring Committees to oversee implementation of various agricultural schemes
Shri L. Rajagopal 426-427
- (v) Need to construct railway overbridges/under-bridges in Malkajgiri Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh
Shri Sarvey Satyanarayana 428
- (vi) Need to set up a railway station at Pulamon in Kerala
Shri Kodikkunnil Suresh 429
- (vii) Need to complete construction of railway over bridge at Kasya-Deoria Road in Deoria Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
Shri Gorakh Prasad Jaiswal 430
- (viii) Need to extend Samastipur-Khagaria Passenger Train (Train No. 364) up to Saharsa Junction in Bihar
Shri Dinesh Chandra Yadav 430
- (ix) Need to accord approval to the proposal of Brutanga Irrigation Project submitted by Government of Orissa
Shri Rudramadhab Ray 431
- (x) Need to provide Central Government pension to the freedom fighters
Shri P. Karunakaran 432
- (xi) Need to set up a Radio Station in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan
Dr. Kirodi Lal Meena 433

NATIONAL GREEN TRIBUNAL BILL, 2009	434-465
Shri Sandeep Dikshit	434-439
Shri T.K.S. Elangovan	440-442
Shri Kailash Narayan Singh Deo	443-446
Dr. Kakoli Ghosh Dastidar	447-449
Shri M.B. Rajesh	450-454
Shri Vijay Bahadur Singh	455-458
Shri S. Semmalai	459-460
Shri Jayant Chaudhary	461-464
Shri Jairam Ramesh	465
MOTION RE: SIXTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	466
PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS	467-524
(i) Special Economic Development Package for the Eastern Districts of the state of Uttar Pradesh	
Shri Ramkishun	468-470
Shri Jagdambika Pal	471-477
Shri Ghanshyam Anuragi	478-481
Shri Prasanta Kumar Majumdar	482-483
Shri Adhir Chowdhury	484-486
Shri Gorakhnath Pandey	487-489
Dr. Vinay Kumar Pandey	490-492
Shri Tufani Saroj	493-495
Shri Kamal Kishor 'Commando'	496-498
Shri Vijay Bahadur Singh	499-503
Shri Sanjay Nirupam	504-506
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	507-508

Shri P.L. Punia	509-510
Shri Ramashankar Rajbhar	511
Shri V. Narayanasamy	512-523
Rajkumari Ratna Singh	524
Resolution -- Withdrawn	524
(ii)Identification of families living below poverty line and welfare measures for them	525
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	525

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	526
Member-wise Index to Unstarred Questions	527-531

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	532
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	533-534

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, April 21, 2010/Vaisakha 1, 1932(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका प्रश्न काल को स्थगित करने का नोटिस मुझे मिला है। मैं उसकी अनुमति नहीं दे रही हूँ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा प्रश्न काल स्थगित करने का नोटिस नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इस विषय पर दो मिनट के लिए बोल सकती हैं लेकिन और कोई माननीय सदस्य नहीं **बोलेंगे**।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, इस बजट सत्र के शुरू होते ही पहले दिन समूचे प्रतिपक्ष की ओर से महंगाई का मुद्दा इस सदन में उठाया गया था। आपने प्रश्न काल स्थगित करके हमें चर्चा करने की अनुमति भी दी थी। बहुत विस्तृत चर्चा इस सदन में हुई भी थी, लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि न तो उस दिन सरकार कोई संतोषजनक जवाब दे पाई और न उसके बाद महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रभावी उपाय ही कर पाई। इससे आहत होकर सदन में जो स्वर उठा था, उसमें अपना स्वर मिलाने के लिए महंगाई से कराहते हुए लाखों लाख लोग आज दिल्ली पहुँचे हैं। अध्यक्ष जी, वे लोग आए हैं इस सरकार को अपना दर्द सुनाने के लिए, वे आए हैं इस सोती हुई सरकार को जगाने के लिए, वे आए हैं, इस बेखबर सरकार को चेताने के लिए, और अगर नहीं चेतें, तो ललकारने के लिए। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, दिल्ली के आठ प्रवेश द्वार हैं और आठों प्रवेश द्वारों से एक रेला चला आ रहा है - सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों से, सुदूर दक्षिण से, सुदूर पश्चिम के राज्यों से लगातार लोग रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से इस देश को यह बताना चाहती हूँ कि यह महंगाई किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं है। इस सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है, इस सरकार के महाघोटालों का परिणाम है। इनके इन महाघोटालों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने इस महारैली का आयोजन किया है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सांसद उस महारैली में शामिल होने के लिए, उन दीन-दुखियारों के स्वर में स्वर मिलाने के लिए, उनको अपना समर्थन और सहयोग का आश्वासन देने के लिए सदन का त्याग करते हैं और सब के सब उस रैली में शामिल होने के

लिए जा रहे हैं। शायद इस सरकार के कानों पर कोई जूँ रेंग जाए। ... (व्यवधान)

11.02 hrs.

Shrimati Sushma Swaraj and some other hon. Members then left the House

अध्यक्ष महोदया : नहीं नहीं, नारे नहीं लगाइए। Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

* Not recorded.

(Q. No. 361)

MADAM SPEAKER: Question No.361, Shri M. Anandan.

SHRI M. ANANDAN : Madam Speaker, attacks against Indians have been going on since 2003. In 2003, two Indian engineers working on a road project in one of Afghan province were abducted and one Indian telecom engineer working for Afghan Wireless Company was shot dead. In 2005, one Indian driver working for the BRO's project was abducted and his body was decapitated. In 2006, in two separate incidents two engineers were abducted and killed. In 2007, two bombs were lobbed into the Indian Consulate Office in Afghanistan. In 2008-09, there have been similar attacks with huge casualties.

Madam Speaker, in my constituency, Simon Paramanathan, an Indian from Villupuram in Tamil Nadu who was held captive in 2009 by militants in Afghanistan for nearly four months was shot dead. He was employed in the Italian food chain Ciano International.

MADAM SPEAKER: Please ask your question.

SHRI M. ANANDAN : May I know whether financial and other assistance has been extended to his family? If you see the record from 2005 onwards till date, Indians are being killed by militants in Afghanistan. By launching attacks on Indians the Taliban...

MADAM SPEAKER: Please ask your question.

SHRI M. ANANDAN : What is the attitude of President Karzai towards India?

SHRIMATI PRENEET KAUR: Madam Speaker, to date there has been a total of 20 people who have been killed in Afghanistan and 17 of them during the last three years. There has been compensation given to whoever was working with the MEA. I have a list of the compensation that was given, if you would like me to read it out. It was an ex-gratia lump sum compensation of Rs.30 lakh which is the standard MEA life insurance.

Over and above that, whoever was killed who was attached from the Army Services was paid by the Army; those who were attached from the ITBP, over and

above this, they got the ITBP insurance as well as ex-gratia what would have been theirs if they had worked till whatever time they were going to be working as Government servants or the servants with the Army or the ITBP.

I think the hon. Member has asked for somebody who was working with a private company, an Italian Company, and I think that would have been dealt with by the company itself.

SHRI M. ANANDAN: Madam, in spite of enhanced security measures for the safety of our personnel and other Indians working in Afghanistan, attacks on Indians continue to take place. All the offices and residential places where Indians are housed remain fortress. Afghanistan also has not committed security to life and property of Indians there. After withdrawal of US troops and its allies from Afghanistan in 2011, what will be the role of India?

SHRIMATI PRENEET KAUR: Madam, the security of the Indian people, our Mission and the people who are working there in the peace making process has been under constant review. President Karzai has repeatedly assured the Prime Minister that they will take all measures to ensure the safety of our people there. The Foreign Secretary and the Foreign Minister have also taken the review and periodically the people living there, the Indian citizens, are called in and given the guidelines of how to follow to secure their safety and security.

As far as the question of withdrawing the troops is concerned, I can only say that as of today, there has been an enhancement of troops by the Americans from 30,000 to, almost by the end of June, I think it should be about one lakh. I think India is fully committed to the peace process that has been carried out in Afghanistan. It is going to be Afghan led and we are there to support them in whatever they ask us for.

DR. G. VIVEKANAND: Hon. Speaker, Madam, India has committed itself for the development of Afghanistan in a big way. A lot of projects have been built-in in Afghanistan by Indian companies and the Government is supporting in a big way.

However, about 75 Indians have been killed in the last three years during this process. Although Afghanistan has promised increased security, we do not see any of these things happening. In February, over 17 people were killed in serial bombings. I understand that the Parliament in Afghanistan is also being built by Indians. May I know what is the status of this, and what are the increased security measures the Afghanistan Government is taking on the prodding of the Government of India?

SHRIMATI PRENEET KAUR: I have already said, Madam Speaker, that all security measures are being taken. We are doing everything we can at the highest level, and the Government of Afghanistan is also doing the same. India's efforts there have been very valued. I think that 71 per cent, according to the polls, of the people recognize and appreciate the fact that India is supporting them and doing their best.

श्री पन्ना लाल पुनिया : अध्यक्ष महोदया, 26 फरवरी को काबूल में दो होटलों में बम धमाके हुए, जिसमें अफगानिस्तान के पुर्ननिर्माण में लगे अनेक हिन्दुस्तानियों को निशाना बनाया गया था। पहले भी भारतीय दूतावास और अन्य जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुईं, जिसकी एक लम्बी फेहरिस्त है, जिसका विवरण हमारे माननीय सदस्य ने भी दिया। ये भी सबूत सामने आए हैं कि आतंकवादियों ने 26 तारीख को मुंबई हमले से जुड़े अफगानिस्तान स्थित आतंकी शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जो एक गंभीर चिन्ता की बात है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या हमारी अफगानिस्तान में उपस्थिति मात्र उस देश के पुर्ननिर्माण तक मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर सीमित है अथवा भारत के विरूद्ध आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने जैसे राष्ट्रहितों की सुरक्षा करने का भी विचार है। धन्यवाद।

SHRIMATI PRENEET KAUR: Madam Speaker, our presence in Afghanistan will very much be there. It is, as I said earlier, towards the peace-making process and helping them in their infrastructure. As I said earlier also, it will be completely Afghan-led. We will also be taking care of the security of our people....

(Interruptions)

श्री पन्ना लाल पुनिया : अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: यह प्रश्न काफी विस्तार में हो चुका है।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Dhananjay Singh; we have moved on to the next question.

... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Please take your seat. Nothing will go in record.

*(Interruptions) ...**

* Not recorded.

(Q. No. 362)

श्री धनंजय सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, उत्तर क और ख में एनजीआरआई का जिक्र करते हुए जो स्टडी की है, उसमें इस बात को स्वीकार किया है कि सन् 2002 से 2008 तक लगातार 54+9, माइनस और प्लस लगातार ग्राउंड वाटर जल की कमी हुई है। यह आपने हमारे देश के वैज्ञानिकों का एक एकेडेमिक पहलू रखा है। मैं जानना चाहूंगा कि इसका व्यावहारिक पक्ष क्या है? निरंतर जो भू-जल घट रहा है, क्या सरकार की ऐसी कहीं कोई योजना चल रही है, जहां भू-जल बढ़ाने का सरकार ने या सरकारी तंत्र ने काम किया है?...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश के किसी भी एक स्थान का उल्लेख करें ।

अध्यक्ष महोदया: आपने प्रश्न पूछ लिया है, इसके बाद आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदया, जिस एक अध्ययन का जिक्र इस प्रश्न में किया गया है, वह वर्ष 2002 में नासा की तरफ से स्पेस में दो सैटेलाइट्स भेजी गई थीं, उनके आधार पर किया गया है। उनका आपस में अन्तर 250 किलोमीटर का है। वे जमीन से 500 किलोमीटर ऊपर चल रही हैं और 30 दिन में एक पोलर ऑर्बिट पूरा करती हैं। उसमें जहां-कहीं उन्हें नजर आता है कि जमीन का वजन कहीं कम हुआ, यानी पानी का वजन कम हुआ, उसके हिसाब से उन दोनों के सैटेलाइट्स का आपस में, दोनों के बीच का जो अन्तर है, यानी जो फासला है, वह कम हो जाता है। उससे हिसाब लगाकर पानी की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है। उसमें कहा गया है कि सालाना 54 प्लस माइनस नाइन बीसीएम पानी की कमी हो सकती है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह कह दिया कि यह एक अध्ययन के हिसाब से है।

महोदया, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से अध्ययन किया गया है, वह बहुत बड़ी तादाद में, 5723 ब्लॉक्स में, जहां अलग-अलग जगह पर हमारे ट्यूबवैल्स लगे हुए हैं, उनके आधार पर किया गया है। उनके जरिए जो समय-समय पर ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट के जो ग्राउंड वाटर बोर्ड हैं, वे आपस में बातचीत करके करते हैं । जो कहा वह उससे विपरीत है, इसलिए उसे पूरा सही मानना इस वक्त संभव नहीं है। वह इस कारण कि उसमें उन्होंने 27 लाख स्क्वेयर किलोमीटर्स का जिक्र किया है, जिसमें अफगानिस्तान का हिस्सा आ जाता है, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा आ जाता है, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश का हिस्सा भी आ जाता है। जिस एरिया का जिक्र हम अपनी तरफ से करें, उसके साथ जो हमारा हिस्सा है, उसकी हमारी जो स्टडी है, उसके तहत, इन बेसिन्स में, एवरेज तौर पर, 10 सेंटीमीटर का अन्तर है, जो सभी माननीय सदस्यों को कम लगेगा, मेरे पास आंकड़े पूरे हैं। मैं एक-एक वैल के कि

किस-किस प्रान्त में ज्यादा पानी कम हुआ, कितना कम से कम पानी घटा और कितना ज्यादा से ज्यादा पानी घटा, ये आंकड़ें हैं।

महोदया, यह बात सत्य है कि ग्राउंड वाटर का जो स्तर है, उसमें कमी आती जा रही है और कमी आने के कारण भी हम सभी लोग जानते हैं कि भूजल का समय-समय पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। हमारी कृषि में पैडी को उगाने में पानी बहुत ज्यादा लग रहा है, बेशक उसमें से 20 परसेंट पानी वापस जा रहा है। इंसान की अपनी जो एक्टिविटीज हैं, उनके कारण हम ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन ज्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण भूजल का स्तर कम हो रहा है।

महोदया, हमारे इस इलाके में जो 5723 टोटल ब्लॉक्स हैं, उनमें से जो स्टडी का एरिया है, उसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इनमें खासतौर से पानी का जो स्तर गिरा है, वह इन चार क्षेत्रों में ज्यादा गिरा है। यू.पी. में भी कम हुआ है। तामिलनाडु में किसी-किसी कुएं में सबसे ज्यादा पानी कम हुआ है, लेकिन जो पूरे क्षेत्र में औसतन सबसे कम भूजल गिरा है, वह सबसे ज्यादा कम इन चार स्टेट्स में हुआ है। हमारी स्टडी उससे विपरीत है, क्योंकि यह हमारी माइक्रो स्टडी है, एक-एक कुएं की बिल्कुल नीचे के लैवल पर स्टडी की गई है। वह जो सैटेलाइट से की गई है, वह मैक्रो लैवल की है, वह एक औसतन बड़ी पिक्चर दी गई है। उसके हिसाब से जो हमारे ग्राउंड वाटर के टोटल रिप्लेनेशबल रिसोर्सस हैं, वे 214 बीसीएम हैं और एनुअल विथड्रॉवल 120 बीसीएम है। इसलिए यह ऐसी चौंकाने वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस सरकार ने एक कदम नहीं बहुत सारे कदम इसके लिए उठाए हैं, ताकि ग्राउंड वाटर का लैवल ऊपर उठ सके। इन सबका जिक्र मैंने अपने मूल सवाल के जवाब में भी कर दिया है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे, तो मैं उन्हें दोहरा दूंगा। सरकार की तरफ से डगवैल्स के लिए, ग्राउंड वाटर रीचार्ज के लिए कहा गया है। मॉडल लॉ बनाकर अलग-अलग प्रांतों को भेजा गया है कि वे इनैक्ट कर के उसे आगे भेजें और इस पर पाबन्दी लगाएं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कहा गया है। काफी प्रयास किए जा रहे हैं। रिपेयर, रेनोवेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जो देश भर में हमारे पुराने तालाब, बावड़ी और टंकियां थीं, जो समय के साथ-साथ खत्म हो गईं, बहुत जगह एन्क्रोचमेंट हो गईं, उनके रेस्टोरेशन के लिए भी हम सभी प्रान्तों से गुजारिश कर रहे हैं। उनके रेस्टोरेशन के लिए केन्द्र पैसा देगा और उसमें 25 परसेंट केन्द्र सरकार और 75 परसेंट राज्य सरकार का हिस्सा होगा। उसके दो एलीमेंट हैं- एक डॉमैस्टिक और दूसरा एक्सटर्नल। वर्ल्ड बैंक की इमदाद से भी इस पर कई प्रान्तों में काम होना शुरू हो गया है। सभी चीजों का रिजल्ट, कुछ-कुछ आना शुरू हुआ है। रीचार्ज के जो तरीके हमने अपनाए हैं, उनसे भूजल का लैवल बढ़ रहा है।

श्री धनंजय सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने का काम किया है। मैंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश का आप कोई भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए जहां कि आपके सरकारी तंत्र द्वारा किए गए कार्य से भूजल स्तर बढ़ा हो? मुझे ऐसा सिर्फ एक एग्जाम्पल बता दें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ में आपकी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे आर्टीफीशियल रीचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, डगवैल के द्वारा आपने कहा है, लेकिन लखनऊ में जितनी भी आपकी इकाइयां स्थापित हैं, वे आज की डेट में कार्य नहीं कर रही हैं। लखनऊ में प्रतिदिन पांच सौ से छः सौ एमएलडी भू-जल की खपत है। उसकी एवज में आप रिचार्ज क्या कर रहे हैं? मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगा। इसके साथ-साथ आपने यहां कहा कि फार्मर पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और जनपद जौनपुर से हूँ। आपका इस तरीके का कोई प्रोग्राम जनपद जौनपुर जिले में नहीं चल रहा है और न ही उत्तर प्रदेश के किसी जिले में चल रहा है, जहां तक मुझे जानकारी है। इस संबंध में और भी सांसद सवाल करेंगे और आप उसका जवाब देंगे और मैं भी चाहूंगा कि आप उस समय स्पष्ट करें।

आपने वेब इनेबल ग्राउंड वाटर इन्फार्मेशन सिस्टम का जिक्र किया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70 प्रतिशत जनता रहती है। वहां जो भी हैंड पंप्स लगाए जा रहे हैं या ट्यूब वेल लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीणों को जल उपलब्ध कराया जा रहा है, क्या उसकी शुद्धता की जांच होती है? क्या वे लोग अशुद्ध जल पीने के लिए मजबूर हैं बाध्य हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विषय में मैं जिक्र करना चाहूंगा। लगभग 22 जिलों में आर्सेनिक की मात्रा भूजल में पायी गयी है। वहां इसकी वजह से तमाम लोगों को कैंसर के रोग का सामना करना पड़ रहा है इसके उपचार का ठोस उपाय बताएं। क्या आप जवाब देना चाहेंगे कि जो आप हैंड पंप आप स्थापित कर रहे हैं, अब उनकी स्थापना शुद्धता की जांच कराकर करेंगे ?

अध्यक्ष महोदया : अब आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री धनंजय सिंह : आपके जवाब में एक बात रह गयी थी। एन.जी.आर.आई. का इन्होंने जिक्र किया है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात इन्होंने कही है क्या ये दोनों संस्थाएं एक ही कार्य कर रही हैं ? हमारे साथ यहां समाजवादी पार्टी के सांसद तूफानी सरोज जी भी हैं हमारे जिले में निगरानी समिति की बैठक थी। हमने अपने जिलाधिकारी से पूछा कि क्या सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हमारे जिले में काम कर रहा है? उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और न ही इस विभाग ने जिले में आज तक ऐसी कोई जानकारी दी है।

अध्यक्ष महोदया : आपका प्रश्न बहुत लंबा हो रहा है। आप जल्दी से प्रश्न पूछिए।

श्री धनंजय सिंह : महोदया, यह बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। दुनिया के तमाम विद्वान इस विषय में कह रहे हैं कि आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जल की वजह से होगा।

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

श्री धनंजय सिंह : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदया : आप बहुत लंबी भूमिका बांध रहे हैं, अभी और भी प्रश्न शेष हैं।

श्री धनंजय सिंह : महोदया, इसके विस्तार में भी जाने की आवश्यकता है। मैं वही कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदया : थैंक यू। मंत्री जी आप जवाब दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : शायद चार-पांच सवाल पूछे गए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सभी का जवाब दे पाऊं। सबसे पहले तो उन्होंने यह कहा कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ है, एसेसमेंट क्या हुआ है? ओवर आल इंपैक्ट यह है कि 0.15 टू 12 मीटर्स अलग-अलग जगह पानी बढ़ा है। यह मैं रिकार्ड के आधार पर कह रहा हूँ। ...(व्यवधान) जहां तक यूपी का ताल्लुक है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप उनकी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्हें जवाब पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, यूपी में सात स्कीम्स चलायी गयी हैं और मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जो वाटर सैक्टर है, वाटर का विषय है, लालू जी, मुलायम सिंह जी जानते हैं कि यह संविधान में प्रांतीय विषय है। केंद्र के पास यह नहीं है। जो स्कीम्स सेंटर समय-समय पर ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, मैं समझता हूँ कि जो-जो सवाल रेज किए गए हैं, उन सभी का जवाब दे दूंगा। अगर माननीय सदस्य कुछ और भी कहना चाहते हैं, तो मैं उसका भी जवाब देने का प्रयास करूंगा। मैडम, मैं इसका जवाब तो शायद अपने तरीके से ही दे सकता हूँ। जो-जो स्कीम्स स्टेट से केंद्र के पास आती हैं, उनके तहत जैसे-जैसे जो पैसा गाइडलाइंस के तहत होता है, वह दिया जाता है। जो सेंटर

सैक्टर की स्कीम्स होती हैं, बहुत साल-साल आगे तक के लिए बनायी जाती हैं। यूपी का यहां जिक्र हुआ था। मैंने पहले भी यह नहीं कहा कि ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए। आपने पहले ही बहुत विस्तार में पूछ लिया है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : आपने सात सवाल पूछे थे, अभी तो मैं पहले सवाल का ही जवाब दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : क्या आप सात सवालों का जवाब दे रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : 27 तारीख को इस विषय पर आपके मंत्रालय पर बहस है, डिमांड फार ग्रांट्स के लिए, वह दिन बहस के लिए मुकर्रर है। उस दिन पूरे विस्तार में जाइएगा। मैं यह सूचित करना चाहती थी। अब आप उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सात स्कीम्स इसके लिए हैं, जिसमें 23,033 cubic metres run-off water has been recharged in one year. इतना पानी हुआ है। मैंने पहले भी यह नहीं कहा कि पानी की किल्लत देश में खत्म हो गयी। मैं यह मानता हूं कि देश में पानी की किल्लत है और यह आगे बढ़ती जा रही है। वर्ष 1947 में पर कैपिटा हमें पानी 5,500 क्यूबिक मीटर्स मिल रहा था। आज वह कम होकर 1700 हो गया है। जिस हिसाब से आबादी और शहरीकरण हो रहा है, लगता है कि आने वाले दिनों में वह और भी कम होगा। **Madam, a day will come when the demand will outstrip the supply, which has to happen unless we go for certain measures.** उस मेजर्स के तहत हमारा जो आईईसी (इन्फार्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन) प्रोग्राम है, मैं पूरी तरह से समर्थन और सहयोग चाहूंगा, हमारी जो स्कीम्स हैं, जैसे आपने कहा, जब डिमांड्स पर बहस होगी, तब भी मैं उनका जिक्र करूंगा, बहुत स्कीम्स के तहत वैब बेस्ड सिस्टम इस कारण बनाया गया है कि देश के कोने-कोने में, अगर आप एक-एक गांव में भी चाहें, वह सिस्टम लॉन्च हो चुका है, हमें वह इन्फार्मेशन आपसे चाहिए होगी, आपके रिवैन्यु ऑफिशियल्स से चाहिए होगी। देश में 20 मिलियन वैल्स हैं। हम सभी वैल्स का नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ हजार वैल्स का ले रहे हैं, कुछ पीज़ोमीटर लगाए हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके रिवैन्यु स्टाफ के जरिए हमें एक-एक वैल की इन्फार्मेशन मिल जाए ताकि वह लोड हो जाए। आप किर्यॉस्क के बाहर जाकर बटन दबाएं, आप अपने गांव का भी बटन दबाएंगे तो उसकी भी पूरी इन्फार्मेशन मिल जाएगी कि इतने कुएं हैं, डग वैल्स इतने हैं, ट्यूब वैल्स इतने हैं और पानी का लैवल कहीं गिरा है। यह चौंकाने वाली बात है कि पानी का लैवल कहीं-कहीं

49 मीटर तक भी गया है। मैं यह नहीं कह रहा कि सब बहुत अच्छा है। लेकिन जो हालात खराब हो रहे हैं, उन्हें सुधारने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। फार्मर्स पार्टीसिपेटरी एक्शन प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं। आज उसकी चर्चा हो रही है। वे पांच हजार हैं। उससे दुनियाभर में कवर नहीं हो पा रहा है, लेकिन वे काफी शानदार प्रोग्राम्स हैं। मैं माननीय सदस्य से गुजारिश करूंगा कि वे भी हमें अपना साथ दें ताकि हम मिलकर उसे कर सकें।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let us have some order in the House. It is a very important subject.

SHRI K.C. SINGH 'BABA' : Madam Speaker, Uttarakhand is the catchment area of the Indo-Gangetic plain where more than one-third of the Indian population is residing. If there is an ecological disturbance in Uttarakhand, its impact cascades right down up to Bangladesh.

Madam, forest fires cause (1) drying up of natural springs and (2) reduce the water percolation capacity of the soil. So, forest fires, being one of the main causes, still have not been treated as national disasters, owing to which other Departments like the Revenue Department, the Police Department do not support the Forest Department in extinguishing the forest fires. I would like to know what remedial steps are being taken by the Government in this regard.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, the question is relating to forest fires. I would not be able to answer. But otherwise, we are taking all the steps for the conservation of water and making it available to the people.

SHRI R. THAMARAISELVAN : Madam, when we talk about the depletion of ground water level, we must also realise that the water level in almost all the dams in the country is getting lower and lower. Therefore, the Government of Tamil Nadu has taken an initiative to recharge the ground water in the surrounding areas by constructing a series of small and medium check dams and ponds to store the flash flood, and has asked the Central Government to extend the Ground Water Recharge Scheme having the benefit area of 20 hectares and above under the Accelerated Irrigation Programme. So, I want to know from the Minister whether this demand of the Tamil Government has been accepted or not.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, the scheme for repair, renovation and restoration of water bodies submitted by the Government of Tamil Nadu has been accepted and the arrangements are being worked out with the World Bank for assistance from the external component thereof. That would, to a great extent, besides conserving water, also help in recharging the ground water to some extent. But then the scheme *per se*, as far as the ground water recharge is concerned, there is a long list that I have. Regarding any schemes which are coming from time to time, after original scrutiny thereof, the schemes are accepted and some allocation of funds is made thereon.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : According to the World Bank report which I read recently, India's ground water table will probably dry up in fifteen years. As of today, the ground water supports approximately 60 per cent of our irrigated agriculture and almost 80 per cent of our rural and urban water supply. Looking at the future, if this is the future as of today, and if I speak just of my State, Punjab for example, we have the Bhakra dam, the Pong dam and the Ranjit Sagar dam and due to the drought last year the levels in these dams are down by 50 per cent. These dams provide water for irrigation to Punjab, Haryana and Rajasthan. Punjab and Haryana provide almost 80 per cent of food security of wheat and rice to the nation. Looking at this problem, if there is 50 per cent less water, it is but obvious that there is going to be a huge water shortage staring us in the face. The country knows that there is a power shortage in the entire country. So, what is going to be the future of this country as far as food security is concerned.

MADAM SPEAKER: Please ask the question.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Today what I am trying to ask is about the water level requirement where we require six to seven thousand cubic metres. In the Pong dam we got only 3400 cubic metres available whereas we require almost double the amount of water. The State Government has repeatedly been asking that a 150 year old irrigation system be given Rs.3500 crore for

rehabilitation, keeping the importance of saving each and every drop of water for the food security of the country. Has the Government realized the urgency of this and are they taking any drastic measure in a limited timeframe to support the States which provide the food security by revamping and rehabilitating the canal system to save the water which is an urgent requirement for the food security of the nation?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: The hon. Member is aware of the fact that we have the scheme of ERM, that is, Extension, Renovation and Modernisation, of the canal system where matters are pending. We have discussed those matters amongst ourselves. There are certain constraints for the release of funds from the Centre because we have one scheme at a time. Only two days earlier I had said that one scheme which they have completed to the extent of 90 per cent, we would treat that to be a fully completed scheme to enable the State to include another scheme in the project.

The question in fact relates to depletion in the ground water level. There is no denying the fact that Punjab has suffered immensely and the ground water level has come down. Perhaps it is one of the most over-exploited regions in the country, along with Haryana and Delhi where the water being extracted is much more. It is perhaps 145 per cent, if I am not mistaken. As far as Punjab is concerned, we are taking other steps.

The Prime Minister has included the Shapurkandi project as a national project in the 14 national projects whereunder funding would be done by the Government of India. We are taking steps. We are aware of the fact that Punjab and Haryana are two States which are in fact the highest contributors to food kitty of the country. They are the food basket of the country. Therefore, all that the Government of India can do in that regard we would do.

The only problem is when it comes to the inter-State matters, I would urge all the hon. Members present here today to respectively take it up with their State Governments. We express the feeling with the pious intentions which we express

otherwise about the water resource being a national asset. If we were to adopt an approach like that, perhaps the problems could be solved easily.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: It is over. Let Dr. Jyoti Mirdha ask her supplementary question. Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

डॉ. ज्योति मिर्धा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि राजस्थान में आज 237 में से तकरीबन 204 ब्लॉक्स डॉर्क जोन में आते हैं। राजस्थान तकरीबन 94 परसेंट पानी की रिक्वायरमेंट ग्राउंड वाटर से पूर्ति करता है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि हर दफा जब पानी की बात आती है, तो एक बात उठती है कि पानी स्टेट मैटर है। जब पानी आने वाले समय में करेंसी का काम करेगा, तो क्या सरकार यह सोच रही है कि इसे कम से कम स्टेट मैटर न मानते हुए कन्करेंट लिस्ट में लाया जा सके, ताकि यह ज्यादा कम्प्रीहैन्सिव वाटर पालिसी बन सके। क्योंकि यह तो क्लीयर है कि पिछले 60 सालों में हमने जिस तरीके से अपने वाटर रिसोर्सज को मैनेज किया है, वह ठीक तरीका नहीं था। क्या पालिसी में हम कोई बड़ी शिफ्ट लेकर आना चाह रहे हैं, जिससे हम उसे कन्करेंट लिस्ट पर लेकर आयें और एक ज्यादा कम्प्रीहैन्सिव पालिसी बनायें, ताकि आगे इस तरीके की प्रॉब्लम्स न आयें। वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण पीने के पानी के लिए हमें ग्राउण्ड वाटर पर निर्भर रहना पड़ता है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, मैं माननीय सदस्या को धन्यवाद देता हूँ उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। मुझे निजी तौर पर इसमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर इसके बारे में एक आम सहमति हाउस में बन पाए। लेकिन जहां तक पानी की उपलब्धता का सवाल है, हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में पानी की किल्लत है। विषय फिर वही आ जाता है कि कुछ अन्तर्राज्यीय विषय हैं, जिनका इस सदन में जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बार-बार इस बात का एहसास होता है कि राजस्थान में पानी की किल्लत है। उसके लिए ड्राउट-प्रोन एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स के जरिए या कहीं-कहीं जिस हिसाब से व्यवस्था है, उनके लिए ज्यादा एलोकेशन्स करके पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। स्टेट सेक्टर की स्कीम्स के लिए भी यहां से ज्यादा से ज्यादा, 90-90 प्रतिशत तक पैसा यहां से दिया जाता है।

श्री लालू प्रसाद : महोदया, मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं सरकार से एक बेसिक सवाल पर जानकारी चाहता हूँ। अंडरग्राउण्ड वाटर बहुत तेजी से पूरे देश में पाताललोक में जा रहा

* Not recorded.

है। अनडिस्प्यूटेड रूप से आपके क्षेत्र से लेकर बिहार, यूपी सभी जगह पानी नीचे जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अंडरग्राउण्ड वाटर का हमारा एकमात्र सोर्स नदियों का पानी है। बिना सोचे-समझे पूर्व सरकार द्वारा किन कारणों से हमारे गंगाजल को, हमारे पवित्र जल को बांग्लादेश को हैण्डओवर कर दिया गया? बांग्लादेश में फाटक लग गए, नदियां सूख रही हैं, पानी आ नहीं रहा है। कोई माने या न माने, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि भारत की पूर्ववर्ती सरकार ने बांग्लादेश को पानी क्यों दे दिया? आज गंगा नदी सूख रही है, उसमें पानी कहां से आएगा? क्या आप पानी देंगे? आप पानी कहां से देंगे? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो गंगा वाटर आपने बांग्लादेश को दे दिया है, उससे लाखों मछुआरे भूखे मर रहे हैं क्योंकि मछलियां भी नहीं आ रही हैं। मछली का उल्टा चरित्र होता है, ऊपर की ओर चलने का। क्या मौजूदा भारत सरकार गंगा जल के बंटवारे पर पुनर्विचार करेगी? हम अपने पानी को रोकें तभी चापाकल में पानी आएगा।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, वैसे यह सवाल इससे नहीं उठता है, लेकिन यह बहुत अहम सवाल है। ... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : इसी से उठता है।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, लालू जी आप बैठिए, मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, बांग्लादेश के साथ वर्ष 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी। लालू जी जानते हैं कि उस समय सरकार कौन सी थी और ये उसको समर्थन दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। उस समय देवेगौड़ा जी की सरकार थी और उसको लालू जी का समर्थन मिल रहा था।... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : उस समय मैं मंत्रिमंडल में नहीं था। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद जी, आप बैठ जाइए। उनको उत्तर देने दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद जी आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER : Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, माननीय सदस्य ने इसका जिक्र किया और माननीय देवेगौड़ा जी साथ बैठे हुए हैं, इसीलिए मुझे इसका जिक्र करना पड़ा लेकिन मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। I am not

* Not recorded.

disputing that. That was necessary. Bangladesh is a lower riparian State. Under the international law, though not codified, lower riparian States का भी अपना अधिकार होता है और हमने उनको उससे कुछ ज्यादा नहीं दिया है। पिछली बार भी एक सवाल के जवाब में, जब फरक्का का जिक्र आ रहा था, मैंने कहा था कि यह उनके लिए नहीं बनाया गया था। यह हमारे लिए बनाया गया था क्योंकि हम अपने कोलकाता के पोर्ट को रखना चाहते थे, अपने नेविगेशन रखना चाह रहे थे। आज भी बांग्लादेश का ग्राउज है, अभी एक महीने पहले जब उनके मंत्री आए हुए थे, वह कह रहे थे कि हमारा जितना हिस्सा बनता है, आप उतना दे नहीं रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश हमारे साथ कोआपरेट कर रहा है। इछामती के लिए ड्रेजिंग की बात हुई, हमारे लोगों ने, वेस्ट बंगाल ने मांगा, त्रिपुरा ने मांगा, उन्होंने हमारी बात को माना है। हमने अभी उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी है। उन्होंने फेनी रिवर से त्रिपुरा के एक गांव के लिए, सुब्रूम के लिए पानी देने की हमारी बात मानी है। हमने इस पर अभी उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया है, हमने कहा है कि हम वेस्ट बंगाल की सरकार से बात करके ही आपस में जो रास्ता तय होगा उसी के हिसाब से करेंगे।

महोदया, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपस में जिस तरह से बातचीत होती है, जो प्रोटोकाल्स होते हैं, उसी हिसाब से पानी का बंटवारा होता है और ट्रीटी का कोई नाजायज फायदा नहीं मिल रहा है। ट्रीटी के हिसाब से जितना उनका अधिकार बनता था, उसी के हिसाब से टेबल बनाया गया है। जिसमें यह निर्दिष्ट है कि इतना पानी अगर होगा, तो उन्हें इतना पानी जाएगा और इतना हमें मिलेगा। अगर पानी कम होगा तो इतना उन्हें मिलेगा और इतना हमें मिलेगा। उसी के हिसाब से यह चल रहा है। मैं लालू जी से यह गुजारिश करूंगा कि यह चिंता मत करें कि यह उनके कारण हो रहा है। गंगा में सुधार करने की जरूरत हमारी अपनी है। गंगा को हम कैसे प्रदूषित कर रहे हैं, यह सवाल हमारे लिए खुद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमें उसका जवाब देना है और एक संतुलन बनाना है। मैं हाउस में यह भी कहना चाहूंगा कि हम विकास के लिए और दूसरी बातों के मद्देनजर कैसे संतुलन बनाते हैं, That balance has to be struck for development and progress of the country.

DR. RAM CHANDRA DOME : Madam, there is no doubt that it is a very great problem. The ground water is going down and depletion of water table is happening. There will be problems even in the coming days. We are tapping arbitrarily ground water for agricultural purposes, industrial purposes and for drinking purposes. I have a pointed question in this regard.

Some industries, particularly the soft drink industries, are going on rising in this country and vast amount of water is being tapped by these soft drink industries these days. I would like to know whether the Government is aware of it and whether they have any particular study of how much water they are tapping from the ground at the cost of our essential drinking water and water for agricultural purposes. That is my pointed question to the Government.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, I share the sentiments expressed by the hon. Member about the over-extraction of water by some of the water-intensive industries. Again, it is not an alibi, but a statement of fact that it is the State Governments which have a role to perform in that. The Central Government has formulated model Bill on different matters of ground water and submitted to the State Governments. Some State Governments have responded while some have not responded.

Now the Central Ground Water Development Authority is also working on this. Various instructions have been issued to more and more people, and more and more State Governments. In the initial list, about 40 and odd areas were included, for which the District Magistrate was appointed as the nodal agency, as the authority to grant permission in case somebody wanted to set up a plant, which would mean extracting water from the ground. ... (*Interruptions*) 27 तारीख को है। ... (*Interruptions*)

Madam, the proposal is with us. We are working very actively on that to include more areas because there was a voice raised. We are including another 100 areas, taking the list from 40 and odd to over 140 and odd. ... (*Interruptions*)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: मैं मानती हूँ कि जल संसाधन एक महत्वपूर्ण विषय है। इस महीने की 27 तारीख को अनुदानों की मांगों पर चर्चा के तहत वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय की अनुदानों पर चर्चा होगी। उस समय माननीय सदस्य सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 363, श्री के.डी. देशमुख - अनुपस्थित।
श्री जयवंत गंगाराम आवले।

(Q. 363)

श्री जयवंत गंगाराम आवले : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि 1995-1996 और 1996-1997 के दौरान संस्कृति स्कूल को भवन निर्माण के लिए एकमुश्त पांच करोड़ रुपए की सहायता जारी की थी। यह राशि किस नियम के तहत जारी की गई थी? क्या भवन निर्माण करने की हैसियत संस्कृति स्कूल की नहीं थी, जो कि पूर्णरूप से निजी स्कूल है? उत्तर में आगे बताया गया है कि वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 में 2 करोड़ 79 लाख रुपए की फिर से राशि जारी की गई। इस स्कूल को चलाने वालों में ब्यूरोक्रेट्स की पत्नियां हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस स्कूल में कितने अनुसूचित जाति के और गरीब बच्चे हैं?

SHRI KAPIL SIBAL : Madam, first of all, the genesis of the scheme goes back to the year 1988 when a proposal was put to the Department of Personnel & Training (DoPT), which even today is the nodal agency that is in-charge of this School. In 1988, this proposal was given and the then Minister of State in DoPT affirmed the proposal and in 1994-1995 this was taken forward. The Ministry of Human Resource Development -- when it was taken forward -- decided to contribute in terms of infrastructure expenditure, not the running expenditure, and over the years various Ministries, State Governments, other Departments of the Government of India have actually been supporting this.

Of course, there is a specific scheme and the scheme is that there are four categories of persons who will be admitted in this School. One is the civil servants category; second is the general category; thirdly, there are wards of staff; and fourthly, the wards of the Economically Weaker Section (EWS). There is no Scheduled Caste and Scheduled Tribe reservation, but these were the four categories under the scheme, which were approved by the DoPT that is being carried forward.

श्री जयवंत गंगाराम आवले : अध्यक्ष महोदया, यह योजना एससी और गरीब लोगों के लिए है, जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं। अनुसूचित जाति के लोग भी बहुत गरीब हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या अनुसूचित जाति के लोगों के लिए इस योजना में कोई परसेंटेज रखी गई है?

SHRI KAPIL SIBAL : Madam, as I said, the recurring expenses of this institution are not financed by the Government of India. There is no separate reservation, but there is a reservation for the EWS, and 146 children from the EWS have been admitted.

श्री दारा सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी के उत्तर को मैंने देखा है। मंत्री जी देश में समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा पर काफी वाहवाही लूट रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, उससे संबंधित बात ही मैं पूछना चाहता हूँ कि किस नियम के तहत और वह कौन सी जरूरत थी, जिसके कारण ये स्कूल खोले गए? गरीब बच्चों की यहां चर्चा हो रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत से माननीय सांसदों ने इन स्कूलों को देखा भी नहीं होगा और वे जानते भी नहीं होंगे। वे सोच भी नहीं सकते हैं कि वहां हमारे बच्चों का एडमिशन हो पाएगा या नहीं, तो आम लोगों की क्या हालत होगी। लगभग 8 करोड़ से ज्यादा रुपया केंद्र सरकार ने दिया है। गरीब चाहे बैकवर्ड क्लास के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों या आर्थिक रूप से पिछड़े हों, मैं समझता हूँ कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा। कोई भी मंत्री जब उत्तर देता है, तो पैसे की कमी की बात कहते हैं कि हमारे विभाग के पास पैसा नहीं है। आपने भी कहा, जब सेंट्रल स्कूल खोलने की बात आई कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब नियम कानून आप बनाते हैं, तो अनिवार्य शिक्षा को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आप पैसे की कमी की बात कहते हैं, दूसरी तरफ संस्कृति स्कूल में जहां बच्चों का प्रवेश नहीं हो पाता है, वहीं केंद्रीय विद्यालय में जहां एमपी को दो बच्चों के एडमिशन का कोटा मिलता था, उसे लोग बढ़ाने की बात कर रहे थे, आपने उसे भी खत्म कर दिया है। यह कहां का इंसाफ है?

SHRI KAPIL SIBAL : Madam, I would like to tell you that as far as the Sanskriti School is concerned, in fact, they have adopted a *Basti*, which is situated next to them. They go to the *Basti* to empower the people of that *Basti* by imparting skills

like embroidery and others to the ladies of that *Basti*, and the children of that *Basti* actually come to Sanskriti and they are taught in Sanskriti School. ... (*Interruptions*) In fact, class 11 children go to the rural areas as that is a part of their course work. They go to the rural areas, and children from the rural areas are brought to Sanskriti. In fact, they are empowered when they are brought to Sanskriti. So, it is not as if Sanskriti is functioning outside the general framework and the policy of the Government. ... (*Interruptions*)

श्री दारा सिंह चौहान : ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है।... (व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: In fact, the wives of the officers who are part of the Managing Committee are managing the School without charging anything. This is a unique initiative taken for the purposes of holistic education in which everybody is involved. Even there are special teachers employed for the challenged members of the community. For challenged students, special teachers are employed, and 60 such students are in fact being taught in this area. So, it is a School which is being run in the context of our overall education policy. I wish the State Governments themselves would take up initiatives of this nature, and voluntary organizations should come forward to set up schools, to serve the community, all sections of the community.

श्री दारा सिंह चौहान : ऐसे स्कूल उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? ... (व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, संस्कृति स्कूल यहां के अफसरों ने बनाया है। केबिनेट सैक्रेट्री हमेशा इसका चेयरमैन होता है, वाइफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन में कोई एक या दो आदमी होंगे, वे भी उसी कैटेगिरी के लोग हैं, हम इस तरह के स्कूल में क्या चाहते हैं? हम समान शिक्षा की बात कहते हैं। इस देश में समान शिक्षा तब तक नहीं हो सकती है जब तक अमीर से अमीर और गरीब से गरीब एक साथ नहीं पढ़ेंगे। ये देश न बना है और न बनेगा। हम देश में कमल उगा रहे हैं, हम देश को बना नहीं रहे हैं, हम हर जगह कीचड़ में कमल उगाते हैं। पूरे देश की शिक्षा प्राइवेट लोगों के हाथों में चली गई है, निजी हाथों में चली गई है, अच्छी शिक्षा बहुत पैसे के साथ चली गई है। गरीबों के पास थोड़ी बहुत पढ़ाई थी लेकिन आपने आठवीं तक और पता नहीं किस क्लास तक कह दिया कि बिना पढ़े पास कर दो।

मेरे पास कल परसों एक मजिस्ट्रेट आए थे, उन्होंने बताया कि नौवीं क्लास का बच्चा कोर्ट में दस्तखत नहीं कर सका। मेरा कहना है कि शिक्षा निजी क्षेत्रों में जा रही है, आप कमल उगाने का काम संस्कृति स्कूल जैसे कुकुरमुते बनाने के लिए कर रहे हैं, इसे तत्काल बंद कीजिए तभी देश में समान शिक्षा और सब लोगों की बढ़ोत्तरी का रास्ता खुलेगा।

श्री कपिल सिब्बल: सबसे पहली बात यह है कि जहां तक निजी स्कूलों का सवाल है, हिन्दुस्तान में केवल सात प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जो निजी है, 93 प्रतिशत स्कूल स्टेट सैक्टर में हैं जिन्हें राज्य सरकारें चला रही हैं। अगर शिक्षा का रूप यहां तक पहुंचा है तो जिम्मेदारी हम सबकी है। प्राइवेट स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जिसकी एजुकेशन प्राइमरी रिस्पॉसिबिलिटी है। हमारी जिम्मेदारी है... (व्यवधान)

श्री शरद यादव : आप क्या कह रहे हैं? सारे इलाकों में स्कूल खुल रहे हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मुझे जवाब देने दीजिए। आप जवाब नहीं देने देंगे।... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please take your seat. Nothing will go on record except what the hon. Minister is saying.

*(Interruptions) ... **

श्री कपिल सिब्बल: जब भी केंद्र में सरकारें बनी हैं, कभी इतनी प्रगति नहीं हुई कि इतना पैसा आ जाए कि हम एलीमेंटरी एजुकेशन में लगाएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमने पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में 1,71,000 करोड़ रुपया शिक्षा क्षेत्र में, एलीमेंटरी एजुकेशन में लगाया। हमने तय किया कि अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे। ऐसा पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में हुआ है, यह पहले कभी नहीं हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मदद दें। इसमें थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन भी करनी चाहिए कि अगर शिक्षा की हालत यह हुई है तो किसकी जिम्मेदारी थी और किसकी वजह से ऐसा हुआ है?

* Not recorded.



(Q. No.364)

MADAM SPEAKER: Please have order in the House.

श्री प्रदीप माझी : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत अच्छी बात है कि माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी सारे देश में प्राइमरी, सैकेंडरी और हायर एजुकेशन में बहुत सुधार ला रहे हैं, इसमें संसद ही नहीं सारा देश उनके साथ है। हमें यह बात समझ में नहीं आई कि केंद्रीय विद्यालय में एमपी का दो विद्यार्थियों का कोटा क्यों खत्म किया गया? क्या वजह है कि इस कोटे को खत्म किया गया? इससे हम पांच साल में दस गरीब बच्चों को पढ़ा सकते थे।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please take your seat. Let the Minister reply to the question.
Let there be order in the House.

... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए। आप बैठिए। इतना उत्तेजित नहीं होते हैं।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : हम बड़ी मुश्किल से दो बच्चों को एडमिशन दिलाते थे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हो गए? उनको बोलने दीजिए। समय बहुत कम है फिर जवाब नहीं आएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, हालांकि जो प्रश्न पूछा गया है, उसका कोटे से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी मैं जवाब दूंगा। यह प्रक्रिया लगभग दस साल पहले जब एनडीए सरकार सत्ता में थी शुरू हुई। मुरली मनोहर जोशी जी ने 1000 कोटा अपनी डिसक्रीशन में रखा और हर एमपी को दो का कोटा दिया। यह भी रखा गया कि हर स्टेट में कितना एलोकेशन होगा। जब यूपीए सरकार बनी तब केंद्रीय मंत्री का कोटा 1000 से 1200 किया गया। जब मैंने आंकड़े देखे तो दिल्ली का कोटा 90 था और यहां 900 बच्चे एडमिटेड थे। मैंने आंकड़े देखे...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्हें जवाब पूरा तो करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जय प्रकाश जी, आप बैठिए।

श्री कपिल सिब्बल: केंद्रीय विद्यालय स्कूल किनके लिए बने थे? जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके बच्चों के लिए बने थे, प्रदेश के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बने थे, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए बने थे, कॉरपोरेशन एम्पलाइज के बच्चों के लिए बने थे लेकिन हो यह रहा था कि मंत्री जी हमें बोलते थे, एमपीज हमें बोलते थे और उनके बच्चों का एडमिशन हो रहा था। यह स्कीम के खिलाफ था।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please take your seat. उत्तेजित मत होइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. NARAYANASAMY): On behalf of Shri Prithviraj Chavan, I beg to lay
on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited, Bulandshahr, for the year 2008-2009.
 - (ii) Annual Report of the Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited, Bulandshahr, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2135/15/10)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the year 2008-2009.
 - (ii) Annual Report of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the year 2008-

2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2136/15/10)

- (3) A copy of the Notification No. S.O. 389(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th February, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 262(E) dated the 22nd February, 2007 issued under Section 8 of the Biological Diversity Act, 2002.

(Placed in Library, See No. LT 2137/15/10)

- (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 :-

- (i) S.O. 191(E) published in Gazette of India dated the 27th January, 2010, declaring area around Sultanpur National park as Eco-sensitive Zone.
- (ii) S.O. 3067(E) published in Gazette of India dated the 1st December, 2009, making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

(Placed in Library, See No. LT 2138/15/10)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pollution Control Board, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pollution Control Board, New Delhi, for the year 2008-2009.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 2139/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2008-2009.
(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2008-2009.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2140/15/10)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur, for the year 2008-2009.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 2141/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Educational Research and Training, New Delhi, for the year 2008-2009.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Council of Educational Research and Training, New Delhi, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Educational Research and Training, New Delhi, for the year 2008-2009.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2142/15/10)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Auroville Foundation, Auroville, for the year 2008-2009.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Auroville Foundation, Auroville, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
 - (iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Auroville Foundation, Auroville, for the year 2008-2009.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 2143/15/10)

(5) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Madras, Chennai, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 2144/15/10)

(7) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 2145/15/10)

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Vidya Mission Andhra Pradesh (Sarva Shiksha Abhiyan), Hyderabad, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Vidya Mission Andhra Pradesh (Sarva Shiksha Abhiyan), Hyderabad, for the year 2008-2009.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(Placed in Library, See No. LT 2146/15/10)

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the U.P. Education for All Project Board (Sarva Shiksha Abhiyan), Lucknow, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the U.P. Education for All Project Board (Sarva Shiksha Abhiyan), Lucknow, for the year 2008-2009.
- (12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.
- (Placed in Library, See No. LT 2147/15/10)
- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research, Bhopal, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research, Bhopal, for the year 2008-2009.
- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.
- (Placed in Library, See No. LT 2148/15/10)
- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Practical Training (Eastern Region), Kolkata, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Board of Practical Training (Eastern Region), Kolkata, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 2149/15/10)
- (16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the State Project Office (Sarva Shiksha Abhiyan), Gangtok, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Project Office (Sarva Shiksha Abhiyan), Gangtok, for the year 2008-2009.
- (17) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (16) above.

(Placed in Library, See No. LT 2150/15/10)

- (18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Apprenticeship Training (Northern Region), Kanpur, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Board of Apprenticeship Training (Northern Region), Kanpur, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 2151/15/10)

- (19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research, Chennai, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research, Chennai, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 2152/15/10)

- (20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research, Kolkata, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research, Kolkata, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 2153/15/10)

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Apprenticeship Training (Southern Region), Chennai, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Board of Apprenticeship Training (Southern Region), Chennai, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 2154/15/10)

(22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Goa Sarva Shiksha Abhiyan Society, Panaji, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Goa Sarva Shiksha Abhiyan Society, Panaji, for the year 2008-2009.

(23) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (22) above.

(Placed in Library, See No. LT 2155/15/10)

(24) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maharashtra Prathmik Shikshan Parishad (Sarva Shiksha Abhiyan), Mumbai, 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maharashtra Prathmik Shikshan Parishad (Sarva Shiksha Abhiyan), Mumbai, 2007-2008.

(25) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (24) above.

(Placed in Library, See No. LT 2156/15/10)

- (26) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Mangement Bangalore, Bangalore, 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Mangement Bangalore, Bangalore, 2008-2009.
- (27) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (26) above.

(Placed in Library, See No. LT 2157/15/10)

- (28) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Mangement Indore, Indore, 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Mangement Indore, Indore, 2008-2009.
- (29) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (28) above.

(Placed in Library, See No. LT 2158/15/10)

- (30) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Mangement Kozhikode, Kozhikode, 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Mangement Kozhikode, Kozhikode, 2008-2009.
- (31) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (30) above.

(Placed in Library, See No. LT 2159/15/10)

- (32) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Mangement Ahmedabad, Ahmedabad, 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Mangement Ahmedabad, Ahmedabad, 2008-2009.
- (33) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (32) above.

(Placed in Library, See No. LT 2160/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES
(SHRI VINCENT H. PALA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Narmada Control Authority, Indore, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Narmada Control Authority, Indore, for the year 2008-2009.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2161/15/10)

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the Andhra Pradesh State Irrigation Development Corporation Limited, Hyderabad, for the year 2007-2008.

(ii) Annual Report of the Andhra Pradesh State Irrigation Development Corporation Limited, Hyderabad, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 2162/15/10)

(b) (i) Review by the Government of the working of the U.P. Projects Corporation Limited, Lucknow, for the year 2006-2007.

(ii) Annual Report of the U.P. Projects Corporation Limited, Lucknow, for the year 2006-2007, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 2163/15/10)

12.01 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) No.3 Bill, 2010, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th April, 2010 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”

12.01 ½ hrs.

**COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
5th Report**

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO (ARUKU): I beg to present the Fifth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings on National Aluminium Company Limited (NALCO).

12.01 ¾ hrs.**STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY
5th to 8th Reports**

SHRI RAO INDERJIT SINGH (GURGAON): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Information Technology (2009-10):-

- (1) Fifth Report on Demands for Grants (2010-11) of the Department of Posts (Ministry of Communications and Information Technology).
- (2) Sixth Report on Demands for Grants (2010-11) of the Ministry of Information and Broadcasting.
- (3) Seventh Report on Demands for Grants (2010-11) of the Department of Information Technology (Ministry of Communications and Information Technology).
- (4) Eighth Report on Demands for Grants (2010-11) of the Department of Telecommunications (Ministry of Communications and Information Technology).

12.02 hrs.**STANDING COMMITTEE ON ENERGY
4th to 6th Reports**

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR (DIBRUGARH): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy (2009-10):-

- (1) Fourth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Thirtieth Report (14th Lok Sabha) on 'Role of Central Electricity Regulatory Commission and State Electricity Regulatory Commissions in protection of Interests of Consumers'.
 - (2) Fifth report on Demands for Grants (2010-11) of the Ministry of Power.
-

(3) Sixth Report on Demands for Grants (2010-11) of the Ministry of New and Renewable Energy.

12.02 ¼ hrs.

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT

(i) 6th and 7th Reports

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

- (1) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति का छठा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति का सातवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(ii) Action Taken Reports

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

- (1) 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड' के संबंध में समिति के 35वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का तीसरा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (2) 'शहरी परिवहन' के संबंध में समिति के 37वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का चौथा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (3) 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' के संबंध में समिति के 38वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का पांचवा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(iii) Statement

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं 'संपदा महानिदेशालय' के संबंध में अपने 23वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अनुसरण में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.04 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

National Institutes of Technology (NIT) Council

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): I beg to move the following:

“That in pursuance of clause (j) of sub-section 2 of section 30 of the National Institutes of Technology Act, 2007, the members of the House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Institutes of Technology (NIT) Council for a term of 3 years, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder”.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That in pursuance of clause (j) of sub-section 2 of section 30 of the National Institutes of Technology Act, 2007, the members of the House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Institutes of Technology (NIT) Council for a term of 3 years, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder”.

The motion was adopted.



MADAM SPEAKER: Now, let us take up 'Zero Hour'. Shri P. T. Thomas

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri P.T. Thomas says.

(*Interruptions*) ...*

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): More than one out of five TB patients in the world happens to be a person living in India. It is estimated that annually in India, the disease afflicts about two million people and causing premature death of about three lakh people per year. Our country has made a dramatic response to this threat. The Revised National TB Control Programme, RNTCP, is the world's largest TB control programme which detects and treats over 1.5 million TB cases annually. But the agenda of TB control is unfinished, both at the global level and in India. The UN has called on world leaders and all stakeholders to attend the UN Millennium Development Goals Summit to be held from 20-22, September 2010. For India and for many other countries, it is important that the MDG-6 which calls for combating HIV-AIDS and other diseases including tuberculosis and malaria, is profiled and discussed at the MDG Summit. India should play an important leadership role at the Millennium Summit by showcasing the progress made in the country on TB control and by urging the global leaders and development partners for more research on new technologies and additional funding to realize the dream of TB elimination. I humbly request the Government to take the pro-active leadership role in this endeavour by attending the UN Summit along with a high powered team from India. I also request the Government to constitute a high powered committee at the national level involving parliamentarians, technical experts, NGOs and national programme managers to review the TB control efforts in the country and to develop a strategy for highlighting the needs for global TB control with special focus on India in the UN Summit.

* Not recorded.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): I associate myself with the issue raised by Shri Thomas about TB control programme.

* SHRI NRIPENDRA NATH RAY (COOCH BEHAR): Respected Speaker Madam, I would like to raise an urgent matter of public importance in this august House. You must be aware that the Jute manufacture Development Corporation of India, Jute Corporation of India and Ministry of Textiles were to provide subsidized jute seeds through CMD and JCI to the jute growers of West Bengal, Assam and Agartala, the Capital of Tripura. A decision was taken in this regard. But CMD and JCI Kolkata directly purchase the seeds from Andhra Pradesh's Prasad Seed corporation of Guntur district and at the state level they do not tie up with the district Magistrate or the state or panchayat administration. JCI authorities act according to their whims and fancies and sell these seeds to the big dealers who in turn resort to black marketing. As a result an artificial crisis is created among the genuine jute growers. They are compelled to pay even upto Rs. 200 or Rs. 250 for the seeds which are actually subsidized by the Government. To do away with this kind of artificial scarcity, the Government of West Bengal has decided to disburse 88,494 packets of jute seeds among the cultivators.

Madam, in my district Cooch Behar, JCI has transferred 91.5 metric tonne seeds to the big dealers. The cultivators on the other hand have been deprived of their due share. Thus I suspect that rampant corruption is going on in this part of the state. The JCI authorities are colluding with the dishonest dealers and making profits. Therefore, through you Madam, I demand a full – fledged inquiry into the matter so that the tainted and corrupt officers along with dishonest dealers can be severely punished.

I

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I would like to place before this House some important issues relating to the Railway workers in our country. There are about two lakh posts vacant in the Railways. We know that in every Budget we introduce new railway lines, new railway services but at the same time we see the trend of declining total number of railway employees. About four or five years back, there were 17 lakh Railway employees and now it has come down to 13 lakh. So, these two lakh posts and many of them on the safety side are lying vacant. These posts have to be filled up urgently. Thousands of railway workers have come to Delhi today and they are on strike and are agitating. They are going to place these matters before the Government. So, the matter of filling up the vacant posts have to be taken up very seriously.

As regards other sources, outsourcing has become a very important issue in Railways. Privatisation has come in Railways in different ways and it also denies the actual employment opportunities in Railways. They have been demanding to put a limit of Rs.5 lakh for income tax and also exemption of Fringe Benefit Tax.

As far as the performance of the Railway is concerned, there are cooperative societies which have also become the members of the Railway employees. At the same time, these cooperative societies are functioning in a number of institutions. But the Railway employees are not getting any new share. Therefore, proper election has to be conducted with strict compliance. In our country, the Railway employees are really taking a very active part in the national integration. Therefore, these issues have to be taken up by the Government. The very important issue is with regard to the security aspect. So, all these vacant posts have to be filled up within no time. The Railway Minister should spare some time to discuss these demands with the leaders of employees.

12.11 hrs.

SUBMISSION BY MEMBER

Re : Need to address the problems being faced by victims affected due to natural calamities in Bihar

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज इस देश का एक हिस्सा बहुत मुश्किल में बना हुआ है। पहले कोसी के इलाके में बाढ़ आई और पाँच-छः जो जिले हैं, वे तबाही के दौर से गुज़रे। कई लोगों की मौत हो गई, मकान, सड़क वगैरह सब तरफ तबाही मच गई। अभी तूफान आया और इस तूफान की इंटैन्सिटी साइक्लोन से भी ज्यादा थी। इसमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, सहरसा और मधेपुरा इलाकों में 90 लोगों की जान चली गई। मकान, दुकान और जितनी फसल थी - चाहे मक्का की थी, केले की थी या सूरजमुखी की थी, जो भी थोड़े बड़े पौधे थे, वे पूरी तरह से ज़मींदोस्त हो गए। जो प्राकृतिक विपदा होती है, वह साझा होती है। आप जानते हैं कि बिहार सरकार की कूवत आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर है। मैं कल प्रधानमंत्री जी से भी मिला था। मैं पवन बंसल जी से कहना चाहता हूँ कि जो बाढ़ आयी थी, उससे ज्यादा इस तूफान में लोग मरे हैं। केवल आधे घंटे में ही सब कुछ तबाह हो गया। उस तूफान की रफ्तार तीन सौ किलोमीटर थी। वहां सभी मकान टिन के हैं, जो कि उस तूफान में बर्बाद हो गए। सरकार से मेरा कहना है, पवन बंसल जी आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तबाही हुई है, आपके पास वहां से लोग आते भी रहते हैं। राज्य सरकार अपनी क्षमता के हिसाब से मदद कर रही है। मैं भी रोज़ मॉनीटरिंग करता हूँ, लेकिन यह अकेले राज्य सरकार के कुव्वत में नहीं है। जब बाढ़ आई थी, तब भी आपने मदद नहीं की थी, अब इतनी बड़ी विपदा आयी, तो इसमें भी आपने कोई मदद नहीं की। लाखों लोग तबाह हो गए हैं, उनके घर और रोज़ी-रोटी इसमें चली गई है। लोग भूखों मर रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि आपसे जो भी बन सकता है, वह कीजिए, क्योंकि संकट और विपदा साझा होती हैं। आप सामर्थ्यवान हैं, लेकिन आपका सामर्थ्य बिहार के प्रति दिखता नहीं है। मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ, आज़ादी की लड़ाई से आज तक सबसे ज्यादा तबाह वह इलाका हुआ है। कोसी की बाढ़ के समय एक हजार करोड़ रुपये की मदद के अलावा एक धैले की मदद नहीं की गई, जबकि 14800 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा गया था। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि यह सवाल गंभीर है और सरकार इस पर तत्काल ध्यान देकर राज्य सरकार की मदद करे।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, मैं माननीय सदस्य की बात को संबंधित मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा।

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए, मंत्री जी ने बोल दिया है।

... (व्यवधान)


श्री राकेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय संसाधन मंत्री जी से सम्पूर्ण राष्ट्र में एक समान शिक्षा पद्धति लागू करते हुए कहना चाहता हूँ कि सम्पूर्ण राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाओं में स्वयं को स्थापित करना एक चुनौती है। ऐसे में देश के विभिन्न प्रांतों में असमान पाठ्यक्रम होने के कारण छात्र प्रतिस्पर्द्धा का शिकार होते जा रहे हैं। अब तो तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु इंटरमीडिएट में 80 प्रतिशत अनिवार्य अंक की बात हो रही है। ऐसे में एक समान शिक्षा पद्धति होने से युवा छात्रों को समान परिवेश में अपनी योग्यता प्रदर्शित करनी होगी, जिससे यह भारतीय तकनीकी संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश ले सकें। सभी प्रांतों को अपनी भाषा और संस्कृति के प्रचार-प्रसार तथा शिक्षा के माध्यम की स्वायत्ता का अधिकार बना रहना चाहिए। अतः पूरे देश में एक समान शिक्षण पाठ्यक्रम लागू करने के लिए मैं सरकार से आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए आग्रह करता हूँ।

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदया, शरद यादव जी ने चक्रवात की जो बात उठायी है, मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि सरकार वहां एक केन्द्रीय टीम भिजवाए और वहां का एसैसमेंट करे। मैंने परसों भी इस सवाल को उठाय था। मैं माननीय सदस्य की बात का समर्थन करता हूँ और सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसे गंभीरता से लिया जाए।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं हृदय से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि सदन में लोक महत्व के एक अति महत्वपूर्ण विषय को रखने का मुझे अवसर दिया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन सरकार का ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जब गर्मी का मौसम शुरू होता है और गर्म हवा चलनी शुरू होती है तो पूरे उत्तर भारत के, विशेष कर बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में  संख्या में आग लगने की घटनाएं होती हैं, जिसमें किसानों और मजदूरों का घर जल कर राख हो जाता है और लाखों किसानों के खलिहान, उनकी रबी की फसल भी जल कर नष्ट हो जाती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि गांवों में रबी का खलिहान हर

किसान का लगभग एक जगह होता है और जब आग लगने की घटना घटती है तो पूरे गांव के किसानों की रबी की फसल जल कर राख हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसमें जो सरकार के राहत और मदद का प्रावधान है, वह मात्र 2250 रुपए है, चाहे वह बर्तन, अनाज या किसी भी चीज के लिए हों। यह राशि बहुत ही कम है, इससे किसी को कोई राहत नहीं पहुंच पाती। जो बीपीएल के लोग हैं, जिनका नाम गरीबी रेखा से नीचे है, उन्हें तो इंदिरा आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर आवास के लिए राशि स्वीकृत हो जाती है, लेकिन वैसे मजदूरों और किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता, जिनका नाम बीपीएल की सूची में नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि सब लोगों को एक समुचित राशि की व्यवस्था भारत सरकार करे और खलिहान के जलने पर, चाहे उनकी लाखों की फसल नष्ट हो जाए, उन्हें एक पैसे की राहत की व्यवस्था किसी भी सरकार की तरफ से आज तक नहीं हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस गंभीर विषय का भारत सरकार संज्ञान ले और जिनका नाम बीपीएल की सूची में नहीं है, उनके भी घर के नष्ट होने पर सरकार इंदिरा आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर घर बनाने के लिए उन्हें राशि दें, उनकी मदद करे। साथ ही जिन किसानों के खलिहान जल जाते हैं, उन्हें उनके नुकसान के आधार पर, उसका सर्वे करा कर उन्हें मुआवजा देने की मांग आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से करता हूं और यह कहता हूं कि इनके लिए कोई स्थाई बंदोबस्त किया जाए, राशि की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान उत्तराखंड के जंगलों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां भीषण आग लगी हुई है। आज पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और रामनगर के जंगल जल रहे हैं और इन जंगलों से भीषण प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। जंगली जानवर बेतहाशा भाग रहे हैं। वे या तो आग में झुलस जाते हैं या वे गांव एवं शहरों की तरफ भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में उत्तरखंड की स्थिति बड़ी विकट हो गई है। अभी हाल ही में सन् 2010 में कुम्भ हुआ था, वहां पर भी हरिद्वार के चारों तरफ भीषण आग लगी हुई थी, जिसके कारण कुम्भ में स्नान करने वाले यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गढ़वाली में कहावत है कि कख रह गई नीति, कख रह गई माणा और श्याम सिंह पटवारी ने कख-कख जाना। इसका अर्थ यह है कि कहां नीति रह गई, कहां माणा रह गया और श्याम सिंह पटवारी कहां-कहां जाएगा, अर्थात् उत्तराखंड बड़े विस्तार

में फैला हुआ है और यहां बहुत ज्यादा जंगल हैं। आज ये जंगल धू-धू करके जल रहे हैं। पिछले साल गंगावाणस्यू में आग लगी, लोगों को बहुत कम मुआवजा मिला। गांव वालों के पास आग से लड़ने के लिए कोई सामग्री एवं उपकरण नहीं है। जिस प्रकार से मंत्री जी को मालूम है कि विदेशों में आग बुझाने के लिए हवाईजहाजों का उपयोग किया जाता है, यहां तक कि बमों का उपयोग किया जाता है, जिससे आग बुझ जाए।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार से मिलकर एक ऐसी नीति बनाए और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, जिससे उत्तराखंड के जंगलों में लगी अग्नि शान्त हो सके और लोगों को वहां सामान्य जनजीवन बिताने और रहने का मौका मिल सके। आग से वहां पानी की समस्या भी पैदा हो गई है। आग के कारण पानी के स्रोत सूख गए हैं। वहां टैंकरों और खच्चरों से पानी भिजवाना पड़ेगा।

महोदया, आपने मुझे उत्तराखंड की वेदना दर्शाने और बताने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

KUMARI MAUSAM NOOR (MALDAHA UTTAR): Hon. Speaker, I thank you for giving me this opportunity.

During the course of a month, incidents of fire occurred in different parts of my constituency and in the district of Malda, West Bengal, namely in Tulsihata in Harishchandrapur on 27th March, in Makdompur in Chanchal on 6th April and in Rajnagar in Kaliayachak on 5th April, 2010. In all the cases, the fire broke out accidentally engulfing and destroying about five hundred houses and rendering the people homeless.

I have visited the areas and observed the helplessness of the victims. The affected people have been shattered as all their valuables and assets like livestock, cattle, grains, food, especially their homes and their shelters have been reduced to ashes. The State Government of West Bengal has failed to provide adequate relief to these homeless victims. Although this comes under the jurisdiction of the State Government, the people have lost faith in the local Government.

Under the present circumstances, I would like to appeal to the Central Government, through you, to take necessary steps for providing relief and support to the poor people and give them aid for re-building their houses.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, किसी भी देश या राज्य के पूर्ण विकास के लिए बिजली आधार-स्तम्भ और रीढ़ होती है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ इस सम्माननीय सदन में कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य में गम्भीर संकट के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। जितनी बिजली की जरूरत बिहार राज्य को है, केन्द्र सरकार उतनी बिजली नहीं दे पा रही है। बिहार में अभी बिजली संकट है और बरकरार रहेगा, क्योंकि बिजली की खपत और मांग बढ़ रही है। कृषि के लिए बिजली एक अभिन्न अंग है। बिना बिजली के कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती है, फिर भी केन्द्र सरकार, बिहार राज्य को उसकी वर्तमान जरूरत 1600 मैगावाट की जगह केवल 800 से 900 मैगावाट से ज्यादा बिजली मुहैया नहीं करा पा रही है। राज्य में बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। राज्य सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए काटे और बरौनी ताप बिजली केन्द्रों में सुधार ला रही है। नए ताप बिजली केन्द्रों के निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन उनके निर्माण में भी बाधाएं आती जा रही हैं। वहां एन.टी.पी.सी. के कई अपने केन्द्र हैं, वे भी कम बिजली उत्पादन कर रहे हैं। जो बिजली राज्य को केन्द्र से मिलती है, उस में से कुछ बिजली उसे को रेल और सैनिक छावनियों को देनी पड़ती है। राज्य सरकार ने कोशिश की है कि पनबिलजी से बिजली हासिल करे और गैर-परम्परागत स्रोतों से बिजली उत्पादन हो सके, लेकिन उसमें भी बाधा पड़ रही है।

मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिजली संकट के मुद्दे पर केन्द्र सरकार, बिहार सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और खासकर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना राज्य में पूरी तरह फेल हो रही है। उसमें बी.पी.एल. परिवारों को बिजली दी जाती है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि बिहार राज्य के नालंदा जिले में 1000 बी.पी.एल. परिवारों को भी बिजली का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो परिवार इस योजना का वास्तव में लाभ उठा रहे हैं, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत केवल 16 केवीए के ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से बिजली दी जाती है। वे भी थोड़े ही दिनों में ही जल जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सभी बी.पी.एल. परिवारों को 100 केवीए के ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से बिजली देने की कृपा की जाए। यही बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में नक्सलग्रस्त जिलों में नक्सलियों द्वारा मारे गए पुलिसकर्मियों के परिजनों की स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं। जनवरी 2009

से अब तक नक्सलियों द्वारा लगभग 145 लोग मारे गए हैं जिनमें 60 पुलिसकर्मी हैं। विदर्भ के गडचिरोली जिले में अब तक तीन अत्यन्त हिंसक वारदातें हुईं।

विदर्भ में नक्सलवाद से निपटने के लिए लड़ते हुए जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके परिजनों की राज्य सरकार की ओर से घोर उपेक्षा हो रही है। विदर्भ के नक्सलग्रस्त क्षेत्र में पिछले वर्ष 54 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से मुआवजे के कई आश्वासन मिले हैं, किंतु वास्तव में अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। पिछले वर्ष के दिसम्बर के पहले सप्ताह में चंद्रपुर में आयोजित एक सम्मेलन में शहीद पुलिसकर्मियों की 29 विधवाओं ने इस बारे में दुख व्यक्त किया। पिछले वर्ष दिसंबर, 2009 में नागपुर में चले विधानसभा सत्र के दौरान इन विधवाओं ने अपनी मांगों के संबंध में आंदोलन भी किया था।

कुछ राज्यों में ऐसे शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को 25 लाख रूपए मुआवजे के तौर पर दिए गए हैं, लेकिन विदर्भ में ऐसी विधवाओं को सिर्फ आश्वासन ही दिए गए हैं। इतना ही नहीं मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को पेट्रोलियम मंत्री ने शहीदों के घर जाकर पेट्रोल पंप दिए, लेकिन इन विधवाओं के साथ न्याय नहीं हुआ है। गडचिरोली में मारे गए पुलिसकर्मियों को शहीदों का दर्जा दिया गया। भरपूर मुआवजा देने की घोषणा की गई। परिवार के सदस्य को नौकरी, शहीदों की विधवाओं को पेंशन आदि देने की बात कही गयी, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से आतंकी हमलों में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिजनों को यथेष्ट पेंशन और अनुदान राशि दी जाती है उसी प्रकार से नक्सली हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिजनों को शीघ्र सहायता पहुंचायी जानी चाहिए और केंद्रीय सरकार की तरफ से भी उनको पेंशन और अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Madam, I spoke on the issue which I had given notice of. While the discussion was on in respect of the Demand for Grant of the Ministry of External Affairs, I spoke on it. If you could allow me, I have another important issue which I want to raise right now.

MADAM SPEAKER: Do you want to raise another issue?

DR. MIRZA MEHBOOB BEG : Yes, Madam. Because I spoke about that yesterday while we were discussing the Demand for Grant of the Ministry of External Affairs.

MADAM SPEAKER: I have not got the notice. I do not know about it. You can give a fresh notice.

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): महोदया, मेरे क्षेत्र सुपौल जिले में, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां विगत वर्ष 2008 में जो बाढ़ आयी थी, उसमें जो बहुत सारी ग्रामीण सड़कें थीं और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें थीं, वे सारी नष्ट हो गयीं। नरेगा के तहत जो प्रक्रियायें हैं, उसके तहत ग्रामीण सड़कें नहीं बन पाती हैं और वे नहीं बन पायी हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जितनी सड़कें थीं, वे नष्ट हो गयी हैं। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वे काम नहीं कर रही हैं। सारी एजेंसियां कहती हैं कि रिवाइज्ड एस्टीमेट नहीं हुआ है या केंद्र से कोई आदेश नहीं है, इसलिए वे इसे नहीं बना पा रही हैं। इससे हमारे क्षेत्र में सारा आवागमन ध्वस्त है। प्रधानमंत्री योजना की जितनी भी सड़कें हैं, अनुश्रवण समिति को कहते हैं तो वह कहती है कि जब तक रिवाइज्ड रेट नहीं होगा, हम नहीं बना पाएंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जितनी भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हैं, अगर अपने स्तर से केंद्रीय एजेंसी नहीं बनाती है, तो बिहार सरकार को हैंड ओवर कर दें, ताकि वह उन्हें बनवाये। नरेगा के तहत ग्रामीण सड़कें नीतियों के कारण नहीं बन पाती हैं, उसके लिए कुछ ऐसा आदेश दें ताकि जो ग्रामीण सड़कें टूटी-फूटी हैं, वे बन जाएं। धन्यवाद।

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Thank you, Madam. I would like to draw the attention of this august House to a matter of great concern, that is, the human cost of the Commonwealth Games. Of course, we have to prepare for the Games but the long-term impact on the poorer sections should not be overlooked.

The *Outlook* Magazine has reported that an estimated one lakh families in Delhi have been evicted ruthlessly and their huts have been demolished to beautify the city. Since they have not been rehabilitated, these people have been abandoned on the roadside. The hon. High Court of Delhi has also noted this.

There is an apprehension that after the Games, there will be 30 lakh homeless people in Delhi including the 15 lakh migrant labourers.

There have been reports of blatant violations of labour laws also. Out of the 12 lakh workforce employed by the Commonwealth Games organizers, only 22,000 workers are registered. Except the registered few, all others are not receiving even the minimum wages, insurance cover and other benefits. What is astonishing is that over 70 deaths have already taken place during construction work and due to unhealthy conditions prevailing at the living quarters of the labourers.

Further it has also been reported that over 2,000 boys aged between 14 and years are working at several Games sites in gross violation of labour laws. It is shocking that child labour and other violations of labour laws are happening right under the nose of the Central Government. Hence I urge upon the Central Government to take stern and immediate action against these violations of labour laws and also to ensure proper rehabilitation of the evicted people.

SHRI NITYANANDA PRADHAN (ASKA): Madam Speaker, I would like to raise a matter regarding the disaster that my district is facing. As you know, in Ganjam District of Orissa, there is a port called Gopalpur. On 5th or 6th of April, one ship carrying coal from Indonesia came and when it anchored, oil from that ship leaked and that oil spread over about 30 kms. on both sides of the ship with the result the Olive Ridley turtles and fish have died. They are lying on the seashore. Apart from that, fishing is the only source of livelihood of the fishermen living in that area and they are also suffering. It is learnt that some virus is there and if that virus is introduced into the sea water, they will eat away that oil portion thereby the natural calamity can be averted. Earlier also, such a disaster took place in Paradip Port and for a very long time, oil was leaking from another ship. This is occurring very frequently and so this is a very serious matter. Hence, through you, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Environment and Minister of Shipping towards this matter and request that immediate action should be taken to prevent such recurrences. As per law, the old ships which have completed more than 20 years of service should not be allowed to enter into the

port. This is the legal provision. I hope the hon. Minister will look into the matter. For that, I request your honour's intervention.

श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं जिस जनपद सोनभद्र से चुनकर आया हूँ, वह सुरक्षित क्षेत्र है। मेरा प्रान्त बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। वहां एक हिस्से में सिंचाई होती है और तीन हिस्से में पहाड़ी एरिया है, जहां आदिवासी, वनवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग बसे हुए हैं। पहले उनकी सावां, कोदों, मक्का की खेती सूख गई जिससे 80 प्रतिशत गरीब लोगों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। सोनभद्र में वैध, अवैध रूप से रोज हजारों ट्रक बालू की लोडिंग होती है। वे गरीब आदिवासी बालू की लोडिंग करके मजदूरी पाते थे और अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करते थे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हजारों ट्रक बालू पुकलेन नाम की मशीन द्वारा ट्रक में लादा जा रहा है। इससे वहां के गरीब लोग एकदम भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। कुछ लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं और कुछ भुखमरी झेल रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल निर्देश देकर पुकलेन मशीन को बंद करवाया जाए और बालू की लोडिंग मजदूरों से करवाई जाए ताकि उन्हें भुखमरी से बचाया जा सके।

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Thank you, Madam, for your kind permission to raise this matter.

I would like to draw the kind attention of the Minister of External Affairs that Kuchlibari Embankment on River Teesta under Mekliganj sub-division in the District Cooch Behar in West Bengal has become a continual menace in the life of the people of Kuchlibari village in the absence of an embankment guarding on the Indian side border surrounding the village of Dohagram and Angrapota under Bangladesh Administration. Though there is an embankment on the Indian side to check the flow of flood water of the river Teesta, the open place in the Bangladesh side allow the flow of flood water unabated on the Indian side and this floods the entire village on the Indian side.

So, I would request the Minister of External Affairs to take up the matter with the Bangladesh Government to allow our Government to construct a dam

along the space prohibiting the flood water of the river Teesta from Dohagram and Angrapota in Bangladesh enclave.

SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): Hon. Speaker, Madam, thank you for your kind permission to raise this matter in today's 'Zero Hour'.

Madam, Coimbatore Municipal Corporation, Tamil Nadu is constructing apartments under JNNURM Scheme, a Centrally sponsored scheme, at Amman Kulam and Ukkadam. The total estimated cost is Rs. 117.49 crore. The proposed building is multi-storeyed consisting of 160 apartments (3840 houses). The work commenced in August 2009. To our surprise, four apartments have collapsed on 3rd of April 2010 and 18th of April 2010.

During the tenure of our AIADMK Party under the dynamic leadership of our Leader Dr. Puratchi Thalaivi Amma, the location has been rejected for the construction of building through Slum Clearance Board stating that this is unfit for construction of apartments. The then Minister of Housing Thiru S.M. Velusamy and the then Chairman of Slum Clearance Board Thiru N. Balaganga, M.P. inspected the place and decided not to proceed with any construction activities in these places.

The proposed World Tamil Conference is to be held at Coimbatore in the near future. Due to this reason, the Government has decided to construct the building which was certified as unfit for construction by previous AIADMK Government. Moreover, the remaining construction is also not good and may collapse any time. The quality of the construction is also very bad. Had the accommodation been allotted last month to the beneficiaries, there might have been more than five thousand casualties.

Since this scheme is being implemented through Central Government under JNNURM, the Government should come forward to enquire it thoroughly by initiating the CBI enquiry and to punish the guilty at the earliest.

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): अध्यक्ष महोदया, पिछले वर्ष दक्षिण-पश्चिमी मानसून के नाकाम होने से खरीफ की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा था। इससे कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर वर्ष 2004 से लेकर 2008

तक 4.4 प्रतिशत रहा था, वह वहां से गिरकर नेगेटिव में हो गया था। वह वृद्धि दर 0.4 परसेंट नेगेटिव में रहा था। इसके बावजूद पंजाब के किसानों ने डीजल का इस्तेमाल करके अपनी फसल को पाला और भारत की खाद्यान्न सुरक्षा की रक्षा की। उस बात की सराहना इस सदन में वित्त मंत्री और कृषि मंत्री जी ने भी की थी। इस वर्ष फिर रबी की फसल आई है, क्योंकि जो वातावरण बदल रहा है, इस वातावरण के बदलने से अत्याधिक गर्मी पड़ी। इससे उत्पादन में 20 प्रतिशत का नुकसान इस बार फिर से हो गया है। यह बहुत गंभीर विषय है कि पंजाब में प्रति एकड़ 21 क्विंटल कणक हुआ करती थी, वह गिरकर 15 से 16 क्विंटल रह गयी है और चौंतालिस सौ रूपए से पचपन सौ रूपए प्रति क्विंटल किसान को नुकसान हुआ है। पहले खरीफ की फसल की मार पड़ी, अब रबी की फसल की मार पड़ी है, इतनी मार पंजाब का किसान नहीं झेल सकता है। इसके बड़े दूरगामी परिणाम भारत की खाद्यान्न सुरक्षा पर पड़ेंगे। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप केन्द्र की एक टीम भेजिए, पंजाब, हरियाणा एवं अन्य बाकी हिस्सों में, जहां पर इस वातावरण से नुकसान हुआ है, असेस कराइए कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है और तुरंत उन किसानों को मुआवजा प्रदान कराइए क्योंकि ये किसान अपनी मेहनत से भारत की खाद्यान्न सुरक्षा की रक्षा करते हैं। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है कि जब उनके ऊपर प्राकृतिक आपदा पड़ी है, तो सरकार उनके साथ खड़ी दिखनी चाहिए।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देते हुए आपके माध्यम से सदन के सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र बुनकर बाहुल्य इलाका है, वहां बुनकरों की संख्या लगभग एक लाख से ज्यादा है। वहां पर गरीबी इतनी ज्यादा है कि वहां के बुनकर अपनी रोजी-रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। उनके पास कला और हुनर है, लेकिन ये सारी चीजें होते हुए भी वहां पर उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो सरकारें देती हैं, विशेषकर केन्द्र सरकार जो सुविधाएं हरियाणा, गुजरात एवं अन्य प्रांतों के बुनकरों को देती है, वह नहीं प्राप्त है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुनकरों की कला और हुनर प्रसिद्ध है। खलीलाबाद, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, मऊ जनपद के बुनकर अपनी कला के लिए मशहूर हैं। मैं उनकी कतिपय समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहता हूं। बिलो पावर्टी लाइन से भी नीचे जीवनयापन करने वाले हमारे यहां के ये बुनकर सहानुभूति के पात्र हैं। मैं बिन्दुवार कुछ प्रोग्राम्स आपके सामने रखना चाहता हूं, यदि इनमें सरकार मदद देगी तो निश्चित रूप से उनका जीवनयापन सुविधाजनक हो जाएगा :

वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी बैंक बुनकरों के कर्जदार होने के कारण कर्ज देने में आनाकानी करते हैं। ऐसी स्थिति में बुनकरों के लिए अलग से बैंक की व्यवस्था बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में की जाए, जिससे कम ब्याज दर पर बुनकरों को ऋण दिया जा सके।

बुनकरों द्वारा उत्पादित माल की निकासी हेतु देश एवं प्रदेश के बाहर, पूर्व की भांति बड़े-बड़े शहरों में प्रदर्शनियों का आयोजन कम से कम एक माह की अवधि के लिए किया जाए। उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा की गयी बिक्री पर कम से कम 20 प्रतिशत की छूट भारत सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। प्रतिभागियों पर यदि किसी प्रकार का कर्ज अवशेष है, तो उस धनराशि की कटौती करने के पश्चात् शेष धनराशि का भुगतान प्रदर्शनी स्थल पर ही प्रतिभागियों को किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

वर्तमान समय में आधे हॉर्स पावर से चलने वाले पावरलूमों पर उत्पादन किया जा रहा है। यह साधारण बात है कि इसमें बाइण्डिंग, वॉर्पिंग और बीटिंग हाथ से ही की जाती है। यह मशीन आधुनिक नहीं है, इस पर जो उत्पादन होता है, वह हथकरघा से थोड़ा अधिक होता है। ऐसी स्थिति में इस तरह के पावरलूम को हथकरघा का दर्जा प्रदान किया जाए। हथकरघा का दर्जा प्रदान करते समय चार पावरलूमों से अधिक संख्या में कार्य करने वाले बुनकर को इकाई के रूप में माना जाए।

अवस्थापना को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक हित में स्वास्थ्य, शिक्षा, नाली, सड़क, पानी, बिजली, साफ-सफाई आदि सुविधाएं बुनकरों को बुनकर क्षेत्रों में उपलब्ध कराने हेतु इन्हें बीपीएल सूची में शामिल करते हुए विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में केन्द्रीय उपभोक्ता केन्द्र एवं सेंट्रल सोसाइटी की तरह के केन्द्रों पर इनके उत्पादित वस्त्रों को खरीद कर बेचा जाए। इसके तहत इन्हें भी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन कम से कम 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की जाए। अस्पतालों, रेलवे एवं पुलिस विभाग के ड्रेस मेटिरियल, पर्दे, बेडशीट्स, टॉवल्स आदि का उत्पादन कराकर बुनकरों को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत आच्छादित कराने की व्यवस्था पर विचार किया जाए।

प्रदेश के प्रत्येक परिक्षेत्र में कार्य करने वाले बुनकरों को एक समान पहचान पत्र निर्गत किए जाने की आवश्यकता है। इससे जहां बुनकरों को अपनी पहचान में परिचय पत्र के माध्यम से दिए जाने वाले शासकीय लाभ में सहायता मिलेगी, वहीं इनके परिवार को विभिन्न योजनाओं एवं वित्तीय सहायताओं के क्रियान्वयन में काफी मदद मिलेगी। यह परिचय पत्र हथकरघा एवं पावरलूम क्षेत्र के लिए अलग-अलग पहचान के लिए मुख्य रूप से जरूरी है। बुनकरों को परिचय पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से उनकी देखरेख में सर्वे कराकर उपलब्ध कराने पर विचार किया जाए, जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

प्रदेश में आधुनिकता के युग में स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले कपड़ों में जो कलाएं प्राचीन काल से हमारे गौरव का विषय रही हैं, वह फैशन युग में विलुप्त हो रही हैं। अतः बुनकरों के मध्य इस कला

को बचाने के लिए विशेष सुविधाओं को दिया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि सूत की महंगाई उचित मूल्य पर कपड़ों का न बिकना इसका मुख्य कारण है।

प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों को क्रमशः पलायन होने के बाद पावरलूम प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बुनकर हित को ध्यान में रखकर इनके लिए भी विशेष योजना का पैकेज बनाकर लाभ प्रदान किया जाना आज की आवश्यकता है। पावरलूम बुनकरों की पंजीकरण एवं इन्हें पहचान पत्र प्रदान कर बिजली, विपणन, सूत व मजदूरी आदि की व्यवस्था अति आवश्यक है। बाल श्रमिक के परख/आरक्षित वस्त्रों के पहचान की भी आवश्यकता है।

भारत सरकार के सहयोग से आईसीआईसीआई लोमबार्ड जनरल इन्श्योरेंस कं, लि. द्वारा संचालित है। राज्य सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के लिए इस योजना के अंतर्गत कार्य आच्छादित किया जाता है। योजना में हथकरघा एवं पावरलूम पर बुनाई का कार्य करने वाले सहयोगी बुनकरों का कार्य एक समान है। अतः योजना में इन्हें भी सहयोगी बुनकर के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक है। स्मार्ट कार्ड की तरह बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा से संबंधित लाभ प्रदान करने पर विचार किया जाए, जिससे स्मार्ट कार्ड की तरह ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, ग्रुप एप्रोच, विपणन सहायता आदि सम्बन्धी प्रस्ताव प्रेषित किए जाते समय बकायेदार होने की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बुनकरों के प्रस्ताव पर विचार किए जाने पर छूट प्रदान की जाए। बकायेदारी का प्रतिबंध हटाकर एवं बिक्री तथा टर्न ओवर को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं।

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि आपने विस्तार से दस बिंदुओं में अपनी बात को सदन में रख दिया है।

श्री भीष्म उर्फ कुशल तिवारी शंकर : यह योजना हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में बुनकरों का जीवन स्तर उठे, यह मेरी केन्द्र सरकार से अपील है। जिससे उनके जीवन में खुशहाली आ सके।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर और संतशिरोमणि गुरु रविदास के सम्मान की रक्षा करने सम्बन्धी विषय पर बोलने का अवसर दिया। भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेडकर तथा संत शिरोमणि गुरु रविदास के सम्मान को चोट पहुंचाने की अनेकों-अनेक घटनाएं होती रहती हैं। उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

तीन दिन पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद, थाना बाललटर गंज, ग्राम भादी मजहरिया में दिनांक 18 अप्रैल रात को असामाजिक तत्वों द्वारा दोनों मूर्तियों के हाथ व कान तोड़ दिए गए। जिससे पूरे क्षेत्र में, दलित समाज में व्यापक उत्तेजना है। गांव के लोगों ने बासी बस्ती मार्ग पर रोड को जाम करने की धमकी दी, लेकिन प्रशासन के समझाने पर उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि जो अराजक तत्व इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगा। तब उन्होंने रोड जाम करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक न तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ और न ही कोई गिरफ्तारी की गई है। दलितों का आरोप है कि पुलिस सत्ता दल के लोगों के दबाव में मूर्ति तोड़ने वालों का बचाव कर रही है।

इससे पूर्व भी वर्ष 2005 में इन मूर्तियों को तोड़ा गया था, लेकिन उस समय मामला रफा-दफा कर दिया गया। इसी प्रकार गोरखपुर जनपद के थाना बेलीपार स्थित एकला बाजार में दिनांक 28 फरवरी, 2010 को बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया गया, जिससे कारण स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और लोगों ने होली न मनाने का निर्णय लिया। प्रशासन के समझाने पर तथा नई मूर्ति स्थापित करने के बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ, लेकिन मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी केवल दलितों के ही मसीहा नहीं हैं, बल्कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। इनके मान सम्मान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और पूरे समाज की है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में जहां कहा जाता है कि दलित समाज से संबंध रखने वाली मुख्यमंत्री हैं, वहां दलितों से संबंधित महापुरुषों के मान सम्मान की रक्षा नहीं हो रही है। मात्र अपनी मूर्ति लगाने से अपने आपको महिमा मंडित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे जो पहले महापुरुष रहे हैं, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए।

मेरा निवेदन है कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि इस प्रकार के मामलों में कठोरतम कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): महोदया, माननीय सदस्य ने जिन घटनाओं का उल्लेख किया है, वह बहुत खेदजनक हैं। मैं अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

SHRI SURESH KUMAR SHETKAR (ZAHEERABAD): Madam Speaker, I thank you very much for giving me this opportunity to raise an urgent matter of public importance.

As the House is aware that the students would be appearing for their exams during March and April all over the country. They start their preparation for their studies from January itself to enable them to concentrate on their studies properly. We are also aware that the students' education is very much important in their life. We cannot get back the time of their studies once they lose it.

There is no doubt that we should encourage the sports like cricket and IPL, which have brought fame to our country internationally during the last three years. But my point is that the timing of the IPL matches is not appropriate keeping in mind the career of the students. Students and even parents are very much crazy about Cricket in our country. When on the one hand, the Government is earning a handsome amount of income from the IPL matches, on the other hand the Government must also think about the timing of students exams before finalizing the schedule of the IPL matches. Keeping in mind the career of the students, there is a need to conduct the IPL matches only after exam season because education is a must for children to prosper in future. Parents of the students are worried about the children's future. Nowadays, students from KG to PG and even parents are all sticking themselves to TV sets in watching and discussing about the IPL matches. This situation is completely damaging the life of the students.

Madam, I would, therefore, request the hon. Minister of Sports and Youth Affairs to intervene in the matter to avoid conducting the IPL matches during exam time. Keeping in mind the exam schedules of the Indian students on top priority, these IPL matches may be conducted only after their exams are over.

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.00 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

14.03 hrs

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Three Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Matters under Rule 377. Shri Adhir Chowdhury.

(i) Need to open a railway booking counter at Kandi in Murshidabad district of West Bengal

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): In the Railway Budget, the Minister has proposed to open railway ticket booking counters at district headquarters and village panchayats with infrastructure support from local government/semi urban authority and private organizations.

The people of Kandi use to travel either to Salar, Berhampur in Murshidabad district or to Sainthia in Birbhum district to book ticket for reservation of berth in any train they choose to travel and thus face a lot of inconveniences. The Kandi Municipality has even offered space free of cost to the Eastern Railway for setting up a Railway Reservation counter. It has also offered to provide electricity and water required for running a reservation counter but nothing has been done by the Railways so far to open a counter.

I, therefore, request the Railway Minister to open a reservation counter in Kandi Municipality in order to have easy access to Railway tickets.

**(ii) Need to extend facilities of BPL household to the people
whose thatched houses were gutted in a fire
in Barmer Parliamentary Constituency, Rajasthan**

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में 70 प्रतिशत लोग घास की बनी झोंपड़ियों में रहते हैं और घास के कारण बनी झोंपड़ियाँ अक्सर आगजनी की शिकार होती रहती हैं, जिसके कारण उनकी सारी सम्पत्ति जलकर राख हो जाती है और लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है और उन्हें सिर छिपाने की जगह नहीं मिल पाती है। आगजनी के कारण उनकी सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। जिन लोगों के घर आगजनी के शिकार हुए हैं, उनके परिवारों को भी गरीबी रेखा के नीचे मिलने वाली सुविधाएं दी जाएं और उन्हें इन्दिरा आवास की सुविधा प्राथमिकता के आधार पर मुहैया करवायी जाये।

**(iii) Need to provide title deeds to farmers to facilitate
land transaction in Idukki district, Kerala**

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Sir, the farmers in Idukki district are facing a grave situation today due to land-related issues. It is very necessary to do the land survey and revenue settlement to demarcate the forest land and agriculture land. On the basis of the Land Assignment Act of 1964, title deed should be granted to all those farmers who were possessing land before 1st January, 1977. The land that should be definitely preserved, such as fragile land and ecologically sensitive area should be pre-informed to farmers. The farmers are now struggling to do land transactions because title deeds are holding at village offices. The financial institutions are acquiring agriculture land which is a violation under the SARFAESI Act.

I would, therefore, urge the immediate intervention of the Central Government in the matter.

(iv) Need to constitute Vigilance and Monitoring Committees to oversee implementation of various agricultural schemes

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Sir, agriculture is the mainstay of our economy and contributes nearly 20 per cent to GDP. Agriculture depends on vagaries of monsoon and nearly 60 per cent of the area sown is dependent on rainfall. Government is implementing various schemes and programmes for agriculture sector like Watershed Programme for development of degraded land, Micro-Management Scheme, Agriculture Mechanization, Plant Protection Scheme, Technology Missions for Oilseeds, Pulses, Maize, Cotton, Horticulture, National Food Security Mission and other schemes through which the Government provides financial and other assistance to States for improving agriculture productivity and ameliorating living conditions of our farmers. The Government is also helping animal husbandry with an idea to help the landless, small and marginal farmers. But, unfortunately, there are no Vigilance Committees to monitor various schemes/programmes.

The Ministry of Rural Development has constituted Vigilance and Monitoring Committees in all districts by making the local Member of Parliament as its Chairman. The objective is to ensure quality of expenditure in view of large public funds being spent under various programmes. The Vigilance and Monitoring Committee would keep a watch on implementation of various schemes/programmes as per guidelines and liaise and coordinate with various agencies concerned.

In spite of having more budget and various programmes and schemes being implemented by the Ministry of Agriculture, there are no Vigilance and Monitoring Committees at district level to oversee effective implementation of the

schemes/programmes. So, I would request the hon. Minister of Agriculture to take necessary steps for constitution of Vigilance and Monitoring Committees in every district for effective implementation of schemes/programmes which will help in increasing agriculture productivity and also improving living standards of farmers.

**(v) Need to construct railway overbridges/under-bridges in Malkajgiri
Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh**

SHRI SARVEY SATYANARAYANA (MALKAJGIRI): Sir, I would like to draw the kind attention of this august House regarding the problems being faced by the commuters due to the insufficient railway overbridges and railway under-bridges in my constituency – Malkajgiri in Andhra Pradesh.

I have suggested on a number of occasions that construction of railway overbridges and railway under-bridges are to be taken up on a war-footing. The people of my constituency are facing hardships due to heavy vehicular traffic. There are many instances when people lost their lives on account of the accidents due to the negligence of the railway authorities for not taking up the railway overbridges and railway under-bridges including the safety measures at various railway level-crossings. I have brought to the notice of the concerned Railway authorities including the hon. Minister of Railways on various occasions that these projects may be cleared on top priority basis to save the lives of the innocent people. I have suggested that projects be taken up in places like Ghatkesar, Medchal, Malkajgiri, Neredmet, Safilguda, Anand Bagh, Cherlapalli and few other areas in my constituency. But the Railway authorities have not taken up the projects seriously so far.

I would, therefore, request the hon. Minister of Railways to intervene in the matter and give necessary instructions to the concerned railway authorities to expedite all such pending project proposals in consultation with the local MP to suggest the areas wherever such railway overbridges and railway under-bridges are required in my Malkajgiri constituency in the remaining period of Eleventh Five-Year Plan by announcing a special package.

(vi) Need to set up a railway station at Pulamon in Kerala

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Kollam-Punalur broad gauge line work is completed few days back. This line is under Madurai Division in Southern Railway. On this line, Kottarakkara is one of the busiest towns and also taluk headquarters. But this railway station of Kottarakkara is situated three kilometers away from the town. This is very inconvenient to the passengers. If a passenger gets down at Kottarakkara railway station, he has to pay higher amount to taxi and auto-rickshaw to reach Kottarakkara town.

The people of Kottarakkara as well as the passengers from Kottarakkara are demanding to set up a town railway station in Pulamon nearby Kottarakkara. The National Highway No. 208 and the Main Centre Road (MC Road) also connects Pulamon. If the Railways set up a town railway station in Pulamon, that will be of great help to the people as well as the commuters of Kottarakkara. I, therefore, strongly demand and urge the Ministry of Railways to set up a town railway station at Pulamon at the earliest.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Arjun Ram Meghwal – not present.
Shri Virendra Kumar – not present.
Yogi Aditya Nath – not present.
Shri Kabindra Purkayastha – not present.
Shri Shailendra Kumar – not present.

**(vii) Need to complete construction of railway over bridge
at Kasya-Deoria Road in Deoria Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh**

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र देवरिया सदर में पड़ने वाले विधान सभा देवरिया के कसया देवरिया सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज का कार्य अर्धनिर्मित होकर बंद बड़ा हुआ है जिसके कारण लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है एवं इस क्रॉसिंग पर घंटों जाम रहता है। लोग फाटक बंद होने पर भी अपने दुपहिया वाहनों को निकालते हैं जिसके कारण कभी भी गंभीर घटना हो सकती है। अगर यह ओवरब्रिज बन जाए तो इस क्रॉसिंग से आने जाने में बहुत सुविधा होगी।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि लोगों की परेशानी एवं शहर की ट्रैफिक समस्या को देखते हुए उपर्युक्त ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाए।

**(viii) Need to extend Samastipur-Khagaria Passenger Train (Train No. 364)
up to Saharsa Junction in Bihar**

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): महोदय, पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत मानसी-सहरसा रेलखंड के बीच पैसेंजर गाड़ियों की कमी के कारण रेल यात्रियों को भारी कठिनाई हो रही है जिससे दोपहर में चलने वाली हाटे बाजारे एवं इंटरसिटी एक्सप्रेस को लोग बीच-बीच में रोककर प्रभावित करते हैं। गाड़ी संख्या 364 डाउन समस्तीपुर-खगड़िया पैसेंजर खगड़िया जंक्शन पर 11.15 बजे पहुँचकर, उसके रैक एवं इंजन लगभग पाँच घंटे तक खगड़िया में ही रुकी रहती है। खगड़िया से सहरसा की दूरी मात्र पचास किलोमीटर है, पैसेंजर गाड़ी को खगड़िया से सहरसा जाने एवं आने में मात्र दो घंटे तीस मिनट लगते हैं। उक्त गाड़ी का सहरसा तक विस्तार करने से रेल यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ रेलवे को आर्थिक लाभ भी मिलेगा, साथ ही दोपहर में चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी भी सुगमतापूर्वक चलेगी।

अतः गाड़ी संख्या 364 डाउन समस्तीपुर-खगड़िया पैसेंजर गाड़ी का विस्तार खगड़िया जंक्शन से सहरसा जंक्शन तक किया जाए।



(ix) Need to accord approval to the proposal of Brutanga Irrigation Project submitted by Government of Orissa

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Nayagarh district in Orissa is one of the backward and under developed districts in the State. It has very low irrigation potentiality having 7 per cent irrigation facilities. Since there is no industry in the district, 90 per cent of the population depends on agriculture. Hence, unless irrigation potentiality is enhanced, economical status of the district cannot go up. The major Brutanga Irrigation Project was visualized and survey work was undertaken 15 years ago. This project is proposed to be constructed across a perennial River Brutanga, and it is estimated that more than 25,000 hectares of agricultural land can be irrigated. This project has received approval from the Central Water Commission (CWC). The Government of Orissa has sent proposal to the Ministry of Environment & Forests, Government of India for according forest clearance.

I urge upon the Government to please accord necessary approval for the project.

(x) Need to provide Central Government pension to the freedom fighters

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to place before the House some serious issues of freedom fighters of our country. The Government of India has already identified the freedom struggles in various parts of our nation. The Government has also directed the State Governments to form Screening Committees to identify the deserved persons in these struggles. Accordingly, various State Governments have constituted district-wise and State-wise Committees. These Committees have finalised the list of freedom fighters with proper verifications.

The State Government has already sanctioned State freedom fighters pension and requested the Central Government for Central pension also. Freedom fighters have individually given the representations to the Central Government. The Central Government has sanctioned few of these applications and most of them are rejected. There is no justification for the denial of the representations of the freedom fighters who scarified their lives for this country. The number of freedom fighters who are still alive are few in number and many of them are in sick conditions. They are not able to go to the judicial courts for justice. The Government have already identified the struggles of Kayyur, Karivellur, Punapravayalar, Thebhaga, Thelugana, Goa and some other in various parts of the country. Though concerned State Governments have sanctioned freedom pensions to them, but the Central Government have selected very few among them. It is sad that even after 62 years of our Independence we could not show justice to those who fought for this country. So, I request the Government to take immediate steps to sanction the Central Government pension to those who have already received the State pensions.

**(xi) Need to set up a Radio Station in Dausa Parliamentary Constituency,
Rajasthan**

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): राजस्थान के दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर जिलों में वर्तमान में एक भी आकाशवाणी केन्द्र नहीं है। इन चारों ही जिलों में प्रदेश की अधिसंख्य जनजाति निवास करती है और ये सम्पूर्ण क्षेत्र जनजाति बाहुल्य है। इस क्षेत्र में 80 प्रतिशत कृषक हैं, जिनके हितों के मद्देनजर रेडियो स्टेशन की महती आवश्यकता है। यहां मुख्यतः गेहूं, जौ, मक्का, सरसों, बाजरा, व दलहन की फसलें होती हैं। आकाशवाणी के माध्यम से नई तकनीकों की जानकारी किसानों को दी जा सकती है। इस क्षेत्र की विशेष सांस्कृतिक धरोहर भी है, जिसका प्रचार-प्रसार किया जाना भी आवश्यक है।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि दौसा संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, कुप्रथाओं, अंधविश्वास और अशिक्षा को खत्म करने के लिए सरकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के ध्यानार्थ महवा या दौसा (राजस्थान) में एक लोकल रेडियो स्टेशन (एल.आर.एस.) एफ.एफ. या एम.डब्ल्यू. केन्द्र खोला जाए।

14.19 hrs**NATIONAL GREEN TRIBUNAL BILL, 2009-- Contd.**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No. 16, namely, further consideration of the National Green Tribunal Bill. Shri Sandeep Dikshit to continue his speech.

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर मैं चौथी बार अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहली बार ही मैंने ज्यादातर बातें कह दी थीं, यदि थोड़ा अधिक समय मिलता तो मैं अपनी बात समाप्त कर देता। उसके पश्चात दो बार और मुझे अवसर मिला, लेकिन व्यवधानों के कारण अपनी बात पूरी नहीं कर पाया।

महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा, कुछ बातें जो रह गई थीं, मैं केवल उनको व्यक्त करना चाहूंगा। मैंने पिछली बार जो बातें कहीं थीं, मैं उनको संक्षेप में दोहराना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि मंत्री जी के लिए वे बातें दोहराने की आवश्यकता नहीं हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल का स्वागत विशेष कर इसलिए किया गया, क्योंकि आज जो तकनीक, विज्ञान और मानव जीवन है, इसके बीच में जो संबंध हैं, वे एक-दूसरे से बहुत ज्यादा मिश्रित बनते जा रहे हैं। आज हमारे जीवन के हर पहलू पर विज्ञान और तकनीक का असर है। पहले बहुत सी चीजें हम प्राकृतिक रूप से, अपनी ऊर्जा, शक्ति और अपने विवेक से कर लिया करते थे, लेकिन अब हर चीज में विज्ञान या तकनीक हमारे जीवन पर असर करती है। इसलिए उससे पैदा होने वाले, उत्पन्न होने वाले कई असर ऐसे हैं, जिसका हमारे जीवन पर अगर सकारात्मक असर पड़ता है तो कुछ ऐसी भी जगहें हैं, जहां उसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल विशेषतः इसीलिए लाया गया है कि आज जो हमारी कोर्ट की प्रणाली है, एक तरफ तो वह अपने में बहुत बोझ से दबी हुई है, दूसरा शायद पर्यावरण से जुड़े हुए, तकनीक, साइंस, इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई जो चीजें आती हैं, जिसका पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में हमारे जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है, उसके लिए व्यक्ति अगर किसी कोर्ट में जाता है, कम्प्लेनशन लेता है या नुकसान के बारे में करता है तो शायद हमारी न्याय प्रणाली उसके लिए पूर्णतः सक्षम नहीं है। इसलिए अलग से एक संपूर्णतः प्रणाली बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल आया है। मैं मंत्री जी का, उनके विभाग का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो यह बिल लाए। बिल में कई प्रावधान हैं, मैंने कुछ बातें कही थीं कि शायद जिस तरीके से आज आप पांच या छः जगहों पर इस देश में इसकी बैंच को

लगाने वाले हैं, वह शायद अपने में पूर्ण न हो, उसमें जिस तरह के मेम्बर्स की बात कही गई है, मैंने लिखा है कि संशोधन में शायद संख्या बीत तक जाए, हो सकता है कि आने वाले समय में और भी आवश्यकता पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि विभाग और सरकार इस बारे में हमारा ध्यान रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार यह भी कहा था कि हिन्दुस्तान में भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, वह शायद दुनिया की औद्योगिक त्रासदियों में सबसे बड़ी थी। सबसे ज्यादा सीख हमें वहां से लेनी चाहिए। किस तरीके से वह त्रासदी बनी, उस त्रासदी में से जो प्राइवेट सैक्टर के और आयाम थे, उन्होंने अपने आपको किस तरह बचाया। हमारी कोर्ट की, कानून की प्रणालियां उस समय किस तरीके से असक्षम थीं, इस देश की जनता को, भोपाल की जनता को उन प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के लिए और यही नहीं, वह त्रासदी 1984 में नहीं रुकी, वह त्रासदी आज भी चल रही है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सांसदों का भी गुट लेकर जाएं। आज भी अगर वहां कोई बच्चा पैदा होता है तो उनमें हर तीसरा या चौथा बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग पैदा हो रहा है। वहां ऐसी भयानक स्थिति है, जो भोपाल के उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, उनके अलावा शायद कोई नहीं जानता है और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि यह देश और दुनिया उस त्रासदी को भूल चुकी है। कितनी बार उस बारे में, शायद साल में एक बार भोपाल की त्रासदी के बारे में हम कहीं एक-दो दौर कर लेते हैं, उसके बाद शाम को कोई मेच हो जाता है, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शाम को कोई हीरो हीरोइन के साथ भाग जाता है, पूरी दुनिया उस चीज को भूल कर दूसरी विलासिता की चीजों में लग जाती है। भोपाल को भूलना शायद भोपाल की त्रासदी से भी सबसे बड़ी त्रासदी है। इस बिल को कुछ न कुछ उस त्रासदी से जरूर सीखना चाहिए। उसके अलावा इस देश के कई जगहों पर पर्यावरण से होने वाले नकारात्मक प्रभावों की जानकारी नहीं है। आज भी दिन-प्रति-दिन हिन्दुस्तान के कई कोनों में इससे संबंधित त्रासदियां हो रही हैं। मैंने कुछ उदाहरण दिए थे। मैंने कुछ समय पहले एक फिल्म देखी थी, जिसमें बिहार में हमारा बहुत सा लेबर वर्क है, जहां से रेडियो एक्टिव माइंस की माइनिंग चल रही है, उसके आसपास माइनिंग कर रहा है। उसे पता भी नहीं चल रहा कि उसके पैर में घाव क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां के लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि हमारे बच्चे मानसिक रूप से आज विकलांग क्यों पैदा हो रहे हैं। उसे पता नहीं चल रहा है कि आज जो मेरी बेटी पैदा हुई है, वह इस तरीके से क्यों पैदा हुई है, वह इंसान नहीं दिखाई दे रही है, न जाने किस रूप में दिखाई दे रही है। डाक्टर, समाज, अस्पताल एवं सरकार किसी को इसकी जानकारी नहीं है कि उस पर रेडियो एक्टिव का जो प्रभाव पड़ा है, वह कहां से पड़ा है। वह हमारे और आपके ही दिए हुए किसी दुष्प्रभाव का नतीजा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा कि आपने यह ट्रिब्यूनल बनाया है, लेकिन इसे सशक्त करने के लिए, इस देश की प्रणालियों को सशक्त करने के लिए, वे पर्यावरण या उससे संबंधित तकनीक से होने वाले दुष्प्रभाव के लिए, जनता के लिए एक सशक्त रूप से सिपाही बन कर आगे बढ़े। आज हमें ठीक से पता नहीं है कि आने वाले समय में हम जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका क्या दुष्प्रभाव होगा। मैं सेल फोन का छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज सारी जनता इसका इस्तेमाल करने लगी है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसका कोई नकारात्मक प्रभाव इस समय पड़ रहा है, मैं केवल उदाहरण के रूप में बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कहीं बीच में यह बात आई कि सेलफोन का कोई भी असर मस्तिष्क पर नहीं पड़ता है। फिर मैंने कुछ समय पहले पढ़ा, क्योंकि कभी-कभी वैज्ञानिक जर्नल पढ़ने की एक आदत है, उससे यह बात तो तय हो गई कि इसकी जो वेक्स आती हैं, उनका मस्तिष्क पर असर तो पड़ता है, अब यह अलग बात है कि वह सकारात्मक होता है या नकारात्मक, यह नहीं पता। मेरा सिर्फ यह कहना है कि हमारे यहां ऐसी ज्ञान सृजन करने वाली संस्थाओं का भी निर्माण होना चाहिए, जो इन चीजों को दिन-प्रति-दिन आंक सकें और त्रासदियां होने से पहले, कम से कम जनता के बीच में इन सूचनाओं को आगे करें कि हम कम से कम इसके बाद, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है- इन्फॉर्म चायसेस लेने लगे।

उपाध्यक्ष जी, एक और चीज है, जब पर्यावरण से संबंधित हम कोई नई परियोजनाएं लाते हैं, तो उस समय की जानकारी के हिसाब से, उस समय के कार्यक्रमों के हिसाब से, उस समय के आश्वासनों के हिसाब से पर्यावरण मंत्रालय या अलग-अलग जो राज्य सरकारें हैं, उन कंपनियों को, उन प्रोडक्ट्स को या उन उत्पादनों को परमीशन दे देती हैं। आने वाले समय में, कई बार इस बात को देखा जाता है कि जो आश्वासन उन्होंने दिए थे, वे गलत प्रूव हो जाते हैं। उस समय इंसान कोर्ट में लड़ता रहता है और जिन दस्तावेजों के आधार पर परमीशन दी गई थीं, वे दस्तावेज ही नहीं मिलते हैं। जिन दस्तावेजों के आधार पर देखा गया था कि आज का यह उत्पादन इंसानों के लिए सेफ है, उसका कुछ पता नहीं चलता। इसलिए मैं यह निवेदन भी करूंगा कि इस रूप की भी एक लाइब्रेरी धीरे-धीरे निर्मित होनी चाहिए, जहां से इस प्रकार के दस्तावेज प्राप्त किए जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर भोपाल की तरफ वापस जाता हूँ। आज यह बात सबको मालूम है कि भोपाल फैक्ट्री निर्माण करने वाले जो इंजीनियर लगे हुए थे, उन्होंने सात या आठ साल भोपाल फैक्ट्री के निर्माण के बाद, कई पत्र यूनियन कार्बाइड को लिखे थे और कहा था कि जहां एम.आई.सी. गैस का काम हो रहा है, वहां जो वाटर करटेन, उसके आसपास पड़ना चाहिए, वह वाटर करटेन काम नहीं कर रहा है। जब इस बात की इन्क्वायरी हुई, वे ही पत्र उस पूरी रिपोर्ट से नदारद हो गए। वह रिपोर्ट, वे चिट्ठियां आपकी और हमारी अमानत हैं, किसी फैक्ट्री की अमानत नहीं हैं, क्योंकि मरने वाला आम इंसान था, कोई फैक्ट्री के अंदर का व्यक्ति नहीं था। इस तरीके का भी इंतजाम हमें करना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में यदि कभी कोई ऐसा भयानक हादसा हो, तो मंत्री जी के हाथ में, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के हाथ में और हमारे ग्रीन ट्रैब्यूनल के हाथ में पहले से ऐसे कुछ दस्तावेज हों ताकि अगर न्याय की आवश्यकता हो, तो अपने आप में ये इस एवीडेंस को देख सकें।

महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान छोटी-मोटी और चीजों की ओर दिलाना चाहता हूँ। आपने इस शेड्यूल में एक प्रावधान किया है कि व्यक्ति नहीं रहता है या उसके परिवार के कुछ लोगों की मौत हो जाती है, तो उसमें जो भी बचे हुए लोग हों, वे कैसे कंपेंसेशन मांगेंगे। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पाया कि इसमें वह प्रावधान है कि नहीं, अगर है, तो आप इस बात को क्लैरीफाई कर दें, नहीं है तो डालें कि अगर परिवार सम्पूर्णतः नष्ट हो जाता है, तो कंपेंसेशन कौन मांगेगा? भोपाल में अगर 8 हजार आदमी मर गए, तो किसी-किसी परिवार में कंपेंसेशन मांगने वाला, कहीं कोई नहीं बचा था। इसलिए इसका भी प्रावधान करें कि क्या उनका कंपेंसेशन समाज मांगेगा या सरकार का दायित्व बनता है और वह कंपेंसेशन कहां जाएगा? क्योंकि कभी-कभी ऐसी चीजें जरूर सामने आएंगी, हो सकता है कि कुछ ऐसे भयानक हादसे हों कि सैकड़ों की तादाद में इंसान नष्ट हो जाएं और उनका कंपेंसेशन मांगने वाला और पूछने वाला भी कोई न बचे।

महोदय, मंत्री जी ने इसमें एक बात और कही थी कि आगे आने वाले समय में कई ऐसी भी चीजें हैं जिनका दूसरे तरीके से हमारे पर्यावरण पर, हमारी जिंदगी पर असर हो रहा है। मैं मंत्री जी से केवल यह आश्वासन चाहूंगा कि क्या इस बिल के माध्यम से ग्रीन ट्रैब्यूनल के द्वारा जो ग्रीन कोर्ट्स बनेंगे, वे उन्हें कवर करते हैं कि नहीं और अगर नहीं करते हैं, तो मैं उनसे विनम्रता से आग्रह करूंगा कि उन्हें भी कवर किया जाए।

महोदय, यहां गुजरात के मेरे कुछ मित्र बैठे होंगे, वे जानते होंगे कि गुजरात की जो हमारी प्रसिद्ध कॉरीडोर बैल्ट है, जो ऊपर मेहसाणा से चलकर नीचे वलसार तक जाती है, जहां केमिकल फैक्ट्रियों का एक जाल बिछा हुआ है। इन्हीं केमिकल फैक्ट्रीज के प्रदूषण के कारण, वहां कोई ऐसा घर नहीं बचा है, जो ग्राउंड वाटर से पानी पी सके। क्या वह इसमें कवर हो जाएगा या नहीं? आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, तो देखते हैं कि बगल में एक फैक्ट्री लग जाती है, जिसमें पहले वेजीटेबल डाइंग का काम हो रहा था, आज उसमें केमिकल डाइंग का काम हो रहा है, वह पानी को बहाता है और कम से कम 15-20 किलोमीटर एरिया के जो एक्वैफर्स हैं, वे दूषित हो जाते हैं और उनका असर हमारे ऊपर पड़ने लगता है। हम जानते भी नहीं हैं कि हम क्या चीज पीते चले जा रहे हैं और बाद में जब उनका असर होता है, तो पता चलता है कि किसी को किडनी का कैंसर हो गया या किसी को आंख में अजीब सी बीमारी हो गई या पता चला कि आगे आने वाली नस्लें नष्ट हो गईं या बच्चे, अलग-अलग रूप में अलग-अलग बीमारियों के साथ पैदा होने लगे। न हमें उनके परिणामों का कोई ज्ञान है और न विज्ञान के पास ऐसी कोई चीज है कि दोनों चीजों को लिंक कर सके। कभी आगे चल कर इस बात का पता चल सके, तो क्या वह इन में कवर हो जाएगा कि हमें कहीं न कहीं इसमें न्याय मिल सके।

अन्त में, मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मंत्री जी, आपके पास बहुत ज्ञान है। आप खुद भी रिसर्च में लगे रहे हैं। आप खुद भी इस देश के बहुत इंटेलैक्चुअल लोगों में माने जाते हैं। हम कई आयामों में अपनी जनता को एजूकेट करते हैं। क्यों न हम पर्यावरण से संबंधित जो दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उस कनेक्शन को भी हम आई.ई.सी. के द्वारा, किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लोगों के बीच उस बात को डालना शुरू करें। हमें नहीं पता चलता है। हमें हल्का सा सरदर्द होता है, क्रोसीन लेकर हम बैठ जाते हैं। हमें यह नहीं पता होता है कि कौन सा केमिकल हवा में घूम रहा है, जिससे हमें प्रभाव हो रहा है। आगे आने वाले समय में उसका दुष्प्रभाव बढ़ता चला जाता है। बहुत सी चीजें जो हम सामान्य रूप में अपने छोटे से संकुचित दिमाग में या अपनी नॉलेज के हिसाब से किसी प्राकृतिक चीज पर उसे डाल देते हैं या हमारे डाक्टर्स जो उस जानकारी को नहीं समझते हैं या किसी और चीज को समझ सकते हैं, हो सकता है कि उसके प्रभाव किसी और चीज में हों।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि अगर आपको खाना खाने में दिक्कत हो रही है या आपकी और किसी प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है, तो सात-आठ चीजें दी जा सकती हैं, क्योंकि हो सकता है यह कैंसर हो। आपने ऐसे कई ऐड पढ़े होंगे। इसी तरह से पर्यावरण से संबंधित भी आने वाले समय में अगर मंत्री जी के प्रभाव से इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आए, शहरों में भेजी जाए, राज्यों में भेजी जाए, तो

हमारा सामान्य व्यक्ति, जो अपने में इन चीजों को पढ़ने की क्षमता नहीं रखता है, उसके पास न समय होता है, न ऐसी चीजों का उनके पास एप्रोच होता है, वह इसको समझ सके। आने वाले समय में कम से कम जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, तो उनके मन में भी इन चीजों के बारे में ज्यादा जागरूकता रहेगी और हो सकता है जब उनके ऊपर ऐसे कोई प्रभाव पड़ें, तो वे इस ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल कर सकें, लॉज एंड लीगल रेग्युलेशन का इस्तेमाल कर सकें। पर्यावरण से जो दुष्प्रभाव इन फैक्ट्रियों के कारण और तकनीकी के कारण हो रहे हैं, उसमें हम शायद ज्यादा सशक्त रूप से अपने आपको संभाल सकें।

इन्हीं बातों के साथ मैं मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वह बिल को लाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मेरे ख्याल से मेरे लिए तो यह एक रिकार्ड है, अपने लेग्स में इतने लंबे समय तक कभी शायद संसद में नहीं खड़ा हुआ, मंत्री जी, जितना आपके बिल के कारण मैं खड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन का एक यह भी छोटा सा रिकार्ड है। मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI T.K.S. ELANGO VAN (CHENNAI NORTH): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for permitting me to speak on the National Green Tribunal Bill, which is a welcome measure from the side of the Government. Some ten years back, when the leader of the DMK Parliamentary Group, Shri T.R. Baalu was the Minister for Environment and forests, I had suggested that there should be a Green Bench in the Supreme Court of India and in all the High Courts of Adjudicature. I think, some High Courts have the Green Bench. This Bill is a welcome measure in the sense that it is not just the interpretation of the laws relating to environment but also the knowledge on science, that is, the geo-physical scientists, biological scientists will also be the members of this Tribunal because it is more than the law that environmental issues are related to the other areas of science also. One good thing about this Bill is that this Bill is introduced on the suggestion of the Supreme Court of India, which has been the authority in deciding these legal issues and the Government of India which has been the Appellate Authority on various issues of environmental protection.

We know that industrial development is always at the cost of environment. Thus, there is no industrial development without affecting the environment. We have steps to abate pollution but we cannot have a zero pollution. If we want to have a zero pollution, there should not be any industrial activity. That will otherwise affect the country's economy. When the hon. Member from the BJP, Shri Anand Kumar Hegde was speaking on this Bill the other day, he was telling something which led to some confusion in my mind. I am not going to reply to his question because the hon. Minister for Environment is well capable of replying to all these things but he had certain apprehensions because of his non-understanding of the concept of this Bill.

We had an experience earlier. We had this Central Appellate Tribunal; we had the State Appellate Tribunals for settling matters relating to the service, and the Government servants. This National Green Tribunal is also on the same lines which would settle the issues relating to environment outside the courts. When my friend was talking, he was referring to compensation given to those people who are affected by the environmental issues like the Bhopal Gas Tragedy and others. It is not only that; it will help the industrialists to approach these tribunals and say that their industries will not pollute the area or whether they can come or not, depending on its impact on environment.

As I was telling, the Central Appellate Tribunal and the State Appellate Tribunals were very much helpful in settling matters relating to various issues raised by the Central and State Government servants. But I must tell the Minister one thing – this Bill should not meet the same fate as that of the National Environmental Tribunal, 1995 and the National Environment Appellate Authority, 1997. They are dead; and the Government had not formed the authority; I do not know what happened to them.

When I went through the Bill and studied, I found that there are issues. When the Tribunal is equally divided, then there would be another appeal. The question of Tribunal being equally divided, once again will delay the matters. So, I want the hon. Minister to have the Tribunal in odd-numbers so that there is no equal division in decision-making. There should be a decision one way or the other. The Minister has to take care of all these things. I fully support the Bill. This Bill is very essential.

Most of the time, we forget the eco-balance, which should be maintained in the country. So, this Bill will help the country to maintain its ecological balance;

this Bill will protect the people who are affected by the environmental issues and this Bill will definitely do justice to all sections of the people – the common men, the industrialists and the Government.

With these words, I support the Bill.

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO (BOLANGIR): Thank you, Mr. Deputy-Speaker.

At the outset, let me congratulate the Government for bringing forward this Bill, National Green Tribunal Bill, 2009, with increased focus on environmental degradation and the focus on global climate change, global warming and the need to have sustainable economic development friendly with environmental issues. I congratulate the hon. Minister and his team for bringing forward this Bill.

It is a welcome move. However, as there are many a slip between the cup and the lip, both in context and structure, this Bill falls short on many counts.

Any judicial body such as this, will be judged by three factors – one, the scope and powers of that body; two, the efficiency with which it deals with the procedures or the issues it faces; and three, the access to justice.

On the scope of its jurisdiction, this crucial Bill excludes many crucial Acts which are present in many other countries, but have not found a place in the National Green Tribunal Bill. In the context of this Government, I would like to mention the Wildlife Protection Act of 1972 and the Scheduled Tribe (Recognition of Forest Rights) Act, 2005, including the Pesticide Act. All three of these Acts would be very relevant in the context of this Green Tribunal but they have not found place. The hon. Minister may consider the same.

Secondly, the access to this Tribunal is severely restricted. The power of the common man to go to High Courts across the State now has been subsumed by this National Green Tribunal which will only have, if I remember correctly, five places of sitting to begin with. Will it be possible for a common tribal person from Orissa to reach and to have access to these courts is something that the Government needs to consider.

Thirdly, I come to Section 19 of the Bill. The *locus standi* of a person to file an application before the Tribunal reads:

“Any representative body or organization functioning in the field of environment, with permission of the Tribunal.”

It means the common man, the man who is affected or a human rights body or a body which deals in, let us say, public health will not find access to this Tribunal. This is more important because now the issue of environment falls within the purview of article 21. Access to this Tribunal must be open to all.

As regards structure of the Bill, some of the words are very subjective and vague to the extent that the Bill fails to note that if there is a direct violation of a statutory environmental obligation, it becomes a legal wrong. Unless somebody approaches the Tribunal with a particular problem, the issue of the environmental degradation is not noted. According to the Bill, the incident should affect a large community at large. What if there is no community at large around and yet environment is being degraded? Can the Green Tribunal actually take a view on that? Can it hold proceedings on that and can it give a judgment on that? That is left out and in my view it does not fall in its purview.

Secondly, the wording "substantial damage" is very subjective. It depends upon the judgment of an individual judge to determine what is substantial damage and whether that should be applicable to the current environmental problems and whether that problem can be acceptable under this tribunal.

Sir, for some reason the Government has actually put capping on time period of liability and accountability for this Bill. With your permission I quote Section 14, sub-clause (3) of Chapter III. This is a clause which deals with Tribunal's jurisdiction, powers and proceedings. It reads:

“No application for adjudication of dispute under this section shall be entertained by the Tribunal unless it is made within a period of six months from the date on which the cause of action for such dispute first arose.”

I also quote Section 15, sub-clause (3):

"No application for grant of any compensation or relief or restitution of property or environment under this section shall be entertained by the Tribunal unless it is made within a period of five years from the date on which the cause for such compensation or relief first arose."

My friend from the Congress Party, hon. Sandeep Dixitji was talking about the Bhopal Gas Tragedy. He talked about the consequences still being felt. Yet you have limited the period of action or filing of application to six months and filing of application for damages to five years. Environmental problems can be manifest 20 years or 30 years from the date of consequence. For the first ten years or 20 years or 30 years radiation and things like pollution of ground water will not be determined. We will only find out how severely it affects people after 10 or 15 or 20 years. It even manifests itself in the form of genetic defects. How can we limit on the basis of time the application to this Tribunal?

The Government has also for some strange reason limited the penal liability of companies to a maximum of Rs.25 crore if they fail to comply with the orders of the Tribunal. The hon. Environment Minister must know that some of the environmental degradation which happens by companies can lead to damages of billions of dollars – Rs.10000 crore or Rs.20000 crore and in that context it may be more amenable for the company to pay penalty of Rs.25 crore and not comply with the order. The only justification or the co-relation I can see is the SEBI Act which has a clause to hold the maximum penalty of Rs.25 crore. But that is no co-relation. The SEBI is a financial Act and it does not affect the common man and it does not affect the human lives in the way environmental degradation will.



I would urge upon the hon. Minister to ensure that just penal clauses for just action, the correct penal clauses for the kind of action that are performed should be kept in this Tribunal Bill, 2009.

Sir, one big vacuum that I find in this Bill is the scope of criminal liability. Suppose, like in the case of the Bhopal Gas Tragedy there is an essence of criminal liability to be imposed, then what happens? The National Green Tribunal will look only at civil liability. What does the affected party do? Does he approach two courts – one for the civil liability and another for the criminal liability? Or, can he hope to have one or even some sort of procedural conjunction with the criminal court from this Green Tribunal?

Sir, I would not like to take much time of the House. I would like to thank you for giving me this space. The hon. Minister did a wonderful thing in the case of the BT Brinjal. He actually went and got connected with the public to get the correct information and gauge the public view. I would like to urge upon the hon. Minister to do the same in this case. I feel that this Bill will set the standard for all economic and environmental development to follow from now.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Sir, today we have to decide that the urgent requirement of human beings for development and living life as they want has to be balanced and it has to be decided whether environment that is doing so much for us whether we want to protect it and maintain a healthy life or we want to sacrifice the environment. Though the particular incident that troubled the air traffic all over the world just last week is not directly related to any of our misdoings, millions of passengers, including our hon. Prime Minister, had to suffer because of this. A kind of gas had polluted the atmosphere in such a manner that aircrafts had to be grounded and we have rather been lucky to avoid any accident by way of mid air collision and thereby losing human lives.

Important to all of us is the living standard of human beings and particularly those living off the forests. We have to give recognition to their rights to live as they want, as they have been taught to live in the forests by their forefathers. The people in the forests have been living in the forests for time immemorial. Their forefathers have shown them and taught them as to how to live in the forests using the facilities available to them. But today their lives have been endangered by poachers, by cultivators from the higher caste who are coming into the forests and also by corporate houses who are aiming the mineral wealth hidden in the different forest areas and hilly areas.

The environment has to be protected. We are not criticizing the action against the *adhivasis*, who are up in arms against the State, we are not in favour of an armed revolution; we are not in favour of killing of human beings and we are not in favour of the politics of murder. We also have to recognise their demands. Their forefathers have taught them that forest was their land. Now, whether they want to live in the forests or get modernized and live in the cities, that right of theirs has to be appreciated and given to them.



And there lies the fine line that we have to draw. We have to, on the one hand, protect the animals in the forest, protect the flora and fauna, protect the human beings who have been living off the forests for millions of years now and, on the other hand, we have to balance and bring forward developments as we have done in the past. Our great nation has brought the life expectancy just after Independence, from 43 years of age to today where it stands at 67 years of age. It is a fine balance.

Before this time, two other regulations had been brought forward. The one brought forward in 1995 could not be enforced and it could never be set up. Then in 1997, National Environment Appellate Authority was also brought forward but it became defunct. Now provisions under article 32 and 226 of our Constitution give wide powers to the different courts to protect environment. But keeping in mind today's scenario in which water resources are getting depleted, the mountains on the sly being burst open by corporate houses for the bauxite held within the core of the mountains and hills, the deforestation that is being brought forward by different corporate houses and the poachers killing the natural habitat. The human beings who are living within these areas are in danger. It is not only that. The environment is so polluted that very soon we will be having huge landslides, we will be having deluge like the ones given in scriptures in which Noah floated his Ark. We will also be having no resource for making electricity, we will not have enough water to water the farmlands, agriculture will be deprived and the quantum of agricultural products will fall and there might be a war for food and water. There lies the necessity for this National Green Tribunal in whose favour I stand here today.

There were certain comments by the Departmentally Related Standing Committee and the Ministry of Science and Technology and it is heartening to note that the suggestions have been incorporated. In the original Bill, a section had been there in which the Central Government had the discretion to allow different dates for different sections to come into force. The amendment says "on

such date as the Central Government may by notification in the Official Gazette appoint...”. The Act shall come into force and shall apply to the Act in toto.” In other words, the entire Act will come into force at once and not separately.

It also states regarding the number of members. The original Bill was silent on this. But now it says qualified number of members present should be not less than ten. Likewise, there are other amendments that have been brought forward and accepted. The National Green Tribunal Bill should be brought forward, supported and brought into effect to protect the requirement of not only the forest dwellers but the perpetrators should also be brought to book. The meeting held in Rio under the auspices of the United Nations has given the right saying ‘pollute and pay’. So, any corporate house or any perpetrator against our mother environment can be brought to book by this Bill.

Hence, I support this Bill.



SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): At the outset, let me make it clear that though I have no objection to the concept of Green Tribunal, I have some strong objections – and some observations to make – to the content of this Bill.

As hon. Minister of State of the Ministry of Environment and Forests has said in his introductory remarks, India is going to be the first country to set up a separate Tribunal for the adjudication of environmental matters. In that sense, this would have been a historic opportunity for him. But unfortunately, the Minister and the Government have completely missed this opportunity because of their ideological obsession with neo-liberalism.

In the last couple of decades we have seen that environmental issues have assumed greater significance. In the era of liberalisation, there has been a sharpening of contradictions between the so-called development and the environmental and social concerns. This has been happening throughout the world and in our country also. The growing greed for grabbing natural resources for profit under the liberalised regime has led to the intensification of exploitation of nature and environment. This is the environment of creating environmental battles. These environmental battles are reflected and resulted in the proliferation of litigations in the courts in recent years. It is these battles which make this legislation a necessity. I agree with that. However, this legislation cannot be used as an effective instrument to protect the interest of our people in these environmental battles. On the contrary, this will become a sharp-edged weapon in the hands of corporates. Even some of the *prima facie* positive aspects of this Bill, like the recognition of the need to involve the experts in adjudication and quick justice delivery, will not serve the interest of the people because of the highly flawed nature of this Bill and its corporate affinity.

Now, I will briefly deal with some of the objectionable features of this Bill. Firstly, the Bill leads to a restriction of access to justice. There is over-centralisation of powers with the Union Government. This is evident in determining the location, constitution, mandate and procedures of the Tribunal. Clause 3 of this Bill gives too much powers to the executive. This Bill has ignored the principle of separation of powers between the judiciary and the executive. In keeping with the Law Commission's recommendations, I suggest that each State must have a bench.

Then comes the most undemocratic and anti-people clause of the Bill. This is clause 22 (2). This clause has a provision to declare a claim "untenable". Not only that. Even there is a provision to impose penalty on the person appealing. This is nothing but a deliberate attempt to prevent people from bringing issues before the Tribunal. I would like to demand that this clause must be deleted.

According to clause 15 (3), there is a five-year stipulation for filing application for compensation. Damages occur over a long period and it is not always immediately noticeable and traceable to the source. For instance, chemical exposures and radiation exposures take more than five years to manifest themselves. Therefore, this fixed period of five years should be removed.

Now, I come to clause 28. This clause contains yet another objectionable provision. Civil courts are barred from adjudicating matters that lie within the Tribunal's jurisdiction. This is completely contradictory to the Law Commission's recommendations. This is problematic because distance alone could be a huge deterrent for the people in remote areas. Reaching out to a few Green Tribunal benches may be impossible. So, the jurisdiction of other courts must not be barred.



15.00 hrs.

There is no provision for appeal in this Bill. I would suggest that people must be allowed to go to the Supreme Court.

Clauses 4, 5 and 6 deal with the composition of the Tribunal. The composition itself is highly problematic. The criteria for expert members create the apprehension that the Tribunal may become a club of bureaucrats and technocrats. It is highly surprising that there is no space for social scientists and there is no mention of the socio-economic impact of environmental issues also. In India, most projects are being located in tribal and rural India. So, there has always been a conflict between livelihood and rights of the local community and the access to resources. So, experts must have the criteria that enable the appointment of social scientists and non-bureaucrats.

The second feature of the Bill which I oppose, which I criticise is the narrow and vague jurisdiction. This Bill narrows the culpability and responsibility for environmental accidents. Clause 14 (1) includes enforcement of any legal right relating to environment but this has not been specified. The Bill leaves out of its purview three key legislations. These key legislations are: the Forest Rights Act, 2006; the Indian Wildlife Protection Act, 1972; and the Provisions of Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996. These three Acts must override this Bill.

Clause 2 (1) (m) says that the Tribunal will be dealing only with “substantial questions relating to the environment” affecting “community at large.” The environment is protected by Article 21. So, any violation is obviously substantial and should be brought within the ambit of this Act.

The definition of polluting activities in clause 2 (1) (m) should be more comprehensive and inclusive.

The third and most unacceptable aspect of this Bill is its corporate orientation. There are many provisions that are highly lopsided and partial to the private sector in this Bill. If you take clause 2 (1) (o), there is a reference to

workman but the definition is not comprehensive enough to include contract labourers, casual labourer, the daily wage worker beside the regular employees.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI M.B. RAJESH : I am concluding. According to clause 16 (i), this Bill opens up the space for speedy clearance within six months and grants access to judicial remedy against Executive refusal of environmental clearances. So, earlier, the private companies could not appeal in the courts against the refusal by the Government to grant environmental clearances. But this provision opens up that area. This implies that even in the Fifth and Sixth Schedule Areas, the private sector can appeal against the Panchayat on natural resources.

Sir, I am coming from the district of Palakkad which is having the experience of large-scale loot and exploitation of ground water by Coca Cola. All of you must be aware of Plachimada area.... *(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI M.B. RAJESH : I am concluding.... *(Interruptions)*

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, since this Bill is very important, we have to be given time to speak.... *(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rajesh, you have to conclude. How much time do you need?

SHRI M.B. RAJESH : I will conclude within two minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can take only one minute.

SHRI M.B. RAJESH : I will take two minutes because it is a very important field. I have studied a lot in this regard.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are so many Members to speak.

SHRI M.B. RAJESH: In Plachimada, we had seen how the Coca Cola Company challenged the Panchayat's authority in issuing a licence. Against the Panchayat's refusal, the Coca Cola Company approached the courts and obtained licence to run their bottling plant and through the mindless exploitation of ground water, they ruined the entire area.

I fear that this Bill will encourage such type of exploitation and will further undermine the community rights over natural resources. So, Clause 16 (1) must be deleted.

As far as Clause 25 (2) is concerned, that clause seems to confine itself to relatively non-serious offences. This is not adequate to deal with offenders like Warren Anderson and serious cases like the Bhopal Gas tragedy. I am of the view that in the era of corporate business, the role of companies and Government departments and the provision of penalties for their acts of omissions and commissions are of huge significance. So, the provision of imprisonment must be increased to at least 14 years. The present provision of 3 years is grossly inadequate. Further the termination or suspension of contracts must be specifically included in both the penal clauses, that is, Clauses 26 and 27.

Then, liabilities of heads of companies have been diluted to actual consent or connivance of the person in charge of the company. The penalty for violation is set at Rs. 25 crore. This is highly inadequate. This amount is not enough to meet tragedies like the Bhopal Gas tragedy. So, what does this mean? Is this not a calculated effort to help the corporate houses and multinational companies? Only the likes of Warren Anderson and Union Carbide will be happy.

Lastly, the Bill completely misses the issue of non-compliance with the conditions of environmental and forest clearances.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI M.B. RAJESH : Sir, I am concluding.

I can tell from our experience as to how the Coko Cola company has blatantly violated the conditions attached to the environmental clearance in Palakkad and devastated a whole village. The Bill, in its sum and substance, is anti-people and undemocratic. It does not protect the interests of the people of our country and it is evident from the provisions that the sole object of this Bill is to protect the interests of private companies.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR): Mr. Chairman, Sir, first of all, I must thank the hon. Minister for bringing this National Green Tribunal Bill, 2009.

15.08 hrs

(Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

Looking to its object, it appears as a laudable object to achieve. But a quick glance of the Bill suggests that the Bill has copied the old Act on the issue and the label has been changed. These days, it has become a fashion to appoint only retired judges as Chairpersons of such bodies. Clause 5 (1) says:

“A person shall not be qualified for appointment as the Chairperson or Judicial Member of the Tribunal unless he is, or has been, a Judge of the Supreme Court of India or Chief Justice of a High Court.”

In the last 10 or 15 years, it has become a fashion to appoint only retired judges as Chairpersons of such Tribunals. I am from the community of lawyers – I have been a lawyer – but every time the Chairman is a judicial person. The hon. Judge of the Supreme Court retires at the age of 65. At that age, he has very little to contribute. There are other persons also who are very much spirited. So, there should not be a complete embargo on other persons from being appointed as Chairpersons of these Tribunals. There are eminent environmentalists like Medha Patkar, Sundarlal Bahuguna and even the hon. Minister himself. If he is not in politics, he would have been the best man to be the Chairman of this Tribunal. ... (*Interruptions*) No, not at all, I am the last person. I have been his fan and I have been reading his articles earlier. So, my point is, the post of Chairperson of this Tribunal should not be limited only to judicial persons. Anybody who has a national stature in the field should be allowed to become the Chairman and it should be left open to all.

Take the case of CAT, the Central Administrative Tribunal. The hon. judicial members are only interested in getting their grand children married and not doing justice. So, I would request the hon. Minister to look into it.

Kindly see Section 5 sub-clause 2. It says, for the other members, “has administrative experience of fifteen years including experience of five years in



dealing with environmental matters in the Central or a State Government or in a reputed National or State level institution.” Mr. Chairman, this is very vague. What will happen is that – with due respect I would like to say – all the people of Government of India will find ways and means from this wide window to adorn this place. The entire Tribunal will be packed by those officers on the premise that when they were District Magistrates they were dealing with these matters.

In Allahabad, there is a member in the CAT. He was a Railway member dealing with the court and in the CAT you have to decide the law about service matters which has no meeting grounds. So, I want this administrative experience of fifteen years including experience of five years in dealing with matters should be little more widened. I have seen in my fifteen years’ career that at least half-a-dozen tribunals have failed because the members who were adorning the place did not have that spirit. Nobody goes through the CAT, only very small matters are being argued and later on everybody goes to the Supreme Court. But Income Tax Tribunal is very effective because they have different rules. So, I want that the appointment should be real because it is the teachers who make students and not the walls and the building.

Now, I come to clause 14. Mr. Narayanasamy appears to be nodding for the first time.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. NARAYANASAMY): Why is he creating unnecessary problem? I am appreciating him.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH: Thank you

MR. CHAIRMAN : Time is limited please. Please speak on the subject.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : Yes Sir. Kindly see section 14 sub-clause 3. It says, “No application for adjudication of dispute under this section shall be entertained by the Tribunal unless it is made within a period of six months...” That means, you knock the door within six months and if that period of six months

is gone, you cannot knock. This is not correct. I would urge the hon. Minister to make it one year because by the time you know about the matter six months have gone. In Motor Accident Claims Tribunal, the period for knocking the door is one year. So, please make it one year also otherwise, the people may not understand its importance and effects. By the time they understand, say, toxic gas and all that, six months have gone. Although, there is some provision that you can explain and all that, there will be no difficulty if instead of six months the period for knocking the door is made one year.

Please see Section 28 (2). It says, “No civil court shall have jurisdiction...” In India, the Civil Procedure Court is 200 years old. If in the village somebody’s *naali* is polluting somebody’s health, they go to the civil court. So, there is no difficulty if concurrent jurisdiction is left alive. Otherwise, what will happen? A poor man from Tehsil level who has a Munsif at the door will be deprived. So, let the civil court may carry on the jurisdiction and if still there is some problem that can be sorted out later. So, please do not close the doors for entry of dispensation of justice... (*Interruptions*)

No, whatever the corporate desires, the hon. Minister has brought this Green Tribunal Bill, but I do not know how much green it is. It says: “No civil court shall have jurisdiction to settle dispute...” So, please do not bar people. Supposing, I am a serviceman and I am dismissed. I can go to the civil court and also go to the tribunal. I can take the help of article 226 and I can straightaway go, under article 34, to the Supreme Court of India. So, there are three jurisdictions. So, please do not stop this matter here.

Then one last thing – although it is a very short time – is that the execution machinery should be very sharpened like in DRT Act. Suppose you impose a fine, if the fine is being recovered as a civil court jurisdiction, then it will take another 10 years. So, have strong, sharpened teeth for execution. In consumer courts etc., execution machinery is very time taking, so nobody is going. Whatever it may be, I can sit and give more detailed comments on this. Supposing there is an order of

penalty, punishment, money or whatever it may be, it should be very strong; the time lag should be avoided.

It is not the Act, it is the zeal that is behind, that is implementing, that will matter. Thank you very much for giving me time to speak.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): Mr. Chairman, Sir, I will be responding to all the suggestions made by the hon. Members in my reply. But I want to clarify one thing very clearly today. Community control over natural resources will continue. This Bill will not destroy or weaken community control over natural resources, particularly in tribal areas. There should be no ambiguity on this score; community control on resources particularly in tribal areas – because this is the concern of many Members who have mentioned it – will not be weakened. ... (*Interruptions*)

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : Mr. Chairman, Sir, under Section 133 of the CrPC, if my neighbour's generator is creating a loud noise, I can file a complaint before the Magistrate and can get him three months' imprisonment. So, please continue those community control or other laws open. Otherwise, you will bar everybody and this Tribunal will not be able to do the justice.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Bill. I welcome the introduction of the National Green Tribunal Bill, 2009 as it would pave way for expeditious disposal of civil cases relating to the environmental protection. With environmental protection, ecology preservation and afforestation getting pre-eminence, I have my own doubts whether the setting up of one Tribunal, though it is stated that it is sitting in five places, is sufficient to handle all cases and disputes which are ever on the increase. The Bill is drafted in a suitable manner, added with a number of clauses. There are some discrepancies here and there. I think, these may be sorted out and resolved before passing the Bill.

Hon. Minister may be pleased to see Section 6 of the Bill. Section 6, Clause (3) of the Bill provides for the appointment of Judicial Members and Expert Members of the Tribunal on the recommendation of such Selection Committee and in such manner as may be prescribed. But my submission is that no mention about the Members of Selection Committee is made in the Bill. Nowhere it is stated or explained. So I suggest that the composition and nature of Selection Committee for making recommendation on appointment of Judicial and Expert Members be specified in the Bill itself. That is my submission.

It may also be made clear whether the recommendation made by the Selection Committee is binding on the Central Government or not. Also, whether any discretion to reject the recommendations of the Committee rests with the Centre may also be incorporated in the Bill.

One more suggestion I would like to make. In the present form, the Expert Members are mostly drawn from the retired Civil Servant groups.



Already while these members who were being in the Government service had failed to tackle the environment issue. Putting them back in the Tribunal will serve no purpose. I would request the hon. Minister that the Tribunal should not be converted into a habitat for the retired civil servants.

There is no provision for Ecologists, Environmentalists, Civil Societies and NGOs to become expert members of the Tribunal. So, experts from various disciplines should be appointed to make the Tribunal really an effective mechanism to tackle this issue.

Some Members have expressed their doubts about this Bill. So, the hon. Minister has to clear the doubts of the Members. Their fear is that it may be used against the Tribals. At any cost this Act should not be misused against the Tribals.

I would like to take this opportunity to congratulate our hon. Minister for the issuance of moratorium on BT Brinjal.

Coming to this Bill, I would request the hon. Minister to consider my suggestion and make a suitable amendment in the Bill.

With these words, I conclude.

MR. CHAIRMAN : The next speaker is Shri Jayant Chaudhary.

Shri Jayant, your time is up to 3.30 p.m.

SHRI JAYANT CHAUDHARY (MATHURA): Mr. Chairman, Sir, I stand to speak on the National Green Tribunal Bill.

It seems that the very usage of the word 'green' in the name of the Tribunal is perhaps to convey a strong message that the Tribunal, the Ministry and the Government is here to protect the environment and to address the wrongs and to just add nation's growth trajectory to be well attuned to the need for equity, sustainable development and environmental consciousness. So, I welcome the usage of the word 'green' in the name of the Tribunal. Especially because our country is seen as a developing country; largely rules, procedures and laws related to environment have then given consideration only in passing.

I read that the Minister himself had recently commented on the high rate of environmental clearances that are granted in our country. There are so many examples, that I want to give, of political will and industrial might coming together in making institutions that are meant to protect the environment appear as mere by standards.

You know what happened in Uttar Pradesh with acres and acres of erstwhile green areas being converted into self-serving, concretized memorials and parks. You have a proposal in Andhra Pradesh for conversion of reserved forest area into a memorial. In today's paper, I read about 70,000 trees being felled in Ghaziabad's lone forest area, according to a Report by the Ministry of Environment. So, seriously in some quarters, it is actually said that MoE should be branded MoEC, that is, Ministry of Environmental Clearances. In that light, I think, there is a need for a redressal mechanism which is accessible to the common man.

Also we must give certain attention to the legislation that is already there, to the institutions that have already been created in this space. Previously Members have commented on NEEA and NET. They have really been like mythical yeti and unicorn. They have been on paper but they have not been there as institutions.

About NEEA, there was an RTI activist who found out that none of the members actually did any site visits. They went to Shirdi and Benaras on religious tourism, nothing to do with any investigations they were actually carrying out. So, given that experience, we do acknowledge the need for a redressal mechanism but then the question does arise that where previously we have failed, how this new Act signify a change in regime, a change in the thought regime, if I may say so.

I would also like to point out – given the experience of NET and also recently a publication came out with an article on this issue – that there are several Acts enacted by Parliament and they are not being notified. In fact, since 2004, three legislations passed by Parliament have not been notified. Also selective notifications are undertaken.

In the PNGRB Act, for instance, there was a selective notification. In the Food Safety Act, there was a selective notification done by the Ministry. Therefore, Section 1 sub-section (2) is the standard practice now, that is, to leave it to the discretion of the Central Government. When will the Act come into force? But I would urge the Minister—since he wants this Tribunal to see the light of the day—why not create a challenge for himself and for the Ministry and set a time limit by when this Act will come into force?

About the reach and scope of this Tribunal, prior to me several Members have voiced their doubts. I think I am in agreement with most of the issues that have been raised about the community at large being affected and about the use of words like ‘substantial’ in the law, which would, perhaps, restrict the application and the reach of the Tribunal to a lot of people, specially individuals. The preamble of this Bill states about the need to protect the right to life as enshrined in the Constitution of India. But at the same time, we are restricting individuals from approaching the Tribunal. So, that is a big question mark.

Also coming to the composition of the Tribunal, this point has been made again and again but I would just like to join the list of people. The Government made a point in the Bill that people with administrative experience of 15 years and

up to five years in dealing with environmental matters in the Central or State Government or in a reputed national or State level institution can also be expert members. It will be really a magic act if you can pull them out of the hat because I cannot think of any real State level or Central level institutions that have really upheld, what is needed, the laws of the land for the protection of the environment. So, where are you going to get these capable administrators? Actually, it has been their culpability. It is because of the lack of a strong political will and administrative capabilities that we are actually today debating on the need for a Tribunal.

Also, the definition of an aggrieved person includes people who have not been given clearances. Of course, the laws of natural justice do mean that all parties should get a hearing but when there is a typically poor person, who is an affected party, and on the other hand you have a big corporate house and if you let both of them approach the Tribunal, I am afraid that most of the time the Tribunal is going to spend on listening to perpetrators of crime rather than the aggrieved parties.

Also, this point has been made. Again, I am going to repeat it. It is about the penalties that can be imposed. There is no provision in the law about the right of the Tribunal to revoke licences, the take away clearances that have been granted. So, in most cases, especially, for corporates it is a big money of Rs.25 crore. The economic benefit that would trickle down from wilful contravention of law will far outstrip any penalty that could be imposed on them.

I am aware of the time shortage. In the end, I would just state that the meek shall inherit the earth but whatever is left offered after the greedy have done. The water is getting polluted. Forests are diminishing. Our food chain is getting polluted. Here, the Government has a unique opportunity to create institutions, systems, processes, rules and laws which can actually lead to a change in our growth pattern and make it one that enables sustainable development.

We have the shame and agony of Bhopal in our nation's history. Sir, 1.2 lakh people are still suffering from ailments because of exposure that they suffered and that experience also shows us the varying corporate response to such tragedies. Dow bought the Union Carbide in 2001 and asbestos workers in Texas were given 2.2 billion dollars in aid and that same company till today says that we have no culpability, no obligation for Bhopal gas tragedy victims. Therefore, to end my speech, any legislation in the environmental space must also pass the litmus test.

MR. CHAIRMAN: Mr. Jayant Chaudhary, you have half a minute. Otherwise, you will have to be on your legs for a long time.

SHRI JAYANT CHAUDHARY: I am concluding. It must categorically state and mean that the main objective of the law should be that incidents and tragedies like Bhopal do not happen again.

SHRI JAIRAM RAMESH: Hon. Members have made a number of important suggestions. I will take note of them. Even though they may not be part of the official amendments, I have a completely open mind on this issue and I will not hesitate to actually withdraw certain Sections. I am sensitive to the concerns that have been expressed that we are giving in this law a window for those whose clearances have been rejected to come back and have it reviewed. I assure the hon. Members that when I reply, I will revisit this section, and if need be, I will withdraw this section.

15.31 hrs

**MOTION RE: SIXTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE
MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS**

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR): I beg to move:

“That this House do agree with the Sixth Report of the Committee on Private Members’ Bills and Resolutions presented to the House on the 20th April, 2010.”

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That this House do agree with the Sixth Report of the Committee on Private Members’ Bills and Resolutions presented to the House on the 20th April, 2010.”

The motion was adopted.

15.32 hrs

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

(ii) Special economic development package for eastern districts of the state of Uttar Pradesh --- ontd.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up further discussion on the following resolution moved by Rajkumari Ratna Singh on the 11th December, 2009 :

“Considering the socio-economic backwardness of the eastern districts of the State of Uttar Pradesh, also known as the Poorvanchal region, this House urges upon the Government to take immediate steps to formulate and implement a special economic development package for the region on the lines of package announced for Bundelkhand region.”

The next speaker is Shri Harsh Vardhan.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Harsh Vardhan has informed that he has some work. Therefore he has not come. You can call the other Member.

MR. CHAIRMAN: Okay. Shri Ramkishun to speak.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय सभापति जी, आपने मुझे राजकुमारी रत्ना सिंह के 11 दिसम्बर, 2009 को पेश किये गये संकल्प पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों की आर्थिक स्थिति के विषय में इसमें चर्चा है। आज उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल इलाका है, जिसमें ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Order, please.

श्री रामकिशुन : उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और पिछड़ेपन के चलते आज वहां की जनसंख्या काफी गरीबी और पिछड़े रूप से विकसित हो रही है। उन क्षेत्रों में कोई औद्योगिक घराना नहीं है, ना ही कोई बड़ा उद्योग है, जहां वहां के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी और उनके विकास के लिए कोई कार्यक्रम दिया जा सके। हमारे पूर्वांचल में किसानों की हालत बहुत ही दयनीय और बदतर इसलिए है कि वहां नदियों में पानी है, सिंचाई के संसाधन हैं, सिंचाई के संसाधनों का जाल है, फिर भी उन संसाधनों का सुदृढीकरण न होने से, संसाधनों का रख-रखाव ठीक प्रकार से न होने से वहां के किसान काफी गरीबी के दौर से गुजरते हैं। उनके खेतों तक हम पानी नहीं पहुंचा पाते हैं। वहां की शिक्षा का जो स्तर है, वहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय जरूर हैं, लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि उसके बावजूद भी उस क्षेत्र की इतनी बड़ी आबादी है कि उससे पूरे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ नहीं किया जा सकता है। वहां के लाखों नौजवान, लाखों बेरोजगार युवक नौकरियों की तलाश में दूसरे प्रांतों में जाकर बसने और काम करने का काम रहे हैं। इसलिए इस संकल्प के माध्यम से, इस प्रस्ताव के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहूंगा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को विकास करने के नाम पर केंद्रीय सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा पैकेज देने का काम करके वहां के किसानों, बेरोजगारों और वहां की गरीबी को दूर करने का, किसानों के सिंचाई के संसाधन को मजबूत करने का जो काम किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से हमारी केंद्रीय सरकार से मांग है और आपके माध्यम से मांग है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो पिछड़ा और गरीब इलाका है, जो बुनकरों से भरा-पटा हुआ है। आज वहां के बुनकरों की हालत भी बहुत दयनीय है। वे आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं।

वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बुनकरों ने जो लोन ले रखा है, जो उनके बिजली के बिल हैं, वे उनकी अदायगी करने में असमर्थ हैं। हमारी सरकार से मांग है कि वह ऐसे गरीब बुनकरों के लोन माफ करने की पहल करे और बुंदेलखंड की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक सहायता देने का काम करे।



मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल खेती के रूप में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहां की जमीन उपजाऊ है लेकिन चंदौली, बनारस धान और गेहूँ का कटोरा कहा जाता है। गाजीपुर खेती के मायने में एक मजबूत क्षेत्र है, लेकिन पानी रहते हुए भी वहां का किसान एक-एक बूंद पानी के लिए तड़पता है। पूर्वांचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी शारदा सहायक नहर से पानी जाता है। वह नहर जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गई है। अगर उस नहर को मजबूत बना दिया जाए, पक्का बना दिया जाए तो जो पांच सौ किलोमीटर बहराइच से आगे से पानी आता है और जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़ तक नहीं पहुंच पाता, उस पानी को पहुंचाने का काम हो सकता है। उसी प्रकार नारायणपुर पम्प कैनल जो एशिया का सबसे बड़ा पम्प कैनल है, उसके 12 पम्प हैं, लेकिन पचास किलोमीटर दूरी तक उसका पानी नहीं पहुंच पाता। वह नहर जर्जर और क्षतिग्रस्त है। चंदौली के किसान बराबर जन-आंदोलन और सूखे जैसी घटनाओं से प्रभावित होते हैं। वहां के किसान पानी के सवाल पर बराबर धरना, प्रदर्शन और आन्दोलन करते हैं और सरकारें उन पर लाठियां और गोलियां चलाने का काम करती हैं। उसका सिर्फ एक ही हल है कि अगर भपौली और नारायणपुर पम्प कैनल की मुख्य नहर को सौ, दो सौ करोड़ रुपये लगाकर पक्का बना दिया जाए तो पूर्वांचल का वह इलाका जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, वहां धान की पैदावार बढ़ सकती है और किसानों की माली हालत भी ठीक हो सकती है। आज पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जो नक्सलवादी गतिविधियों की तरफ प्रभावित हो रहे हैं। वहां के नौजवान आज हथियार उठा रहे हैं। उनके सामने एक ही समस्या है कि उनके पास रोजगार नहीं है। सामन्तवादी ताकतें उनके हकों को छीनकर बैठी हैं। जो उनके संसाधन हैं, उन पर पूंजीपतियों, बड़े लोगों का कब्जा है जिससे वे नौजवान आज नक्सलवादी गतिविधियों की तरफ बढ़ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब वहां के विकास के लिए पूर्व मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने बहुत सी योजनाएं कीं। लेकिन आज वे योजनाएं इसलिए बंद पड़ी हैं कि केन्द्र सरकार की कोई मदद नहीं है और राज्य सरकार उसे गंभीरता से नहीं ले रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि करमनासा पैकेज जो करोड़ों रुपयों का बनाया गया था, जो बराबर ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसे केन्द्र सरकार स्वीकार करे और नक्सलवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए उन क्षेत्रों के विकास के लिए काम करे।

पूर्वांचल में एक बाण सागर परियोजना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सोन नदी से मिर्जापुर, चंदौली और सासाराम के जिलों तक उस बाण सागर परियोजना का पानी जाएगा। वह परियोजना अधूरी पड़ी हुई है, उसे पूरा करने का काम होना चाहिए।

मैं गंगा प्रदूषण की बात करना चाहता हूँ। पानी है लेकिन गंगा का पानी प्रदूषित हो गया है। बनारस उस पूर्वांचल की राजधानी है, दुनिया की धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक राजधानी है। वहां के आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए केन्द्र सरकार को मदद करनी चाहिए। मैं आज आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तक पूर्वांचल का विकास नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। पूर्वांचल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां के लोगों की आर्थिक हालत खराब है, जहां के लोगों की इनकम के स्रोत कम हैं। बुंदेलखंड की तर्ज पर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देकर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक वातावरण को अच्छा बनाने का काम करना चाहिए। नहीं तो देश के विकास में पूर्वांचल एक पिछड़ा हुआ इलाका, गरीब के रूप में पहचान बनाने वाला इलाका बनता जायेगा, जो देश और हम सबके लिए अभिशाप होगा। जहां लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग राजनैतिक फकीर पैदा हुए हों, जहां संत कबीर, बुद्ध और ऐसे महान् संत पैदा हुए, उस क्षेत्र की उपेक्षा लगातार होती जा रही है। वहां जो भी सरकारें रहीं, वे सरकारें पूर्वांचल के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : राम किशुन जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।



श्री रामकिशुन : मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि पूर्वांचल के साथ सौतेला व्यवहार बंद करे। आप बुंदेलखंड को विकसित कीजिए। इसमें हमारा कोई विवाद नहीं है। ...(व्यवधान) आप उसे पैकेज दें, आर्थिक विकास के लिए आगे बढ़ायें। उस उद्योगविहीन क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने का काम करें, यही मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का मौका दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जनपद ऐसे हैं जो आज गुरबत, पिछड़ेपन, रिजिनल इम्बैलेंसेज के शिकार हैं। वहाँ आर्थिक विषमताएं हैं और गरीबी और अमीरी की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। मैं उसकी तरफ इस सदन का ध्यान गंभीरता से आकृष्ट करते हुए केन्द्र सरकार से इस बात के लिए मांग करूंगा कि कम से कम उसने एक पहल की कि अगर आज देश में कहीं भी योजनाओं के समग्र विकास से कोई क्षेत्र क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार हो रहा है या रिजिनल इम्बैलेंसेज का शिकार हो रहा है, तो उसे एक विशेष पैकेज दिया जाये। जिस तरह से बुन्देलखंड को एक आर्थिक विशेष पैकेज केन्द्र सरकार ने दिया है, उसी तरह से हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के केवल कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को रेखांकित करना चाहते हैं। जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, आज जो सबसे ज्यादा, सर्वाधिक गरीबी, आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार है, उसे भी जब तक केन्द्र सरकार द्वारा कोई आर्थिक रूप से विशेष पैकेज नहीं दिया गया, तो निश्चित तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश न केवल उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय असंतुलन है, बल्कि देश के किसी भी हिस्से की तुलना में वह पिछड़ता हुआ चला जायेगा।

आज उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, उसकी 40 प्रतिशत आबादी केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जनपदों में है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक एनुअल प्लान बनता है या प्लेन प्लान आउटले है, उस बजट में 40 प्रतिशत हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नहीं है। आज किसी भी क्षेत्र के विकास का क्या पैमाना होगा? उस क्षेत्र के विकास का पैमाना कृषि क्षेत्र में हो सकता है कि कृषि का उत्पाद क्या हो या उस क्षेत्र में कौश क्रॉप क्या है? उस कौश क्रॉप से किसानों की स्थिति क्या है या उद्योग से पैमान हो सकता है। इन्हीं चीजों से केवल किसी क्षेत्र के विकास का पैमाना हो सकता है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि वहाँ कौश क्रॉप गन्ना थी। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में निरंतर जो चीनी मिलें थीं, वे एक-एक करके बंद हो गयीं हैं। राज्य चीनी निगम की जितनी चीनी मिलें थीं, पिछले दिनों राज्य सरकार ने फैसला किया कि हम इन चीनी मिलों को बंद करेंगे और इसे हम निजी क्षेत्रों में बेचेंगे। पिछले कई वर्षों से इस बात का फैसला लिया गया, लेकिन अभी तक उन चीनी मिलों के रिवाइवल के लिए कोई काम नहीं हुआ। जब कांग्रेस सरकार थी, तो उस समय शुगर डेवलपमेंट फंड से हर साल हम दो चीनी मिलों को रिवाइव करते थे। हम इस बात का, 18 करोड़ की आबादी में, 40 प्रतिशत जिस क्षेत्र की यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी हो, मैं कहता हूँ कि अगर राज्य सरकार न भी सपोर्ट करे, केन्द्र सरकार न भी सपोर्ट करे, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट डिपाजिट रेशियो में एक पहल की थी कि अगर किसी इलाके में बैंकों में पैसा वहाँ की जनता और किसानों द्वारा जमा किया जायेगा, उस पैसे में जमा के

अनुपात में कम से कम 60 प्रतिशत ऋण वहीं के लिए दिया जायेगा चाहे वह क्रॉप लोन के रूप में दिया जायेगा या उद्योग के लिए दिया जाये। लेकिन आज उस आरबीआई की जो एक आर. बी. बाज समिति की सिफारिश भी है, उस सिफारिश में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2002 तक हम 60 परसेंट सीडी रेशियो एचीव कर लेंगे।

आज देश में जहां कई राज्य ऐसे हैं जिनमें सीडी रेशियो 100 प्रतिशत से ऊपर जा रहा है, उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो 42 प्रतिशत है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो मात्र 22 प्रतिशत है। अगर हम 100 रूपया जमा करते हैं, तो उसका 22 रूपए ही वहां विकास के लिए, वहां ऋण के रूप में वहां के लोगों को दिया जा रहा है और बाकी पैसा कहीं न कहीं मुंबई में बैंकों के मुख्यालयों से दूसरे क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। उस समिति ने जो सिफारिश की थी, दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद से जो सरकारें बनीं, न उनकी यह प्राथमिकता थी कि राज्य का विकास कैसे होगा, न उनकी कोई कार्ययोजना था कि आरबीआई ने जो सिफारिश की है, उसके सापेक्ष हम उन बैंकों पर कोई दबाव डालें, जबकि आरबीआई ने कहा था कि एक कोर ग्रुप का गठन होना चाहिए। हमने कोर ग्रुप का गठन भी किया था और उस कोर ग्रुप के तहत राज्य के सभी जनपदों की तहसीलों में एक टास्कफोर्स का गठन एसडीएम की अध्यक्षता में किया गया था। किसी बैंक में कोई व्यक्ति, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई नौजवान, कोई बेरोजगार अगर लोन के लिए एप्लीकेशन देगा तो हर महीने एसडीएम उसको मॉनीटर करेगा कि बैंकों ने उस लोन डिमाण्ड के अगेंस्ट कितना लोन मंजूर किया है। लेकिन आज वे सारी प्राथमिकताएं बंद हो गयी हैं। माननीय विजय बहादुर सिंह जी यहां बैठे हैं, अब इनकी प्राथमिकता केवल पार्क, स्मारक, मूर्तियां रह गयी हैं, इनकी प्राथमिकता यह नहीं रह गयी है कि राज्य के उन बेरोजगारों के, जिनके चेहरों पर भविष्य की आकांक्षाएं हैं, उनकी मदद की जाए।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The interruptions will not go on record. Please allow the hon. Member to speak.

*(Interruptions) ...**

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय सदस्य मेरे साथ विधानसभा में भी रहे हैं और ये जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय पूंजी निवेश एवं उद्योग के कितने लेटर ऑफ इंटेन्ट इश्यू हुए। यह विषय ऐसा है, दो विद्वान व्यक्ति यहां बैठे हैं जो सरकार से संबंधित हैं। वे बताएं वहां पिछले तीन वर्षों में औद्योगिक विकास के लिए कितना पैसा निवेश हुआ या कोई बड़ा उद्योग वहां आया या कोई लेटर ऑफ इंटेन्ट जारी

* Not recorded.

हुआ। आखिर किसी राज्य का औद्योगिक विकास हुए बिना कैसे बेरोजगारी दूर कर सकते हैं? आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवान बीए-एमए करने के बाद मुंबई की सड़कों पर, कुर्ला, अंधेरी, साकानाकी में मेहनत और मशक्कत करके अपने परिवार को जब मनीऑर्डर भेजता है, तो मनीऑर्डर इकोनोमी से उत्तर प्रदेश के घरों की परवरिश होती है। हमारे राज्य में आज उद्योग नहीं रह गए हैं, हमारे लोगों के हाथों में काम नहीं है। आज मनीऑर्डर इकोनोमी चल रही है। या तो कोई फौज में है या पीएसी में है, वहां से मनीऑर्डर से पैसा भेजते हैं, तो घर चलता है। आप हर महीने मुंबई इसलिए जाते हैं कि वहां आपके घरों के लोग हैं, आपके गांव और आपके क्षेत्र के लोग वहां हैं। आज हमारे 40 लाख लोग मुंबई शहर में हैं, गुजरात के सूरत, अहमदाबाद आदि शहरों में हैं। क्या यह बात उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर पेश नहीं करती है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर रोजगार का अवसर होता, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के संबंध में राज्य की कोई योजना होती, राज्य का कोई ख़ाब होता, तो निश्चित तौर से आज वहां से लोगों का पलायन नहीं होता। आज यह वहां की नियति बन गयी है।

पिछले साल जब पूरा देश सूखे की चपेट में था, उस समय भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी क्योंकि हम नेपाल की फुटहिल्स में हैं। नेपाल की करनाली, जलकुण्डी, कोसी या अन्य किसी नदी में पानी ऊपर से आता है तो हम फुटहिल्स, तराई में होने के नाते उससे प्रभावित होते हैं, हमारे यहां तत्काल बाढ़ आ जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों की यही नियति बन गयी है कि हर साल बाढ़ से या सूखे से फसलों की बर्बादी होती है। वहां किसान की मेहनत की कमाई की फसल बाढ़ और सूखे से खत्म हो जाती है। अगर कुछ फसल बची, तो आप लोग सहमत होंगे, आए दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों के खेतों में आग लग रही है, पूरा सिवान का सिवान जल जाता है। संत कबीर नगर से बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं, उनके इलाके में चार दिन लगातार किसानों के खेत जल गए। वहां का किसान महुली थाने पर गया, उन्होंने फायर ब्रिगेड मंगाने की मांग की, फायर ब्रिगेड नहीं आई। मुआवजे की मांग करने पर किसानों की छतियों पर गोली मारी गयी। पांच किसान आज भी जीवन-मौत से जूझ रहे हैं। अगर किसान के उत्पादन का नुकसान हो और उसे नेचुरल कैलामिटी में न रखा जाए, अगर किसान की फसल की बर्बादी होती है, तो कहा जाता है कि अगर खलिहान में आग लग जाए, लेकिन जब से कंबाइन आ गयी, अब कोई फसल खेत से खलिहान नहीं जाती है।

आज वह कम्बाइंड रूप से खेतों में ही गेहूँ को अलग कर देती है, भूसे को अलग कर देती है और डंठल को अलग कर देती है। आज आवश्यकता है कि सम्बन्धित एक्ट में संशोधन किया जाए और खलिहानों की जगह खेत में भी आग लगे, तो उसे दैवीय आपदा मानकर किसानों को सहायता दी जानी चाहिए। लेकिन यह सब नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने इसी सदन में चर्चा की थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में



हजारों बच्चे जैपनीज एनसाइफ़ैलिटीज से मर जाते हैं। उस बीमारी का आज तक कारण नहीं पता चल पाया है कि मस्तिष्क ज्वर से जो लोग मरते हैं, उस बीमारी के वायरस क्या हैं। केवल प्रिवेंटिव हो सकता है, फिर भी इस बीमारी के बाद सारा जीवन विकलांग हो जाता है और वे अभिशप्त जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो जाते हैं। इस तरह वे अपने परिवार वालों पर बोझ बन जाते हैं। एक तरफ यह विडम्बना कि पहले से ही घर में गरीबी और गुरबत और दूसरी तरफ लाचार और अपंग बेटा। इससे आप समझ सकते हैं कि परिवार के मुखिया के सामने अंधेरा ही छाया रहता है। इस तरह उस बच्चे के मां-बाप उम्र से पहले ही उसकी परवरिश करने से टूट जाते हैं।

हम सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो उद्योग थे, वे बंद हो गए। गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना था, वह बंद हो गया। बस्ती इंडस्ट्रियल इस्टेट बंद पड़ी है। आज सिद्धार्थ नगर जो हमारा जनपद है, वहां जीरो इंडस्ट्री है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जो उद्योग शून्य हैं। आज वहां पर कोई उद्योग लगाने की बात नहीं होती। राज्य के परिव्यय में जो हमारा 40 प्रतिशत हिस्सा बनता है, वह भी हमें नहीं मिल रहा है। इन सब बातों को देखकर आप कैसे कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे।

इसी लोक सभा में यूपीए की पिछली सरकार ने एक विधेयक पास किया था। उस विधेयक में प्रावधान था कि जैसे ब्राजील में एथोनोल बनाते हैं, उसी तरह यहां भी बनाया जाए। इसके लिए अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का उद्धार करना है, उन्हें रिवाइव करना है, जिससे किसानों की विपन्नता की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हो, उनके जीवन की शैली को सुधारा जा सके, जिससे वे अपने परिवार के जीवनयापन की सम्भावनाएं बढ़ा सकें तो इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार भी कम से कम वैसा ही विधेयक अपने यहां पास करे। पिछले दिनों वहां की सरकार ने इस तरह का विधेयक पास किया था कि हम गन्ने के रस से या शीरे से एथोनोल बनाएंगे। लेकिन जिस दिन इस विधेयक को राज्य की विधान सभा ने पारित किया कि हम एथोनोल बनाने का बिल पास करते हैं। अब चीनी मिलें इसे बना सकेंगी और वैकल्पिक ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगी, लेकिन उसी दिन यह भी फैसला किया गया कि हम राज्य चीनी निगम की सारी चीनी मिलों को बंद करेंगे। इस तरह के दोहरे मानदंड से कैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है।

सभापति महोदय : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर, मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूँ, केवल विषय पर ही अपनी बात कह रहा हूँ।

आज वहां की पर केपिटा इनकम भी सबसे कम है। वर्ष 1993-1994 में आल इंडिया स्तर पर 7690 रुपए पर केपिटा इनकम थी, वहीं उत्तर प्रदेश की 5000 रुपए पर केपिटा इनकम थी। अगर आप वर्ष 2003-2004 की आल इंडिया स्तर पर पर केपिटा इनकम देखें तो वह डेढ़ गुना बढ़कर 11,799 रुपए हो गया, लेकिन उस समय भी उत्तर प्रदेश की पर केपिटा इनकम केवल 5702 रुपए ही थी। इसका मतलब यह है कि दस साल में केवल मात्र 500 रुपए के करीब ही उत्तर प्रदेश की पर केपिटा इनकम बढ़ी है। इससे आप सोच सकते हैं कि जहां आल इंडिया पर केपिटा इनकम 7000 रुपए से बढ़कर डबल हो गई, वहीं उत्तर प्रदेश में डेढ़ गुना नहीं, सिर्फ 500 रुपया ही बढ़ी है। यह बात सर्वविदित है कि ये आफिशियल पर केपिटा इनकम के आंकड़े हैं। इससे पता चलता है कि देश में प्रति व्यक्ति आमदनी दस सालों में दोगुनी हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश में निरंतर घटती जा रही है, दस साल में मात्र 5066 रुपए से 5702 रुपए ही हुई है। इसका तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की, गरीब लोगों की पर केपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है। सभापति जी, आप जानते हैं, आप विद्वान हैं कि पर केपिटा इनकम जो उत्तर प्रदेश की 5702 रुपए है, यह केवल किसान की नहीं है। इसमें वहां के उद्योगपतियों, डाक्टर्स, वकीलों, किसानों और बेरोजगारों का भी है। कोई भी पर केपिटा इनकम वार्षिक औसत से निकाली जाती है। आज साफ है कि सबसे ज्यादा देश में जिस राज्य में विषम परिस्थितियां हैं, तो वह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की हैं यानि पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं।

मैं समझता हूँ कि यह वक्त का तकाजा है कि हमारी केंद्र की यूपीए सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। सड़क बनाने का काम अभी तक केवल राज्य सरकारों का था। पीडब्ल्यूडी हो या सड़क का मामला हो, ये राज्य के विषय हैं। आज हर गांव की कनेक्टिविटी हो। गांव की कनेक्टिविटी से गांव का विकास होगा और वे देश की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे। किसानों का उत्पाद सीधा मंडियों में आएगा। बिचौलियों से किसानों को छुटकारा मिलेगा। अभी गेहूं के क्रय केंद्र खुले हैं। घोषणा हो गई है कि छह हजार क्रय केंद्र खुलेंगे। चालीस लाख मिट्रिक टन की खरीद उत्तर प्रदेश में होगी। अभी केवल एक लाख पन्द्रह हजार मिट्रिक टन की खरीद हुई है। अगर केंद्रीय पूल के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार खरीद नहीं कर रही है, कल विजय बहादुर जी गेहूं की मांग करेंगे और हमसे अपेक्षा करेंगे कि उनकी जो मांग हो, उसके अनुसार गेहूं और चावल भी दें। हम जरूरत देंगे, इसके बावजूद देंगे, लेकिन कम से कम जनहित की भी कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए। प्रदेश की जनता की भी कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए। साधु, संतों और महात्माओं के कार्यक्रमों को जरूर महिमा मंडित करें, बहन जी को महिमा मंडित करें, उनकी मूर्तियों को सम्मानित करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम इतना चाहते हैं कि प्रदेश की

जनता के हितों को ध्यान में रखना चाहिए।... (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप अगर प्रदेश में सड़कें बन रही हैं, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बन रही हैं। राज्य के पास सड़कें बनाने के लिए पैसा नहीं है। हमने जिले की विजिलेंस एंड मोनिटरिंग समिति की बैठक की थी। हमने कहा कि बाढ़ से पूर्व बांध को रिपेयर करने के लिए गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, बहराइच, स्रावस्ति, बलरामपुर आदि।

MR. CHAIRMAN : The time allotted for this discussion is exhausted. There are four more speakers and the hon. Minister has to reply. If the House agrees, we will extend the time of this Resolution by one hour.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time for discussion on this Resolution is extended by one hour.

Shri Jagdambika Palji, you should conclude your speech in one minute.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): The next Resolution is very important. We should have ample time so that that Resolution is taken up.

MR. CHAIRMAN: Yes.

श्री जगदम्बिका पाल : मैं आपका आभारी हूँ कि सदन इस बात को गंभीरता से ले रहा है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या प्रतिपक्ष के साथी हों, सभी को चिंता है। अभी कल वाले टांडा के पुल की बात हो रही है या इस तरह से जो बड़े पुल हैं। चाहे सीआरएफ हो, नेशनल हाइवेज़ हों या ग्रामीण सड़कें हों या नरेगा है, अगर आज कुछ पलायन रुका है, तो इनके कारण पलायन रुका है कि हम गांव के व्यक्ति को उसकी मांग के अनुरूप उसे काम का अवसर दे रहे हैं। अन्यथा उत्तर प्रदेश की स्थिति विषम हो जाती, भयावह हो जाती।

15.59 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)


मैं समझता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश फैजा, बाराबंकी से ही शुरू हो जाता है और देवरिया तक जाता है, जिसमें वाराणसी मंडल है, इलाहाबाद मंडल है, आजमगढ़ मंडल है, गोरखपुर मंडल है, देवीपाटन मंडल है, बस्ती मंडल है। इन 27 जनपदों में सबसे ज्यादा कुपोषण है। लोगों को जो 1400 या 1700 कैलरीज चाहिए, आज गांवों में लोगों को दो वक्त का भोजन नहीं मिलता है। यह हकीकत है। चाहे हम किसी पक्ष के संसद सदस्य हों, गांव की गरीबी देख कर हमें लगता है कि हम उस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आज उस क्षेत्र में बीमारियों से लोगों की मौतें हो रही हैं। उन जनपदों में मेडिकल फ़ैसिलिटी होनी चाहिए।... (व्यवधान) पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी बुंदेलखंड की तर्ज पर एक विशेष पैकेज की मांग करते हैं।

उत्तर प्रदेश में सत्ता में आप हैं। आपकी जनता के प्रति जवाबदेही है। आप बताएं कि पिछले तीन वर्षों में आपने कौन सी विकास योजना लागू की है।

16.00 hrs.

कौन सी चीनी मिल चलाई? शुगर कॉरपोरेशन फेडरेशन के अंतर्गत प्राइवेट सैक्टर में कोई नई चीनी मिल स्थापित की है? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: पाण्डे जी आप बैठ जाइए। आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

 (व्यवधान) *

श्री जगदम्बिका पाल : आज बिजली की स्थिति यह है कि बिजली भी केंद्र में है और केंद्र से 80,000 करोड़ पैकेज भी दें तो सरकार किस लिए चलाएंगे? हम पैसा दें और ये मूर्ति लगाएंगे। हम केंद्र का पैसा अनुत्पादक चीजों में नहीं देंगे। हम केंद्र का पैसा प्रोडक्टिव, प्लान, डेवलपमेंट और विकास को देंगे इसलिए हमने तीन काम किया है। हमने रोजी और रोजगार के लिए नरेगा एक्ट बनाया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए बनाया। राइट टू इन्फार्मेशन से लोगों को सूचना का अधिकार दिया। हमने इस देश में जनता को सबसे बड़ा अधिकार दिया है। चाहे रोटी का सवाल हो या सूचना का अधिकार हो। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से विशेष पैकेज दिया जाए।

सभापति महोदय: श्री घनश्याम अनुरागी।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): मैं इस सीट से अपनी बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर नहीं है, इसके लिए आपको चेयर से परमिशन लेनी चाहिए।

श्री घनश्याम अनुरागी : सभापति महोदय, आपकी परमिशन हो तो मैं इस सीट से अपनी बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: परमिशन है।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): माननीय सभापति महोदय, आज पूरे देश में गंभीर सूखे की स्थिति है क्योंकि पानी बहुत कम बरसा है। बुंदेलखंड व मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र में गंभीर संकट गहराते जा रहे हैं। वहां कृषि के अलावा दूसरा कोई जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है, मजदूर बन गया है। मजदूर निश्चित तौर पर बड़े शहरों और नगरों में पलायन करने लगे हैं। किसान और मजदूर में कोई अंतर नहीं रह गया है। हमारे यहां गंभीर संकट है और इस समय पेयजल की कमी है और सिंचाई का कोई साधन नहीं है। वहां किसानों को पानी नहीं मिलता है, गहरे नलकूप नहीं हैं। बुंदेलखंड के पैकेज की घोषणा हुई है लेकिन एक रुपया भी वहां नहीं पहुंचा है। इस पैकेज में गहरे डीप बोर नहीं लिए गए हैं और नई पंप केनाल नहीं ली गई है। यह दुख का विषय है इसलिए किसानों के हित के लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए इसलिए बुंदेलखंड के पैकेज में डीप बोर एवं पंप केनाल अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। वहां लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इसके लिए प्रत्येक जिले में 2000 इंडिया मार्क के हैंडपाइप पैकेज में लेना चाहिए। वहां सड़कें नहीं हैं जबकि गांव, मजरे और शहरों में जहां सड़कें नहीं हैं, वहां सड़कें बनवानी चाहिए और यह पैकेज में भी होना चाहिए। यहां बिजली आती नहीं है, दिल्ली में जाती नहीं है। यहां सड़कें बिछाने के लिए जगह नहीं है, जमीन के नीचे ट्रेन लाइन बिछाई जाती है लेकिन वहां जगह है और सड़कें नहीं बिछाई नहीं जाती हैं। हमारे यहां लोग भूख से तड़पकर मर जाते हैं और यहां बड़े लोगों के कुत्ते ब्रेड और मक्खन बर्बाद कर देते हैं जबकि हमारे यहां रोटी के अभाव में लोग भूख से तड़पकर मर जाते हैं। पानी के अभाव में मनुष्य और जानवर प्यास से तड़पकर मर जाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वहां के किसानों और लोगों का भला हो इसका एक ही उपाय है कि तुरंत सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड को लीजिए। वहां गंभीर संकट है। जिस तरह से उड़ीसा में कोराकुट, कालाहांडी और बालांगी में तुरंत सिंचाई लाभ योजना लागू की गई है उसी तरह बुंदेलखंड में यह योजना लागू होना चाहिए तभी किसानों का हित होगा, लोगों का कल्याण होगा। वहां शिक्षा की भी दुर्दशा है। वहां गांव दूर-दूर हैं, मजरे हैं, डेरे हैं लेकिन स्कूल नहीं हैं। स्कूल हैं तो मास्टर नहीं हैं। बुंदेलखंड में स्कूलों और मास्टरों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने की आवश्यकता है। इसी तरह भारी कमी अस्पतालों की है। अस्पतालों में न दवा है और न डॉक्टर है। वहां महिलाओं की बराबर की आबादी है लेकिन वहां महिला डॉक्टर और न विशेषज्ञ नहीं हैं। मेरी मांग है कि वहां अस्पताल में दवा उपलब्ध कराई जाए और शीघ्र डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए।



वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। आज स्थिति बड़ी गंभीर है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केन्द्र की सरकार हो, पता नहीं, ये बुंदेलखंड के प्रति संवेदनशील नहीं है। आज बुंदेलखंड कराह रहा है, चिंघाड़ रहा है, वहां के लोग चिल्ला रहे हैं, वहां के लोग तड़प-तड़प कर भूख से मर जाते हैं। हमें यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि यदि वहां पेयजल के लिए ट्यूबवैल न दिये जा सकें तो कम से कम हैंड पम्प ही दे दिये जाएं। वहां पेयजल का संकट गहरा गया है। लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड को पैकेज दे दिया गया। लेकिन बुंदेलखंड को अभी एक रुपया भी नहीं मिला है।

सभापति महोदय : ऑनरेबल मੈम्बर, आपको तो स्पेशल पैकेज मिल गया है।

श्री घनश्याम अनुरागी : नहीं सर, बुंदेलखंड को अभी एक रुपया भी नहीं मिला है। ...(व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): अभी यहां पूर्वांचल का सब्जेक्ट चल रहा है और आप बुंदेलखंड के बारे में भाषण दे रहे हैं। आप पूर्वांचल के विषय पर आइये। ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम अनुरागी : सर, मैं उसी प्रदेश का हूँ। मैं कह रहा था कि वहां गहरे ट्यूबवैल्स की आवश्यकता है। आपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को क्या पैकेज दिया है, केवल साढ़े सात हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं। जबकि वहां दो प्रदेशों में तीस हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि बुंदेलखंड का पैकेज बढ़ाकर तीस हजार करोड़ रुपये किया जाए, जिसमें सिंचाई, शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, किसानों की खाद, बीज मुक्त किये जाएं और वहां के लिए बिजली की अलग से व्यवस्था की जाए। मेरा कहना है कि बिजली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को या तो धन दिया जाए या उत्तर प्रदेश सरकार को कहा जाए कि बुंदेलखंड को पर्याप्त बिजली दी जाए। वहां कुल दो घंटे बिजली दी जा रही है। वहां के लोग गर्मी से कराह रहे हैं। उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश की सरकार के विषय में तो हम क्या कहें, वह संवेदनशील नहीं है, वह संवेदनहीन सरकार है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि वहां सिंचाई, दवाई, पढ़ाई और सड़कों की गंभीर आवश्यकता है। इसलिए बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा पैकेज बनाया जाए और सिंचाई के लिए व्यवस्था की जाए। वहां किसानों की गरीबी और भुखमरी को दूर करने के लिए व्यवस्था की जाए। इसके लिए मैं आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों ने कहा कि बुंदेलखंड के पैकेज में जो योजनाएं बनाई गई हैं, वे नाकाफी हैं। वे ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। अधिकारियों द्वारा वहां के लिए ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं, जो केवल रुपया खाने के लिए बनाई गई हैं। उनसे वहां का विकास नहीं हो सकता है। ये

नई योजनाएं हैं। मैं समझता हूँ कि वहां के जनप्रतिनिधियों को बैठाकर योजनाएं बनाई जानी चाहिए। वे योजनाएं जिला योजना या जिला पंचायत में पास कराई जाएं या सांसद की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जिले के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए तथा उपयोगिता के अनुसार माननीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर योजनाएं बनाई जाएं और उन्हीं योजनाओं में बुंदेलखंड को आबंटित पैसा खर्च हो। वहां इन योजनाओं के लिए किसी से कुछ पूछ नहीं गया। अधिकारियों ने ए.सी. कमरों में बैठकर योजनाएं बना दी हैं। केवल इन योजनाओं में कितना ज्यादा कमीशन बचे, वहां के अधिकारी केवल खाने के चक्कर में और बुंदेलखंड पैकेज लूटने के चक्कर में वे ये सब कर रहे हैं। वहां केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के अधिकारी मिलकर इस पूरे पैकेज को खाना चाहते हैं। वे लोग विकास नहीं करना चाहते हैं।

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि गरीबों, किसानों और मजदूरों के प्रति संवेदनशील हो। इसके अलावा बुंदेलखंड से लगा हुआ पचास किलोमीटर का क्षेत्र है, चाहे इटावा हो, औरैया हो, चाहे कानपुर देहात तथा भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र हो, घाटमपुर हो, इन इलाकों के लोग भी बुंदेलखंड के लोगों की तरह जीवनयापन कर रहे हैं। यहां भी वहीं परिस्थितियां हैं। इन सबको भी बुंदेलखंड की तरह पैकेज दिया जाए और उसी में कहा जाए कि वह भी बुंदेलखंड की परिस्थितियों जैसा है, वहां भी विकास के लिए योजनाएं दी जाएं अन्यथा उसी पैकेज में इन इलाकों को भी शामिल कर लिया जाए और जिस तरह से बुंदेलखंड के विकास के लिए पैकेज दिया जा रहा है, उसी तरह इस क्षेत्र के विकास के लिए भी पैकेज की घोषणा की जाए।

मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि केन्द्र सरकार इस पर विचार करे। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार भी केन्द्रीय योजनाओं के पूरे पैसे का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए उसकी भी सीबीआई जांच कराई जाए। वहां 'नरेगा' योजना 'मरेगा' योजना हो गई है। इन योजनाओं में वहां कोई काम नहीं हो रहा है, केवल वसूली चल रही है तथा अधिकारी मिल-बांटकर नियम-कानून और गाइडलाइंस को ताक पर रखकर मनगढ़ंत आंकड़े बनाकर पैसा लेने का काम कर रहे हैं।

इसलिए वहां की सरकार और अधिकारियों के खिलाफ भी सीबीआई जांच कराई जाए। जिस दिन वहां सीबीआई जांच कराई जायेगी, वहां की सरकार एवं अधिकारी कटघरे में खड़े होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Sir, I am not against any special package for Bundelkhand but we should frame a specific policy. India is a big country with 619 districts. There are remote villagers, farflung areas where people cannot always reach. There has been selective development around the cities and towns. A proper policy should be there to decide which region is backward and which is not. Thus my proposal is a National Commission for Integration of Backward districts and Regions should be set up as soon as possible by the Central Government. The socio-economic picture of the country will be clear if we look at the report of this commission. If that is not done, then no development will be possible. The Government is saying that the Eastern India is less developed. You are aware that West Bengal can be divided into two parts – one part is North Bengal which is a backward region. Western Bihar, North Bihar and North Bengal lead to as far as Arunachal Pradesh. You will not see any irrigation facilities in the entire stretch. In India there are 5101 big dams for irrigation but in West Bengal we have only 28 dams. Arunachal Pradesh is the bordering state. But ironically the entire area lags behind on every account. If we want to have more progress, we have to take good care of the agricultural sector.

In order to develop agriculture, irrigation facilities must be improved. But there are major pressure groups which exercise their rights to be hill and have power to armtwist the administration. If political will is lacking, then we will never have any development in the underdeveloped areas, this has to be kept in mind. You know that the districts of Purulia, Bankura, Midnapore of West Bengal, are termed as ‘Jangalmahal’ area and these are Naxal-affected region. Who is going to bring about development in this area? The Government should include it within its policy

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

I hail from South Dinajpur. My specific proposal is to set up the commission and usher in development in right earnest. In North Bengal there is dearth of factories, enterprises or infrastructure. Colleges, technical educational institutions are also nowhere to be seen. In my Balurghat, not a single engineering medical or technical college is there. Transport facilities are also not up to the mark. Though Dalkhola is the gateway to Eastern India the roads are in very poor shape. Irrigation facilities are extremely inadequate. People are forced to drink arsenic contaminated water. In Tapan, and gangarampur block, potable drinking water is not available. Water is life. So something must be done in this regard. I wish the country progresses in the right direction. With these words I conclude my speech.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I will appreciate Rajkumari Ratna Singh as she has brought forward a most relevant resolution and without any ambiguity all the Members of this House should support the Resolution for the people of Eastern Uttar Pradesh.

The State of Uttar Pradesh is largely a collection of various geographical and historical regions which was carved out under the colonial administration. Later on, various regions have been segregated from Nawab of Oudh and the King of Garwal to form the United Province. Sir, in 1950, there were 51 districts in UP. With the creation of 15 more districts during the two regimes of Mayawati Government, the number shot up to 82. After 2000, when Uttaranchal has been constituted, UP is left with 70 districts. With the exclusion of Uttaranchal, the districts of UP could be categorised into six regions, namely, Rohilkhand, Bundelkhand, Upper Doab, Lower Doab, Eastern and Western UP. In so far as economic region is concerned, UP is categorised into four regions. And now, we are here deliberating on the situation of Eastern UP. It has been proposed by the Resolution that as the package of Bundelkhand has served some succour to the parched population of that rocky terrain, people of Eastern UP should be offered this kind of a package. This is the essence of the Resolution. Due to our young leader, Shri Rahul Gandhi, Bundelkhand had shot into prominence and by dint of his persistent endeavour, Bundelkhand has got the package.

Similarly, Eastern UP which is not only one of the most populated regions in our country but also one of the poorest areas of our country should be given the package like Bundelkhand. I support such a package.

If you see the parameters used to determine an area to be recognised as backward, then all the parameters will merge in Eastern UP. As far as population is concerned, Eastern UP consists of 40 per cent population of Uttar Pradesh. As far as density of population is concerned, Eastern UP has the high density of population in UP. It is 776 persons per square kilometre.

As far as urbanisation is concerned, it is one of the parameters which determines the backwardness of region. If you go by the index of human development, then urbanisation constitutes one of the indices. In terms of urbanisation, in the entire UP, highest percentage of urbanisation occurs in Western region. That is 28.25 per cent. But so far as Eastern UP is concerned, urbanisation has now been hovering around merely 11.78 per cent. That means out of 100 people in Eastern UP, only 11 people live in cities or towns. It clearly indicates that Eastern UP is a backward area not only in UP but also in the country as a whole.

So far as literacy is concerned, Eastern UP has a low literacy rate estimated at 54.27 per cent. In so far as foodgrain productivity is concerned, I must admit that foodgrain productivity in Bundelkhand region is the lowest among all the regions in UP. That is 11.56 quintal per hectare. For Western Uttar Pradesh, it is 25.19 quintal per hectare. The gross value of the agricultural output in Eastern Uttar Pradesh is merely Rs.16,000 to 18,000 per hectare.

As far as irrigation is concerned, Eastern Uttar Pradesh is regarded as a low irrigated area in Uttar Pradesh. The per capita power consumption is also one determinant to define an area as backward. In terms of per capita power consumption, it is the lowest in Eastern Uttar Pradesh, that is 118.80 kilo watt in the Eastern Uttar Pradesh, whereas the highest per capita power consumption is in Western Uttar Pradesh, that is 273.70 kilo watt.

Majority of the farmers in Eastern Uttar Pradesh are categorised as marginal farmers. 84.20 per cent of farmers in Eastern Uttar Pradesh are categorised as marginal farmers.

If you come to the industrial scenario of Eastern Uttar Pradesh, it is abysmal. The number of people in Eastern Uttar Pradesh who are engaged in registered factory is only 97 per lakh, whereas in Western Uttar Pradesh it is 645 per lakh. So, it is easy to assume that Eastern Uttar Pradesh is a backward region of Uttar Pradesh.

There is a place in Eastern Uttar Pradesh called, Chauri Chura, which has a historical significance. Mahatma Gandhi propagated and led the non-violent movement. At that time, people from Chauri Chura were leading a peaceful demonstration. When the demonstration was passing through a police station of that area, the local police pounced on them without any provocation. In retaliation, those peaceful demonstrators had thrown all the police personnel in the fire. It means that if we neglect a spark, in future it will engulf the entire edifice. Already Maoists are encroaching into the area by taking advantage of the poverty and the impoverishment of Eastern Uttar Pradesh.

However, Eastern Uttar Pradesh is a land which can be exploited to the benefit of the common people, which can be utilised to the benefit of the common people because it has fertile lands for agriculture. It has a huge tourism potential. It has Banaras. Buddhist places are there. A number of tourist places are there in Eastern Uttar Pradesh.

So, if a package could be given to Eastern Uttar Pradesh, I think it will do justice to the people of Eastern Uttar Pradesh. In this regard, I would request the Government to take immediate steps so that the content of the Resolution could be materialised.

With these words, I thank you and conclude my speech.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। राजकुमारी रत्ना सिंह जी ने बुंदेलखंड की तर्ज पर जो मांग रखी है, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी विशेष पैकेज दिया जाए, उसके समर्थन में मैं कुछ बातें मांग के तौर पर, सलाह के तौर पर आपके सामने रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस देश को आजाद हुए लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं और इतने वर्षों में सर्वाधिक शासन सत्ता अगर किसी एक दल ने संभाली है तो वह कांग्रेस पार्टी है। किसी भी क्षेत्र, प्रांत एवं जिले का विकास एक दिन में नहीं किया जा सकता, उसके लिए वर्षों का समय चाहिए, लेकिन आज भी हम पूर्वांचल के लोग पीछे हैं, पिछड़े हैं। हमारी प्रतिव्यक्ति आय एवं हमारे संसाधन कम हैं। हमारे लोग वहां दुखी, पीड़ित, भूखे एवं नंगे हैं, यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है। यह सोचने की बात है कि विकास में हम क्यों पीछे रह गए? हम पूर्वांचल के लोग क्यों आज भी दयनीय स्थिति में हैं। अगर इस पर सर्वाधिक जिम्मेदारी जाती है तो वह कांग्रेस पार्टी को जाती है, इन्होंने 45 वर्षों तक उस प्रदेश में शासन किया है। आज पाल साहब बोल रहे थे, वे कह रहे थे कि आपकी यह सरकार मूर्ति और पत्थरों में लगी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके पहले सरकारों ने मूर्तियां नहीं लगवाईं, पार्क नहीं बने? ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए!...(व्यवधान) आप सुनने का साहस कीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Pandey, please address the Chair. Do not look to the other side. Please look at me. Please address the Chair.

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : आप सुनने का साहस कीजिए!...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Jagdambika Pal, please sit down. Shri Goraknath Pandey, please address the Chair and speak on the economic development of the area. Do not blame this side or that side. In that way, we are to be blamed; everybody is to be blamed.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : यह बात आई थी, इन्होंने कहा था, इसलिए यह कहना जरूरी हो गया। ...(व्यवधान) ये बोल लेते हैं, लेकिन सुनने की क्षमता इनमें नहीं है, ये सुन नहीं सकते, क्योंकि

इन्होंने गलतियां की हैं। अपनी कालिख किसी दूसरे के चेहरे पर लगाना आसान है, लेकिन पहले ये सोचें कि इन्होंने 45 वर्षों में क्या किया?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पाल साहब जिस क्षेत्र से आते हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि वहां एक नदी पर पुल बन रहा है, घाघरा नदी की बात अभी आई है। वहां दो पूर्ववर्ती सरकारों ने शिलान्यास किया। ...(व्यवधान) कांग्रेस ने भी किया और सपा ने भी किया। वहां पत्थर लगे और उसके बाद गायब हो गए। आज उसी घाघरा नदी पर सौ करोड़ की लागत से पुल बन रहा है, जिसके लिए इलाहाबाद और वहां की दूरी जो पांच घंटे की है, वह एक घंटे में होगी। उससे लोगों का समय भी बचेगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिजली की बात आती है। उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन करता है और उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में बिजली केन्द्र द्वारा मंगा ली जाती है, जब कि पैदा हम करते हैं। अभी प्रदेशों की बात आई, पूर्वांचल में विद्युत का उत्पादन हो रहा है, लेकिन वही बिजली जब मध्य प्रदेश में जाती है या अन्य प्रदेशों में आती है तो उसी बिजली को फिर से उत्तर प्रदेश में जिस भाव से खरीदा जाता है, ...(व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) बेचने वाले ये लोग हैं और आरोप वर्तमान सरकार पर लगाते हैं। ...(व्यवधान)

मान्यवर मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि यह सुनने की कोशिश करें। ...(व्यवधान) बिजली की बात की जाती है, उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन हो रहा है। अनपरा, ओबरा, रेणुकूट, रिहंद, एनटीपीसी है, वहां से केंद्र बिजली दूसरे प्रदेश के लिए उसका शेयर मंगा लेती है और फिर वही बिजली उत्तर प्रदेश को ज्यादा दाम में सप्लाई की जा रही है। हमारे साथ दो तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो वास्तविक स्थिति है, वह है प्राकृतिक प्रकोप। बाढ़ हर वर्ष आती है और हर वर्ष तबाह होते हैं गोरखपुर, बस्ती और आसपास के इलाके।

महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, वह भदोही लोकसभा क्षेत्र है। भदोही जनपद है, जो बुनकरों से भरा हुआ है, जहां कालीन उद्योग है। केवल भदोही जनपद ही नहीं, भदोही जनपद से लगे हुए पूर्वांचल के कई सारे जनपद जहां हथकरघे चलते रहे, जहां कताई-बुनाई होती रही, जहां बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के लोग रहते हैं। वे गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं। उनकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। वे आज गरीब नहीं हुए हैं। उनकी गरीबी चली आ रही है। उन्हें सलतनत में गरीबी मिली है। अगर आज उसका सारा दायित्व वर्तमान सरकार को दे दिया जाए, तो यह नाइंसाफी है। ऐसा कहने वाले लोग अपने गिरेबान में झांके। ये थर्मल पावर की बात कहते हैं, उसको किसने बेचा है - वर्तमान सरकार ने या पूर्ववर्ती


सरकारों ने? मनरेगा की बात कहकर ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। आज पूरा सदन इस बात का गवाह है कि इस मनरेगा से कितने लोगों का भला हो रहा है और उससे गांव के लोगों को क्या मिल रहा है?

महोदय, मैं आपके माध्यम से दो बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जो हमारा क्षेत्र है, पूर्वांचल का भदोही लोकसभा क्षेत्र जहां से मैं चुनकर आता हूं उससे सटे हुए बहुत सारे क्षेत्र हैं, जहां कालीन उद्योग से संबंधित लोग निवास करते हैं। वे भुखमरी की कगार पर हैं। सरकार उनके ऋण को माफ करे, उनको विशेष व्यवस्था दे और उनको विशेष पैकेज दे। ऐसे क्षेत्र जो नदियों से घिरे हैं, जो हर वर्ष कटान से पीड़ित हैं, उनकी हर वर्ष हजारों एकड़ जमीन समाप्त हो रही है। इसके संबंध में भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो क्षेत्र प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ की चपेट में आकर समाप्त हो रहे हैं, उन्हें भी सरकार को संरक्षण देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बुंदेलखंड की तर्ज पर पूर्वांचल के विकास के लिए अस्सी हजार करोड़ रूपए की मांग हमारी मुख्यमंत्री जी ने की है। अस्सी हजार करोड़ की मांग राज्य सरकार ने की है। यह केंद्र सरकार की ओर से की जानी चाहिए, ताकि पूर्वांचल का विकास हो सके।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): महोदय, आपने राजकुमारी रत्ना सिंह जी द्वारा 11 दिसंबर, 2009 को इस सर्वोच्च सदन में, उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग के संदर्भ में जो संकल्प रखा गया है, उस पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी ही नहीं अनुगृहीत भी हूँ।

मान्यवर, राजकुमारी रत्ना सिंह जी के द्वारा रखे गए संकल्प को बल देते हुए, राजकुमारी रत्ना सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत संकल्प के आंकड़ों, माननीय श्री जगदंबिका पाल जी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और वक्तव्य तथा विशेष रूप से मैं आभारी होना चाहूंगा श्री अधीर रंजन चौधरी जी का, जिन्होंने पूर्वांचल की व्यथा को आंकड़ों में बहुत ही खूबसूरत ढंग से पिरोकर इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य किया है, जिससे इस संकल्प की आवश्यकता महसूस होती है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सर्वोच्च सदन से आग्रह करना चाहूंगा और अपने आपको इन समस्त माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से सम्बद्ध करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। चूंकि मैं जानता हूँ, मैं भी पूर्वांचल का बेटा हूँ और दर्द बहुत है बयां करने को, लेकिन सदन का समय बहुत ही कीमती है।

आपकी घंटी बजने लगे, इससे पहले मैं उन सभी आंकड़ों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए अपनी बात पर आना चाहूंगा और इस सर्वोच्च सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास किया जाए। पूर्वांचल, जो अध-पिछड़ा हुआ है, अगर आजाद हिन्दुस्तान की बात की जाएगी और डैवलपमेंट इंडैक्स में सबसे पिछड़े हुए किसी क्षेत्र की बात आएगी तो वह पूर्वांचल के जनपदों की आती है। उसकी  कहने के लिए आप जितना भी समय देंगे, वह बहुत ही कम होगा। माननीय पाल साहब ने बहुत ही विस्तृत ढंग से बाढ़ की विभीषिका की बात की। बाढ़ से पूर्वांचल का क्षेत्र पचास प्रतिशत से भी अधिक प्रभावित होता है। हम शिवालिक बैल्ट, हिमालय की तराई में रहने वाले हैं। हमारा क्षेत्र तराई जनपद से है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर...(व्यवधान) आप उसकी गाथा की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। यदि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो बाढ़ का जो पानी नेपाल से आता है, जिसकी विभीषिका हमारी दुर्दशा का कारण बन रही है, अगर हम उस जल का सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए वरदान साबित होगा।

अभी माननीय सदस्य ने बात की कि पूर्वांचल से कितने प्रधान मंत्री आए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम इस सर्वोच्च सदन में बैठते हैं, जब पूरे भारतवर्ष को विश्व के नक्शे पर प्रस्तुत किया जाता है, तब पूर्वांचल की बात और गौरव गाथा के बगैर हिन्दुस्तान की गौरव गाथा पूरी नहीं होती। 1857 के गदर से लीजिए। उससे पहले की व्यवस्था से लीजिए।...(व्यवधान) मंगल पांडे जी की बात कीजिए।...(व्यवधान)

शायद आज हमारे खून की जांच करानी पड़ जाएगी कि पांडे लोगों में ऐसे लोग कैसे आ गए। तिरंगे को सलाम करना भूल गए। उन्होंने निश्चित रूप से पूरे भारत के विकास की बात की। उन्होंने सेवा की भावना से अपनी कुर्बानी दी थी। पूर्वांचल की धरती सलाम करने योग्य है। शहीद अशफाकुल्ला, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अगर इन सबको शहादत दी गई तो पूर्वांचल के जिलों में दी गई और वहीं की माटी से इनके खून सने हुए हैं। वहां की माटी आज पूरे भारतवर्ष के लिए पूजनीय है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : There is a long list of speakers. Please try to confine to the subject.


SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): He is probably the last speaker.

MR. CHAIRMAN: No.

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : मान्यवर, मैं सीधे सुझावों की ओर आ रहा हूँ। कृपया बोलने का अवसर दीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I can give you time but please be precise.

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : हमारे यहां बेरोजगारी है। हमारे यहां उर्वरा भूमि और श्रम शक्ति है जिसकी बदौलत पूरे हिन्दुस्तान में उत्पादकता बढ़ती है। अगर व्यवस्थित ढंग से कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से वह वरदान साबित होगी।

मैं पूर्वांचल में बुद्धा पैकेज की बात करना चाहूंगा। पूर्वांचल के विशेष पैकेज में बुद्ध क्षेत्र, टूरिज्म को जोड़ा जाए। अगर विश्व में कहूँ, यदि डॉल्फिन्स का ब्रीडिंग सेंटर कहीं है तो वह पूर्वांचल में है। क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग सेंटर वहीं है। श्रावस्ती, लुम्बनी, कुशीनगर, सारनाथ आदि बौद्ध तीर्थ स्थल वहीं हैं। जैनियों के तीर्थ स्थल वहीं हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट वहां आता है। वहां रिजर्व फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ में हम पूरे हिन्दुस्तान में सबसे रिच हैं। ट्राइब्स भी हमारे पास है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम इसे व्यवस्थित ढंग से करें। हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें हम थोड़ा सा और परस्पर सामंजस्य बनाकर इसे अगर ढंग से व्यवस्थित कर दें, तो यह एक उद्योग ही नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। हिन्दुस्तान को विदेशी विनिमय मुद्रा की आय का सबसे बड़ा स्रोत बनने का अवसर मिलेगा। ...(व्यवधान) 

मान्यवर, बीआरजीएफ, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, एमएचडीपी, एनआरएचएम, मनरेगा आदि को हम पूर्वांचल विकास निधि देते हैं। फेडरल सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। अभी मेरे माननीय भाई बोल रहे थे ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Do not go to that side; you please conclude.

... *(Interruptions)*

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने बिजली की बात की है। मान्यवर, अगर आज उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 20 वर्षों से कांग्रेस की सरकार नहीं रही। अगर इसकी जांच हम सही ढंग से करा लें कि उत्तर प्रदेश में पीक ऑवर्स में इन्होंने बिजली प्राइवेट सैक्टर से एनटीपीसी के अलावा कितनी खरीदी और क्यों खरीदी, उसकी दर क्या रही और फिर वह बिजली लेकर कहां गयी? उसे ग्रिड में डालने के बाद उसे क्या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगे हुए इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, क्या उनको वह नहीं बेची जा रही है? मान्यवर, इसमें करोड़ों रुपये का घपला हो रहा है जबकि ये कांग्रेस राज्यों की बात करते हैं। आज तक पूर्वांचल में जितना भी विकास का कार्य हुआ, जितने भी ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

... *(Interruptions)*

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : वे सारे के सारे कांग्रेस सरकार की देन है। उसके बाद उत्तर प्रदेश को सिर्फ लूटा गया। वहां आज राजनीति के नाम पर व्यवसाय हो रहा है। ...(व्यवधान) राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। ...(व्यवधान) लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया जा रहा है। ...(व्यवधान) जब सदन में ...(व्यवधान) की बात करते हैं, तो हमें शर्म आती है। ...(व्यवधान) यह कैसी नैतिकता की बात करते हैं, कौन सी राजनीति की बात करते हैं? ...(व्यवधान) जिन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा का हनन कर दिया हो ...(व्यवधान) राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया गया हो, उनके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब श्री पाण्डेय जी की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान)*

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): सभापति महोदय, मैं राजकुमारी रत्ना सिंह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सदन में पूर्वांचल के राज्यों पर ध्यान दिलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उसका सबसे कारण है कि उत्तर प्रदेश के अन्य भागों पर विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए मेरी स्पष्ट राय है कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार अर्से से रही है और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रही है। आज हमारे तमाम साथी बड़ा शोर मचा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल पैकेज की मांग करने के लिए हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, राजनीति करने के लिए नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे पर लांछन लगाना, आपको क्यों खराब लग रहा है? जब यह कहा जा रहा है कि आपकी सरकार आजादी के बाद रही है, आप जिम्मेदार हैं, तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? यह बात सुनना चाहिए।...(व्यवधान) हम स्पेशल पैकेज की मांग करने के लिए खड़े हुए हैं। ...(व्यवधान) आपकी सरकार रही है और आप राजनीति कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Silence, please.

... *(Interruptions)*

श्री तूफ़ानी सरोज : आप सुनिये, सहनशक्ति रखिये। ...(व्यवधान) सच्चाई पर विचार कीजिए। अगर पूर्वांचल पिछड़ा है ...(व्यवधान)


MR. CHAIRMAN: Rashid ji, please sit down.

... *(Interruptions)*

श्री तूफ़ानी सरोज : पूर्वांचल के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कीजिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री तूफ़ानी सरोज : महोदय, पूर्वांचल में बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस आदि चार-पांच जिले ऐसे हैं जो तीन वर्षों से लगातार सूखे से प्रभावित हैं। वहां बरसात नहीं हो रही है जिसकी वजह से भूगर्भ जल का स्तर नीचे चला जा रहा है। वहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रह रहे हैं।...(व्यवधान) पिछले दिनों हमने देखा था, केन्द्र सरकार का एक आंकड़ा आया था कि बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए इन्होंने 75,000 करोड़ रूपए की व्यवस्था की थी, उस पैसे से  का पानी रोकने के लिए जो सेट बनाया गया था, पता नहीं उससे 75,000 लीटर पानी रूका या नहीं, यह केन्द्र सरकार जाने, उसकी नीयत जाने। रेनफेड वाटर शेड की स्थापना की गयी थी, लेकिन मैंने पूर्वांचल में नहीं देखा कि कहीं भी जल संचयन की

ऐसी व्यवस्था की गयी हो। सरकार क्या करती है?...(व्यवधान) आप ही बोल लीजिए। आप ही बता दीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सरोज जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जे.एम.आरुन रशीद (थेनी): सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें तमिलनाडु की बात कहां से आई है। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री तूफ़ानी सरोज : इंडस्ट्री प्वाइंट ऑफ व्यु से देखा जाए तो पूरे पूर्वांचल में सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली के अलावा केन्द्र सरकार को कोई दूसरा जिला दिखाई नहीं देता है। जब भी केन्द्र सरकार में बात उठती आती है, उत्तर प्रदेश का ध्यान आता है कि वहां इंडस्ट्री लगाई जाए तो सिर्फ रायबरेली, अमेठी ध्यान आता है, अन्य जिलों का ध्यान नहीं आता है। पूर्वांचल में चारों ओर भुखमरी है, कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं। बिजली की हालत यह है कि आज भी गांव के बच्चे यह नहीं बता पा रहे हैं कितने दिन पहले मैंने बिजली की रोशनी में पढ़ाई की है। कब बिजली आती है, कब चली जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। इस समय पांच, छः, सात, दस घण्टे का रेशियो बनाया गया है। दस घण्टे रेगुलर बिजली नहीं मिलती है, पांच-छः घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती है। मुंबई में उत्तर प्रदेश के लोगों की जो आबादी है, उसमें 50 प्रतिशत हमारे गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, गोण्डा, बहराइच, बनारस और देवरिया के लोग हैं। अगर पूर्वांचल में बिजली की समुचित व्यवस्था कर दी जाए, तो ये जो लोग मुंबई में जाकर लाठी-डण्डे खाते हैं, गालियां सुनते हैं, दोयम दर्जे के नागरिक माने जाते हैं, वे कतई मुंबई न जाएं, वे अपने घर पर ही बिजली के माध्यम से छोटे-छोटे उद्योग लगाकर काम कर सकते हैं। पूर्वांचल के लोग बहुत मेहनती हैं। जब वे जाकर मुंबई में पैसा कमा सकते हैं, तो उनको अगर बिजली की व्यवस्था दे दी जाए, बिजली की समस्या हल हो जाए तो किसान इतने मजबूत हैं कि काश्तकारी करके अपना जीवनयापन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को भी किसानों की चिंता नहीं है। लखनऊ की राजधानी पत्थरदिल हो गयी है, तो वे जिन्दादिल की क्या बात सोचें कि पूर्वांचल के किसानों पर क्या बीत रही है, बिजली मिल रही है या नहीं, पानी मिल रहा है या नहीं, उनके खेतों की सिंचाई हो रही है या नहीं? उत्तर प्रदेश सरकार ने इन चीजों को एकदम से छोड़ ही दिया है। लेकिन केन्द्र सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप जिन्दादिल हैं। पूर्वांचल के लोगों का सम्मान कीजिए। वहां के लिए कम से कम 50,000 करोड़ रूपए का पैकेज देने की मैं मांग करता हूं।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं राजकुमारी रत्ना सिंह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम पूर्वांचल के विकास के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अन्य सभी क्षेत्रों से ज्यादा आबादी है। यहां पर कोई भी किसी प्रकार का उद्योग धंधा नहीं है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि पिछले 20 सालों से यहां कभी समाजवादी पार्टी और कभी बसपा की सरकारें रही हैं। यही कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज इतनी गरीबी है और बेरोजगारी की समस्या है।

इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुपोषण की भारी समस्या है। इस क्षेत्र में कम से कम 22 प्रतिशत लोग दलित हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सपा और बसपा की सरकारें जो पिछले 20 सालों से उत्तर प्रदेश में रही हैं, इनके कार्यकाल में एक भी उद्योग लगाया हो, तो मुझे बताएं, सदन में मेरे इतने साथी बैठे हुए हैं, वह मुझे बता दें। यहां पर बिजली उत्पादन का कोई प्लांट इनके कार्यकाल में नहीं लगा, जिस वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश में बिजली की गम्भीर समस्या है। यहां पर पहले जो विकास कार्य हुए, वे कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय ही हुए, उसके बाद कोई विकास का काम नहीं हुआ। इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर यहां के लोग कांग्रेस पार्टी की लाइन पर आप चलेंगे तो पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है।

आज हमारे प्रदेश में दलितों की बहुत बात की जाती है। मैं खुद दलित हूँ और जानता हूँ कि इन लोगों के दिलों की सरकारों ने दलितों के उत्थान के लिए क्या काम किए हैं, कुछ भी नहीं किए। अगर यहां पर दलितों के लिए कोई काम हुए हैं, तो वे कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में हुए हैं। मैं दलित का बेटा होने की हैसियत से यह बात बता रहा हूँ।

जब हमारे राज्य में राहुल गांधी जी का दौरा होता है तो उसका यहां विरोध किया जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि जिस दल की यहां सरकार है, क्या उसके मुखिया ने लखनऊ के अलावा राज्य के और किसी हिस्से में दौरा किया है। यहां की सरकार को तो सिर्फ लखनऊ में पत्थर लगाने से ही फुर्सत नहीं है। अगर किसी गरीब के घर पर पत्थर लगाएं तो उसका भी भला हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि केवल मूर्तियां लगाने से ही पूर्वांचल का विकास नहीं होगा। पूर्वी प्रदेश का विकास तभी सम्भव है, जब यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जिसके पीछे सारी जनता होगी और वह यहां के लोगों का विकास करेगी। आज हम लोग यहां लोक सभा में बैठे हैं, यह

किसकी देन है। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है तो बाबा साहेब अम्बेडकर कहां से आए थे, उन्हें कौन लाया था, किसने उन्हें अधिकार दिया था, कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया था।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : पांडेय जी आप बैठ जाएं। जब एक माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं तो उन्हें बीच में इस तरह से टोकना सही नहीं है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बोल चुके हैं, अब आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

... (व्यवधान) *

श्री कमल किशोर 'कमांडो' : बाबा साहेब अम्बेडकर में अपनी योग्यता थी इसलिए उन्हें इतना सम्मान मिला।... (व्यवधान) आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ धन इकट्ठा करने के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा है।... (व्यवधान) वहां कोई विकास का काम हो रहा हो तो मुझे बता दें।... (व्यवधान)

सभापति महोदय: पांडेय जी, जगदम्बिका जी आप सब बैठ जाएं। यह कोई तरीका नहीं है इस तरह से बीच-बीच में आप टोका-टाकी करें।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' : सभापति महोदय, जितना इन्हें अधिकार है बोलने का, उतना ही मुझे भी है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय: आप लोग बैठ जाएं। आप अपनी बात कह चुके हैं। अब आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' : आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत देखें, बहुत दयनीय स्थिति है। आज पूर्वांचल में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मैं रत्ना सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सदन में पेश किया, जिसकी वजह से हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं, उसके विकास के बारे में और वहां के लिए स्पेशल पैकेज देने के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

जब राहुल गांधी जी ने बुंदलेखंड के लिए स्पेशल पैकेज देने की मांग की थी, तो वहां की सरकार ने क्या-क्या नाटक किया था, इसे सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि विकास के कामों में इस तरह से ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज वहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने वहां पर दौरा करके उन लोगों की हिम्मत बढ़ाई है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सारे प्रदेश की जनता और हम सब उनके साथ हैं। आप गांवों में जाकर देखिए कि वहां क्या हालत है। वहां

* Not recorded.

की सरकार को तो सिर्फ लखनऊ ही दिखाई देता है। मैं बहराइच से आता हूँ और बहराइच से गोरखपुर मेरा सप्ताह में निश्चित रूप से एक बार आना-जाना होता है। इसलिए मैं जानता हूँ कि वहाँ देहातों में किस कदर गरीबी है और किस तरह गरीब लोग मर रहे हैं। अगर उन गरीबों की कोई बात सुनता है, उनके विकास की बात करता है तो इसमें गलत क्या है। अगर कोई गरीबों के लिए और उनके विकास के लिए काम करेगा तो मैं उसका स्वागत करूँगा।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you can speak from your seat. Otherwise, at least you take permission from the Chair और आप अपनी बात पांच मिनट में समाप्त कीजिएगा।

श्री विजय बहादुर सिंह : आपने मुझे बोलने का पांच मिनट का समय दिया है। मैं वायदा करता हूँ कि मैं चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसमें किसी अन्य माननीय सदस्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair and do not look at them.

श्री विजय बहादुर सिंह : राजकुमारी रत्ना जी ने जो बिल पेश किया है, यह बहुत अच्छा बिल है। पुराण में भी लिखा है कि जब-जब यज्ञ होता है, तो राक्षस आते हैं।...(व्यवधान) मैं डिबेट का लेवल उठाना चाहता हूँ। मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ, जब इंग्लैंड में लार्ड डेनिंग चीफ जस्टिस थे। यह एक्ट में लिखा है। एक लड़के ने अपने माता-पिता का मर्डर कर दिया। जब उस पर मुकदमा चला, तो बैरिस्टर ने बहस की कि इसे माफ कर दिया जाए, क्योंकि यह अनाथ हो गया है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the time extended for this Resolution is over. If the House agrees, the time for this Resolution may be extended by another one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time for this Resolution is extended by one hour. There are two more Members to speak. Then the hon. Minister will reply and thereafter the mover of the Resolution will also reply. Then we will take up Dr. Raghuvansh Prasad Singh's Resolution. Please confine your speech to five minutes.


श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है, मैंने इस बारे में लिख कर दिया है। प्राइवेट मेम्बर बिल के लिए नियमावली में है कि जो समय निर्धारित है, उस समय सीमा में निजी विधेयक और संकल्प को पूरा करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: If the House agrees, the time can be extended not only once, but more than once. You are a very senior Member, please sit down.

श्री विजय बहादुर सिंह : जब मुकदमा हाउस आफ लार्ड्स में गया, तो बैरिस्टर ने कहा कि इसे माफ कर दीजिए, क्योंकि यह लड़का अनाथ हो गया है। लार्ड डेनिंग ने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि इसे माफ कर

दिया जाए, प्रश्न यह है कि इसे अनाथ किसने किया। He himself was the author of his orphanage by murdering his father and mother. आप कह रहे हैं कि यह अनाथ हो गया है, इसे माफ कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का यही हाल हुआ है। मैं बताता हूँ कि कैसे पूर्वांचल का यह हाल हुआ है।

17.00 hrs.

आप सुनिए कैसे हुआ? 61 साल के सफरनामे में 43 साल कांग्रेस ने राज किया। सबसे पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए फिर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, चन्द्रशेखर जी और विश्वनाथ प्रताप जी हुए। यह लगातार चल रहा है और आज जैसा ये कह रहे हैं कि भूखे कगार में हैं You are like  child about whom I mentioned just now. You have orphaned yourself. ... (Interruptions) आप बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इसका कारण है कि 45 साल तक इन्होंने हमारी जनता को भ्रम में रखा। ये कहते थे हमने आजादी ली और सिर्फ दो बैल जोड़ी और हाथ में वोट लेकर चले जाते थे। इन्होंने विकास का काम नहीं किया बल्कि विनाश का काम किया। आज आप पैकेज मांग रहे हैं? मैं आपके सामने यह बात कहना चाहता हूँ जैसे गोरखपुर की बात है, इतना बड़ा फटीलाजर चांद छाप यूरिया था, इनके ही राज में, जब कांग्रेस का राज था, इसमें ताला लग गया। तब हम उनके वकील थे और आज 5,000 वर्कर दस साल से बेकार हैं। इनमें से 83 वर्कर्स ने आत्महत्या कर ली लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप आज पैकेज मांग रहे हैं? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ आज आप देखें कि महंगाई हो रही है और 90 रुपए किलो दाल बिक रही है। मैं वकालत करता था लेकिन मेरा बेस एग्रीकल्चर है। किसान ने अपनी दाल 18-20 रुपए बेची और 70 रुपए का डिफरेंस अड़तिया, ट्रांसपोर्टर या बंबई और कोलकाता के बिजनेस मैन का है। इसका कौन जिम्मेदार कौन है? शुगर इंडस्ट्री का जो हाल हुआ है, मैं उसे बताना नहीं चाहता हूँ। अब आप इनकी होशियारी देखिए कि एकाएक डॉ. भीमराव अम्बेडकर से मोह हो गया। सब कुछ लुटा कर होश में आए तो क्या किया। आप उन्हें माला पहना रहे हैं।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Only the speech of Shri Vijay Bahadur Singh will go on record and nothing else will go on record.

*(Interruptions) ...**

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं चेयर के प्रति आभारी हूं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जब इलैक्शन लड़े तो कांग्रेस ने एड़ी और चोटी लगाकर उनके प्राइवेट सैक्रेट्री को लड़ाकर हरा दिया। जब विश्वनाथ सिंह प्रधानमंत्री थे...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You suggest measures to improve the area.

श्री विजय बहादुर सिंह : अच्छा गाने वाला अनाप शनाप गाना नहीं गाता है, लाईन नहीं बताता। हम कव्वाली नहीं कर रहे हैं। अगर नेता सदन प्रणव मुखर्जी यहां होते तो कांग्रेस के एमपीज को डिसिपलिन बताते, अनुशासन बताते। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude your speech.


श्री विजय बहादुर सिंह : आप सुन लीजिए। चूंकि बसपा सरकार है इसलिए आप उन्हें परेशान करेंगे। यहां विदेश मंत्री बैठे हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Why are you looking at them? You address the Chair.

श्री विजय बहादुर सिंह : आप सुनिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि नेशनल हाईवे 76 और 86 मिर्जापुर पूर्वचल से होकर इलाहाबाद को टच करके चित्रकूट से आता है। यह हाई वे यूपी, झांसी से क्रास करके जहां से उत्तर प्रदेश में आता है वहां पांच साल से उसका रिपेयर नहीं हुआ है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि नेशनल गड्ढे को नेशनल मान्युमेंट बना दीजिए और कहिए यह गड्ढा नेशनल हाईवे का है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. Hon. Member Shri Sanjay Nirupam to speak now.

श्री विजय बहादुर सिंह : आप दूसरी बात सुनिये, आप बहुत कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं। जब मैं अपनी कांस्टीटुएंसी में गया तो देखा कि बीपीएल की सूची में सिर्फ 70 परसैन्ट की अभी कमी है, 20 परसैन्ट का नाम है और 70 परसैन्ट बीपीएल वाले छूट गये। आप इन्हें क्यों नहीं बढ़ाते? आप चाहते हैं कि पैसा, रूपया बांट करके, आप इन्हें दो हजार करोड़ नहीं, पचास हजार करोड़ का पैकेज दे दीजिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय  मैं संजय निरुपम को बुला चुका हूं। Hon. Member Shri Sanjay Nirupam will speak now. Please sit down.

... (Interruptions)

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Shri Vijay Bahadur Singh, you conclude now. I have called him.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : Sir, I am concluding my speech.

Hon. Chairman, I have been requesting and begging of you that if there is an interruption, then I must be given time for the time that has been eaten in interruptions and which is not ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: After reducing the time taken in interruptions, you have spoken for more than six minutes. Please sit down now.

... (*Interruptions*)

श्री विजय बहादुर सिंह : ये* बच्चे हैं।

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. Please sit down now.

(*Interruptions*) ... *

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं लास्ट लाइन कह रहा हूँ। आप सुनिये, यह आपके फायदे की बात है। मैं कह रहा हूँ कि बीपीएल कार्ड की जो संख्या है, अगर आप बड़े भारी धन्नासेठ हैं तो बीपीएल कार्ड की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते? आप चाहे पचास हजार करोड़ या एक लाख करोड़ का पैकेज दे दीजिए, लेकिन अगर आपकी मानसिकता सिर्फ वोट लेने की है तो यह गलत है।

MR. CHAIRMAN: You have made your point. Please conclude.

श्री विजय बहादुर सिंह : बीपीएल की इनकी जो डिमांड है, उसे मैं सपोर्ट करता हूँ और पूर्वाचल के लिए जितनी जरूरत हो, उससे ज्यादा उन्हें दीजिए, इसमें हमें कोई गिला नहीं है। लेकिन बहन जी ने 80 हजार करोड़ मांगा और आपने अस्सी रुपये भी नहीं दिये। यह कौन सौ मजाक है?

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Shri Vijay Bahadur Singh, please sit down. I have called him.

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं अंत में कहना चाहता हूँ ... (Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: This will not go on record.

It is required not only on this side, but it is required on every side.

Shri Sanjay Nirupam.

* Not recorded.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी। मैं माननीय सदस्या, राजकुमार रत्ना सिंह का बहुत आभारी

17.08 hrs.

(Dr. M. Thambidurai in the Chair)

हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ कि वह एक महत्वपूर्ण विषय प्राइवेट मैम्बर रिजोल्यूशन के जरिये इस सदन में लाई हैं। पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ, पूर्वांचल पिछड़ा है या विकास की गति में पीछे रह गया, इसका रिफ्लेक्शन अगर सबसे ज्यादा कहीं दीखता है तो मुम्बई में दीखता है। पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों के लोग मुम्बई शहर में रह रहे हैं। मैं यह बार-बार कहता हूँ और आज एक बार फिर से इस सदन में कहता हूँ कि जो पूर्वांचल से गये हुए लोग मुम्बई में हैं, वे भोजपुरी भाषी लोग हैं, पूरे मुम्बई में हर सिग्नल पर, हर भाषा में भीख मांगने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा में भीख मांगने वाला कोई व्यक्ति नहीं दीखता और यह इस बात का सबूत है कि पूर्वांचल से गया हुआ जो हमारा वर्ग है, वह मेहनतकश मजदूर है। वह मेहनत करता है और मेहनत की दो रोटियां कमाता है और वह न सिर्फ मुम्बई में अपना घर बसाता है, बल्कि जौनपुर, गाजीपुर, बलिया आदि में भी एक घर बना लेता है। जो ऐसा मेहनतकश मजदूर वर्ग है, उसका गांव, उसका क्षेत्र, उसका प्रांत विकास के लिए तरस रहा है, यही दर्द लेकर आज राजकुमारी रत्ना सिंह जी इस सदन में प्रस्ताव लेकर आई हैं और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न हिस्सा है। पूर्वांचल से सौ किलोमीटर दूर मेरा गांव है। हम जितना पटना को जानते हैं, उससे ज्यादा काशी, बनारस को जानते हैं। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो तीन महत्वपूर्ण तीर्थ काशी, मथुरा और अयोध्या हैं, इनमें से दो महत्वपूर्ण तीर्थ पूर्वांचल में पड़ते हैं। एक बनारस में और दूसरा अयोध्या में पड़ता है। यदि पूरे पूर्वांचल को अगर ऐतिहासिक, पारम्परिक और धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस देश का सारनाथ, बुद्धिस्ट सैंटर भी वहां है। पूरे देश में पूर्वांचल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूर्वांचल ने हमारे देश को कितने प्रधान मंत्री दिये हैं। अगर हम पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से शुरू करें तो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, वी.पी. सिंह जी, हमारे चन्द्रशेखर जी बलिया के थे, पूरे देश की आजादी के आन्दोलन का बिगुल बजाने वाले स्वर्गीय मंगल पांडे, अमर शहीद मंगल पांडे भी बलिया के थे। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, जिसका इस तरह का एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा हो, वह पूरा क्षेत्र आज पिछड़ गया है, मैं इस बात के ऊपर दुःख व्यक्त करने के लिए मैं आपके सामने सदन में उपस्थित हुआ हूँ। मैं चाहूंगा कि पूर्वांचल का विकास करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक पैकेज आना चाहिए। भदोही जैसा एक छोटा सा जिला पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे ज्यादा कारपेट का उत्पादन करता है। वहां से कारपेट का एक्सपोर्ट होता है।

भदोही में एसईजेड लाने का प्रस्ताव था, मुझे पता नहीं कि अब उस प्रस्ताव की क्या स्थिति है? एक-दो साल पहले मैं बनारस से भदोही घूम रहा था तो मुझे बताया गया कि यह-यह एरिया एक्वायर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि विकास के दृष्टिकोण से भदोही का विकास बहुत आवश्यक है। इलाहाबाद का विकास बहुत आवश्यक है। इलाहाबाद एक समय इस देश की साहित्यिक राजधानी मानी जाती थी। सबसे ज्यादा विद्वान लोग वहां पर थे, सबसे ज्यादा लिखने-पढ़ने का काम वहां पर होता था। बड़े-बड़े साहित्यकार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से शुरू करें तो अमरकांत जी तक वहीं रहते थे।...(व्यवधान) सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पूरी जिन्दगी इलाहाबाद में रहे हैं, मैं खुद उनका घर देखकर आया हूँ। मेरा कहने का आशय यह है कि जिस पूर्वांचल का इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि इतनी अच्छी रही है, वह पूर्वांचल आज पीछे छूट गया है और उस पूर्वांचल को आगे लाना चाहिए। काशी, बनारस धार्मिक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है, हम सब कम से कम साल में दो बार वहां चले जाते हैं, हम भी बनारस चले जाते हैं। ऐसे बनारस का डेवलपमेंट सही मायने में नहीं हो रहा है। इसके लिए कहीं न कहीं एक पूरी ताकत लगनी चाहिए, एक सोच लगनी चाहिए, एक विजन आना चाहिए। दुर्भाग्यवश आज पूर्वांचल में यह हो रहा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please wind-up your speech.

... *(Interruptions)*

श्री संजय निरुपम : महोदय, मैं एक-दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। आज दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में मूर्तियां बनायी जा रही हैं। ...(व्यवधान) आपको ऐसा सुनकर बहुत तकलीफ होती है। पूर्वांचल के लोग पूछते हैं तो बोलते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में 14 हजार करोड़ रुपये खर्च करके मूर्तियां पर मूर्तियां बनायी जा रही हैं। मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा सही दिशा में काम करने का काम नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान) दारा सिंह जी, आपके मऊ और आजमगढ़ के लोग बड़े पैमाने पर हमारे शहर में रहते हैं और हम बड़े आदर के साथ उनके साथ मिल-जुलकर काम करते हैं।

महोदय, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि पूरे मुंबई में टैक्सी चलाने वाले लोग प्रतापगढ़ के हैं, जहां की रत्ना जी हैं। पूरे मुंबई में दूध बेचने वाले लोग जौनपुर, बनारस के हैं, पूरे मुंबई में सब्जी और फल बेचने वाले लोग गोरखपुर, आजमगढ़ के हैं। पूरे मुंबई से पूर्वांचल का एक अभिन्न रिश्ता है और उस रिश्ते के तकाजे पर मैं आज सदन में खड़े होकर कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का थोड़ा सा ध्यान अब पूर्वांचल के विकास के लिए लगना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, you can start speaking.

... (Interruptions)

श्री संजय निरुपम : महोदय, मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि जब प्रतापगढ़ के आश्रम में अभी भगदड़ मची और सैंकड़ों की संख्या में लोग मर गये, सौ के करीब लोग मर गये, तब आपकी मुख्यमंत्री जी वहां नहीं गयीं, लेकिन हमारे नौजवान नेता श्री राहुल गांधी जी दिल्ली से स्पेशली वहां गये और लोगों से मिलकर आये, उनको सहूलियतें दीं।... (व्यवधान) उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री... (व्यवधान) ने पिछले तीन साल में कितनी बार पूर्वांचल का दौरा किया है?... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not convert the Parliament into UP Assembly. Please, I request you not to convert the Parliament into UP Assembly.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You had raised the point, and I do not want this kind of thing.

... (Interruptions)

श्री संजय निरुपम : महोदय, यह अपने आप मे सोचने का विषय है।... (व्यवधान) मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि पूर्वांचल कहीं न कहीं राज्य सरकार की उपेक्षा का शिकार हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से तो पैकेज आना ही चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को भी विशेष तौर से पूर्वांचल के विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, इस संकल्प के लिए राजकुमारी रत्ना सिंह जी को धन्यवाद। सरकार की नीति रीजनल डिसपैरिटी दूर करने की है, लेकिन यह पिक एंड चूज करके नहीं होना चाहिए। इन्होंने बुंदेलखंड को जो पैकेज दिया, यह ठीक किया, वहां रीजनल डिसपैरिटी है, ज्यादा पिछड़ापन है, गरीबी है, सुखाड़ की मार है, उसके लिए पैकेज दिया है। उसी के पास में पूर्वांचल की भी ऐसी ही स्थिति है। हमें इसके बारे में बोलना नहीं था क्योंकि हम लोभ में थे कि हम अपने संकल्प पर बहस करेंगे, लेकिन मूव के अलावा उस पर आज गुंजाइश नहीं है तो मुझसे बिना बोले नहीं रहा नहीं गया।

यह राजनीतिक बहस जो हुई है क्यों, कहाँ, कैसे, इससे जनता और पूर्वांचल का हित होने वाला है। विषय है कि बुंदेलखंड का पैकेज आपने दिया तो पूर्वांचल को क्यों नहीं देंगे? यह हम सरकार से जानना चाहते हैं। इसी में यह बात खुल जाएगी कि जितने लोगों ने समर्थन किया है और बोल रहे हैं कि वाह-वाह, मिलना चाहिए, तुरंत ही अभी पीछे हटेंगे। ...(व्यवधान) नहीं हटेंगे? मैं अभी यह साफ करना चाहता हूँ कि पूर्वांचल को पैकेज देने से कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। सब लोगों का समर्थन है, संपूर्ण हाउस का समर्थन है। इन लोगों ने भी कुछ कहा-सुनी की है, आपके चलते इन सबके चलते, लेकिन क्या आप पूर्वांचल के पैकेज के समर्थन में हैं? संपूर्ण हाउस का समर्थन है। आप अभी सरकार की तरफ से देखेंगे मगर मैं सरकार को खबरदार करना चाहता हूँ अगर उन्होंने आग्रह किया कि इस संकल्प को वापस लीजिए। नहीं तो वोट होगा और हम इसको पास कराएँगे। इसीलिए हम खड़े हुए हैं। नहीं तो अभी यह बात खुल जाएगी कि वोट आप किधर देंगे। सरकार की पालिसी है कि रीजनल डिसपैरिटी दूर की जाएगी। जब बुंदेलखंड के पिछड़ेपन पर आपने पैकेज दिया है तो पूर्वांचल की आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? यदि ऐसा होगा तो पूर्वांचल को राज्य बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि रीजनल डिसपैरिटी के चलते ही देश की अखंडता को खतरा है। आज जो छोटे-छोटे प्रदेशों की मांग होती है, रीजनल डिसपैरिटी के कारण ही होती है। देश में अनेक समस्याएँ हैं। उसके साथ-साथ क्षेत्रीय विषमता भी है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय विषमता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगे है, पूर्वी उत्तर प्रदेश पीछे है, बुंदेलखंड और पीछे है। इसीलिए पैकेज की मांग का औचित्य है। आपने उसी प्रदेश में एक पिछड़े इलाके बुंदेलखंड को पैकेज दिया है, तो यहाँ पैकेज नहीं देने का कोई कारण नहीं है। इसलिए श्री नारायणस्वामी जी को अभी बोलना पड़ेगा कि आप पैकेज दे रहे हैं या नहीं, नहीं तो वोट के लिए आप तैयार हो जाइए। उधर का एक भी आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, इस पर संपूर्ण हाउस का समर्थन है। इससे रीजनल डिसपैरिटी दूर होगी और पूर्वांचल के बारे में जो वर्णन किया, लोगों ने उसका इतिहास, भूगोल, संस्कृति की राजधानी आदि सब के बारे में कहा, उस पर बहुत बहस का समय नहीं है। इसलिए मैं समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ कि अभी

ऐलान होना चाहिए कि वहाँ के लिए पैकेज मिलेगा। कितना कहां और कैसे पैकेज मिलेगा, यह मौका मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ लेकिन अभी आपको बोलना पड़ेगा कि पूर्वांचल को बुंदेलखंड की तरह पैकेज मिलना है और सरकार की तरफ से भेदभाव नहीं होता है, पिक एंड चूज़ नहीं होता है, गैर-बराबरी नहीं होती है, यह आपको सोचना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। मैं उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ कि सरकार की तरफ से पॉजिटिव उत्तर आ रहा है या नहीं। सरकार यह न कहे कि हमने यह किया, वह किया इसलिए इस संकल्प को वापस कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का पूरा समर्थन करता हूँ।

MR. CHAIRMAN : The Minister wants to reply today itself. Therefore, please be brief, Shri P.L. Punia. Today, we want to complete this. Please try to be brief.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस संकल्प पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ बहन राजकुमारी रत्ना सिंह जी को कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को संकल्प के रूप में यहाँ रखा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की चर्चा हुई है और सभी दलों ने इसका समर्थन किया है, यह वास्तव में महत्वपूर्ण विषय है, समय की आवश्यकता है, पूर्वांचल के विकास के लिए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए, पूर्वांचल के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि कानपुर से फतेहपुर से आगे नेपाल बार्डर तक पूर्वांचल है। उसके बाद बिहार में भी कुछ क्षेत्र है जिसको पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। वह पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। वहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है मगर ज़मीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है। यह गौतम बुद्ध की भूमि जहाँ कुशीनगर है, श्रावस्ती है, लुम्बिनी है, सब स्थान वहाँ हैं, पूरे विश्व से लोग वहाँ आते हैं, जापान से लोग आते हैं, कोरिया से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। बुद्धिस्ट सर्किट के नाम से वहाँ सड़कें बनीं, लेकिन वे टूट-फूट गईं और अब उनका कोई पूछ-हाल नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है। यहाँ घाघरा, गंगा, राप्ती, गंडक और बूढ़ी गंडक नदियां बहती हैं। हर साल बाढ़ की विभीषिका से करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। हर साल वे विस्थापित होते हैं, उनकी झोंपड़ी उजड़ती है, हर साल फिर वे बनाते हैं, अगले साल फिर उनकी झोंपड़ी उजड़ती है। विकास कैसे होगा? इस प्रकार से विकास नहीं हो सकता है। हमारा क्षेत्र घाघरा नदी के किनारे पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने मांग की थी कि घाघरा नदी के किनारे बांध बनाया जाए। मैं पवन बंसल जी का आभारी हूँ कि उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि आप इसका जल्दी से जल्दी सर्वे करके, इसका प्रस्ताव गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना के माध्यम से भेजें ताकि उसको बनाया जा सके। लेकिन उसका सर्वे बहुत धीमी गति से हो रहा है। राज्य सरकार को इसमें तीव्रता लानी चाहिए। मैं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें सभी लोग प्रभावित हैं। वहाँ जगह-जगह रेलवे ओवरब्रिज हैं।

मैंने मांग रखी थी कि देवा रोड़ से बाराबंकी पर रेलवे ओवरब्रिज बनना चाहिए, लेकिन वह लटका हुआ है। उसके लिए राज्य सरकार का एक सर्टिफिकेट चाहिए कि यह पुल बनने के बाद नीचे का फाटक बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें पता नहीं क्या कठिनाई है? इन कठिनाइयों को दूर करते हुए यदि विकास का हर काम होता जाए, तो विकास हो जाएगा। आपको याद होगा कि पूर्वांचल निधि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई थी, आज भी वह चल रही है, जिसे शुरूआत की कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में पहले से सोचा, उन्होंने बुंदेलखंड और पूर्वांचल की निधि अलग से दी थी, ताकि पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके। मैं आभारी हूँ कि बुंदेलखंड के लिए पैकेज मिला और उसके

साथ-साथ एक एथारिटी बनाने की बात भी कही गई, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि एथारिटी के लिए हम सहमत नहीं हैं। एथारिटी में क्या कठिनाई है? वास्तव में जो पैसा जा रहा है, वह योजनाओं पर खर्च नहीं हो रहा है। पूर्वांचल में दूसरी ग्रीन रैवोल्यूशन के लिए चार सौ करोड़ रुपये, जिसमें बिहार भी सम्मिलित है, अभी-अभी दिया गया है। तीन हजार करोड़ रुपये 60 हजार विलैजिस के लिए दिए गए हैं। भारत निर्माण योजना और नरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से पूर्वांचल का विकास हो सकता है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार हर चीज में ... (व्यवधान) ... * करती है। उनको विकास के लिए फुर्सत नहीं है।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You cannot use that word 'corruption'. That word will not go on record.

(Interruptions) ... *

श्री पन्ना लाल पुनिया : मुख्यमंत्री को अपनी मुर्तियां स्थापित करने की फुर्सत है, बाकी किसी चीज के लिए फुर्सत नहीं है।... (व्यवधान) यदि भ्रष्टाचार की बात हो रही है और यदि भ्रष्टाचार पर यहां चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी?... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: In the beginning itself I had said that please do not convert this Parliament into Uttar Pradesh Assembly.

श्री पन्ना लाल पुनिया : भ्रष्टाचार की बात यदि यहां नहीं होगी तो कहां होगी? मनरेगा ... (व्यवधान) ... *, इस पर चर्चा होनी चाहिए और यहीं पर चर्चा होगी।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You cannot say about a State Assembly. You cannot substantiate it.

... (Interruptions)

श्री पन्ना लाल पुनिया : पूर्वांचल के विकास के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, उसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार भी शामिल हो।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, राजकुमारी रत्ना सिंह जी ने जो पूर्वांचल के विकास के लिए संकल्प लाया है, सम्पूर्ण पूर्वांचल का एक-एक सांसद इससे सहमत है, केवल सांसद ही नहीं, बल्कि पूरा सदन इस पर सहमत है। मैं उन विषयों पर जाना नहीं चाहता कि 48 साल तक शासन करने के बाद पूर्वांचल की बात न करने वाले लोग केवल तीन वर्ष के शासन में तमाम आरोप यहां लगा रहे हैं, जब कि यह विषय नहीं है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जिन महापुरुषों को आज तक कोई सम्मान नहीं मिला, अगर उत्तर प्रदेश ने सम्मान की प्रक्रिया शुरू की तो उस पर भी बवाल होता है। मैं उधर भी नहीं जाना चाहता, मूल विषयों पर आना चाहता हूं कि पूर्वांचल में एक देवरिया जनपद है, जब कुशीनगर जनपद नहीं बना था तो 13 चीनी मिलें पूरे देश में चीनी भेजती थीं। 13 चीनी मिलों वाला जनपद आज तीन चीनी मिलों के लिए तरस रहा है। फर्टिलाइजर की बात आई। मैं जनपद बलिया से सांसद हूं, 1857 की क्रांति में मंगल पांडेय जी की बलिया की आज हालत यह है कि सम्पूर्ण बिहार का वह बार्डर है, लेकिन आज भी सड़क, बिजली और उद्योग के लिए वह तरस रहा है। कितने प्रधान मंत्री बहुजन समाज पार्टी के हुए हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जितने भी हुए, वहां से सभी लोगों ने पूरे देश में जोत जगाने का काम किया, लेकिन पूर्वांचल की हालत क्या है, आज मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ और सूखाड़ की चर्चा के साथ-साथ पूर्वांचल की हालत यह है कि इंदिरा आवास योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों का हम आवास बनवाते हैं। आज गरीबों की गांव-गांव में हजारों की संख्या में झोंपड़ियां जल रही हैं और उनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है। ये जो झोंपड़ियां जलीं, उसमें उनकी बेटियों की शादी का पैसा जला, उनके बच्चों के भोजन का अनाज जला, उनका अगर बीपीएल सूची में नाम नहीं है तो वह झोंपड़ी नहीं बना सकता। पूर्वांचल के पैकेज के लिए जितना भी सदन सहमत है, मैं भी उसमें बल देते हुए सहमत हूं। पूर्वांचल के लोग पूरे देश में जाकर मुंबई, हरियाणा और पंजाब बना सकते हैं, वही पूर्वांचल के लोग तरस रहे हैं।...(व्यवधान) यह कैसी बात है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल के विकास के लिए यह पैकेज जितना अधिक से अधिक हो सके, दें। जब सचमुच में उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है तो हमारे घर के साथी अगर सचमुच में इस पर जवाबदेह हैं और ईमानदार हैं तो पैकेज की घोषणा होनी ही चाहिए।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to hon. Members: Rajkumari Ratna Singh; Shri Hukmadeo Narayan Yadav; Shri Shailendra Kumar; Shri Dara Singh Chauhan; Shri Harsh Vardhan; Shri Ramkishun; Shri Jagadambika Pal; Shri Ghanshyam Anuragi; Shri Prasanta Kumar Majumdar; Shri Adhir Chowdhury; Shri Gorakhnath Pandey; Shri Sanjay Nirupam; Dr. Vinay Kumar Pandey; Shri Tufani Saroj; Shri Kamal *alias* Commando Kishor; Dr. Raghuvansh Prasad Singh; Shri B.L. Punia; Shri Ramashankar Rajbhar; and Shri Vijay Bahadur Singh. There are about 17 Members who spoke on this Resolution.

Hon. Member Rajkumari Ratna Singh has given an opportunity to the Members to raise the issues facing Poorvanchal region. In the Resolution she wanted to highlight the socioeconomic backwardness of the Eastern Districts of the State of Uttar Pradesh, also known as Poorvanchal region, and she wanted the House to consider and take immediate steps to formulate and implement a special economic development package for the region on the lines of the package announced by the Government for the Bundelkhand region. This is the Resolution which the hon. Member brought.

When the hon. Members spoke, they have been very particularly mentioning about the backwardness of the region; in the education index, it is backward; health indicators are also not up to the national average; and also the power sector where they need improvement; the road facilities have to be improved; industrial development has to come and it is a thickly populated area where the hon. Member Shri P.L. Punia has highlighted several important areas where they need development. One is about backward area; secondly, he mentioned that the land is fertile; water is available but still we are not able to concentrate more on agricultural production. That point the hon. Member has mentioned.

He has also mentioned about the funds that have been given by the Government – both by the State Government and also by the Central Government – for developing the region but the funds are not sufficient. Therefore, the Government of India has to consider and then, a special package has to be given as it is given to Bundelkhand region. The planning process is being done and after due deliberations, the policy that has been evolved by the National Development Council and thereafter, the Planning Commission calling the officials of the State Government and also the Chief Ministers of various States when the budget is proposed and then submitted for consideration. The Chief Ministers are present in the meeting and thereafter, the budget proposals are cleared, according to the guidelines that have been framed for the whole country. The backward region has been given due care by the Planning Commission at the time of formulating the Budget.

Apart from that, there is a very clear cut policy that apart from the Budget money, the Government of India is giving funds under the Centrally sponsored scheme, that is, additional fund given by the Government of India because there are certain regions where we need more focus. Therefore, the Government of India gives money for those schemes.

As far as Uttar Pradesh is concerned, especially the eastern region where the hon. Member wanted that a special economic package has to be given by the Government of India, the Poorvanchal has got 27 districts which the hon. Members have mentioned and I do not want to go district by district because of paucity of time. But the hon. Members know pretty well and you know that because you have seen the deliberations that has been going on, and the kind of discussions that have been going on, one blaming the other and the other blaming the Members of the Party which is ruling the State. There are some issues which I would like to highlight very clearly. The primary responsibility lies with the State Government for developing the State. The State Government is the authority which prepares the plan, schemes, and projects and send them to the Government

of India, either for the Budget or for the Centrally sponsored schemes. It is the duty of the Central Government to supplement the State Government for the purpose of overall development of the State. Therefore, the primary focus lies with the State Government.

I would like to mention only a few figures as to how the Uttar Pradesh Government has been supported by the Government of India. I would not go into the previous periods. Let me start from 2007-08. During the Annual Plan 2007-08, the amount that was given for the Budget was Rs.25,000 crore. In 2008-09, it was Rs.35,000 crore; and in 2009-10, it was Rs.39,000 crore. The total is about 11.42 per cent higher than the Plan outlay of 2008-09. During the 11th Plan, the Government of India has allocated Rs.1,81,094 crore for Uttar Pradesh as against the money allocated during the 10th Plan by the NDA Government.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): यह हमारा हिस्सा है, आपने कुछ नहीं दिया।... (व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी : जब आप बोल रहे थे तब मैंने इंटरफियर नहीं किया।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : If you want to say something, you can speak afterwards. I will permit you. Let the Minister speak. Do not interrupt the Minister now. Let him conclude.

SHRI V. NARAYANASAMY: In the 11th Plan, the UPA Government has given Rs.1,81,094 crore for the over all development of Uttar Pradesh. It is a plan budget. Then in the Tenth Plan, compared to NDA regime, the Government of India gave Rs.59,708 crore which is 50 per cent more. It is not left with that. I would like to mention here that under the Centrally-sponsored scheme Rs.1,20,264 crore were given. It was only one-third at Rs.35,967 crore in the Tenth Plan under the Centrally-sponsored scheme.

I would like to say under the Centrally-sponsored scheme-wise what is the money provided to Uttar Pradesh because that would highlight how Uttar Pradesh has been taken care of by the Central Government schemes.

श्री दारा सिंह चौहान : आप कहानी बता रहे हैं। आप क्या देने वाले हैं, वह बताइए।... (व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी : आप मेरी बात समाप्त होने के बाद बोलिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let the Minister reply.

SHRI V. NARAYANASAMY: Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, the total amount allocated for one year, namely, 2009-10 was Rs.39,000 crore, out of which Uttar Pradesh alone was given Rs.7384 crore... (Interruptions) I am talking from the records. Kindly hear me.

MR. CHAIRMAN: Please listen. You are a leader and if you go on interrupting like this, he will not be able to complete his speech. Let him speak.

SHRI V. NARAYANASAMY: Are you disputing these figures?

MR. CHAIRMAN: Except the Minister's speech, nothing would go on record.

(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN: He is mentioning the programmes. Please listen to him. He has not finished his speech.

SHRI V. NARAYANASAMY: Kindly hear me. When you were speaking, I did not interrupt you... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have not called you people to speak. I have asked the Minister to speak. Nothing would go on record except the speech of the Minister. You should have patience. You can raise the points afterwards.

(Interruptions) ... *

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I am telling about the Centrally-sponsored schemes one-by-one. They can speak after my speech.

Under the National Rural Health Mission, Rs.2906 crore were given in 2009-10. Under Indira Awas Yojana, Rs.1056 crore were given. Under the Accelerated Irrigation Benefit Programme, Rs.1752 crore were given. Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Rs.5500 crore were given. Under Rajiv Gandhi Gramin Vidyuti Karan Yojana, the amount is Rs. 1000 crore. For Integrated Child Development Programme, it is Rs. 844 crore. Under Sarva

* Not recorded.



Siksha Abhyan, the amount is Rs. 3812 crore. Under Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission, it is Rs. 1715 crore. The total figure in 2009-10 is Rs. 30,000 crore which is given to Uttar Pradesh under the Centrally Sponsored Scheme. ...

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair, Mr. Minister. What hon. Members are saying will not go on record. Only the hon. Minister's speech will go on record.

*(Interruptions) ... **

श्री वी.नारायणसामी : मेहरबानी करके आप सुनिये। ...*(व्यवधान)* आप लोगों ने भाषण दिया, तो मैंने शांति से आपको सुना। ...*(व्यवधान)*

MR. CHAIRMAN: Be silent and listen to his reply.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If every hon. Member interrupts like this, then how can I run the House? So, please cooperate with the Chair. Mr. Minister, address the Chair and no interruptions are allowed.

... (Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY: In the XI Plan, the target was about 6.1 per cent growth. But Uttar Pradesh could not reach 5.2 per cent. Agricultural growth has grown from 3.6 per cent to 4 per cent in the previous period. But as far as the tertiary sector, that is, the service sector, it was below national average. It was only 7 per cent but the all India average is between 10 and 10.5 per cent. As far as industrial production in the State is concerned, I would like to mention that it was a revenue surplus State earlier. I mean before 2006 when the surplus was Rs.4900 crore and it declined to Rs.1573 crore in 2009-10. It was a revenue surplus State and the figure got reduced to Rs. 1573 crore. Sir, the hon. Members have been raising a particular point as to why the Government of India is not supporting them. The kind of argument that has been coming is that..... *(Interruptions)*

* Not recorded.

SHRI V. NARAYANASAMY: Poorvanchal has plenty of water. Even when there was drought in other parts of the country, there was flood in this area. The land there is very fertile. There should be a focus by the State Government for increasing agricultural production there. ... (*Interruptions*)

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति महोदय, मंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता रहे हैं जबकि यहां पूर्वांचल की बात हो रही है। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: He is going to explain the situation in Poorvanchal.

... (*Interruptions*)

श्री वी.नारायणसामी : केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को पैसा देगी, पूर्वांचल को अलग से पैसा नहीं देगी। ... (व्यवधान) केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को पैसा देगी, पूर्वांचल को अलग से पैसा नहीं देगी, क्योंकि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं है। वह उत्तर प्रदेश में ही है। ... (व्यवधान) क्या आपको यह नहीं मालूम? ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Only the Minister's statement will go on record and nothing else will go on record.

(*Interruptions*) ... *

MR. CHAIRMAN: After the reply of the Minister, you may raise your points and I will allow you to raise them. Do not interrupt like this.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: After the Minister's reply, you can raise these points.

... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: I appreciate what they have been doing. In the agriculture sector, the State Government is giving 100 per cent subsidy for sprinkler irrigation. They are giving 100 per cent subsidy for sprinkler irrigation for both Bundelkhand and Poorvanchal regions. I am telling that also.

As far as the power situation is concerned, the State Electricity Board has been divided into three parts. One is for thermal, another is for hydro and the third one is for transmission. But there is only one Chairman. Therefore, we told them

* Not recorded.

that there should be concentration on that. What is the power generation there? The generation capacity is 5,050 mega watt. The State's deficit in peak time is 21 per cent. There is 21 per cent deficit in the State. Now, two power generation units are being promoted. One is for 500 mega watt and another is for about 1,000 mega watt. That plan is under consideration. The State is purchasing power at the rate of Rs. 4.20 per unit. They are purchasing 64 per cent of power from public sector and private sector agencies. When the State Government purchases 64 per cent of power, definitely it is going to be a burden on them.

As far as the rural development is concerned, what kind of employment are they giving to women? It is only eighteen per cent. Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, only 18 per cent of women are getting employment there, when compared to the national average of 48 per cent. I am giving only the figures. I do not want to go into the details. If I go into the details, then you will be in trouble. ... (*Interruptions*)

In education, the national average is 57 per cent, but in Uttar Pradesh it is only 45 per cent. As far as the health indicators, I do not want to quote the figures.

They were talking about development of Bundelkhand. This region is a dry one. Continuously for three or four years there is no rain and there is no water supply. People are migrating from there to other areas. Therefore, the hon. Prime Minister, hon. UPA Chairperson and on the initiative of hon. Member of Parliament, Shri Rahul Gandhi, a package was given for Bundelkhand region by the Government of India. Now, the Bundelkhand region requires special attention by the Government of India. I went to Bundelkhand region. I went to part of Madhya Pradesh. I was there. ... (*Interruptions*)

I am coming to Poorvanchal. I went to that area. I found that water supply is not there. Roads are not properly maintained. Even for the purpose of getting their day-to-day work done, they are suffering. Therefore, the special package given to Bundelkhand is justified. Therefore, the Government of India, the hon. Prime Minister, hon. UPA Chairperson and Shri Rahul Gandhi took a decision to help the poor people of both the backward regions of Bundelkhand.

MR. CHAIRMAN: What he says is regarding what has been given to Bundelkhand. He is explaining that. Then, he will come to Poorvanchal and other issues. You must listen to that. When the Resolution mentioned about Bundelkhand, therefore, he is saying about Bundelkhand also. Afterwards, he will explain it. You must listen to him.

... (*Interruptions*)



SHRI V. NARAYANASAMY: What are the major problems which are there?...
(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not argue. You are provoking.

... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: I entirely agree with the hon. Members....
(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: When the hon. Minister is speaking, why are you interrupting? When your Minister is speaking, do not argue.

... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: It is because industrial development is not there in Poorvanchal area. They want the Poorvanchal issues to be addressed. That is because of poor investment climate. Why? There is plenty of opportunity for developing agro-based industries in Poorvanchal region. The initiative has to be taken by the State Government and the Central Government will help them. But the initiative has to come from the State Government. They are blaming the Central Government.... (*Interruptions*)

What has the Central Government to do? The Central Government has to give the money for various schemes. It is for the State Government to implement the schemes.... (*Interruptions*)

Now, I come to infrastructure bottlenecks. As I have first said, it is because of the poor investment climate. The infrastructure bottlenecks are there. Thirdly, Uttar Pradesh is a landlocked State. The governance-related issues and policy related issues are there. There are so many factors. My concern is that unless and until the climate is created for industrial development, no industry will come there. For that, a lot of concessions have to be given to the industries which are coming there by the State Government.

As far as Poorvanchal is concerned, a claim has been made. It is educationally backward. Health indicators are not properly there. Apart from that, when compared to Bundelkhand, Poorvanchal has fertile lands. Irrigation facilities are available there. Why do you not increase productivity? The State Government has to take the initiative. I said that they are doing one scheme, the sprinkler irrigation scheme. I support it. The State Government is supporting it. Everybody was telling about roads. Money given by the Government of India under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is Rs.5,500 crore. No other State has got the highest allocation which Uttar Pradesh has got.... (*Interruptions*) Uttar Pradesh deserves it. It requires proper implementation by the State Government.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, please address the Chair.

SHRI V. NARAYANASAMY: If a little focus is given by the State Government to Uttar Pradesh, the Poorvanchal Region will not only satisfy the entire population of Uttar Pradesh in terms of production of food grains but also it can give food grains to the Central kitty. The State Government has to take a lot of steps for increasing agricultural production and productivity, fisheries, etc.... (*Interruptions*)

In the Bundelkhand region, other items like dairy farming, live-stock rearing, goattery, poultry, fishery are there. A lot of opportunities are there. The State Government has to focus on them so that a lot of people will get the benefits. There will be employment generation and revenue earning will also be there....

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No commentary is allowed. Please listen to him. Let him finish. Afterwards, you can speak. I will give an opportunity to you. If at all you want to raise certain issues, I will give you the opportunity. You raise the issue and the Minister will also answer. I am not denying the opportunity to you. Let him finish it.

... *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Poorvanchal region being a thickly-populated area, there is large manpower potential. That larger manpower potential can be utilized for progress, for development and for the purpose of increasing productivity there. But, unfortunately, the focus has to be given on agriculture and industrial development in Poorvanchal, on the tertiary sector also. The initiative has to be there by the State Government.

The Central Government cannot direct the State Government everyday. It is the responsibility of the State Government to utilise the funds given by the Government of India under various schemes and implement the schemes in right earnest. ... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what the hon. Minister says.


*(Interruptions) ...**

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, as far as Eastern Uttar Pradesh is concerned, the hon. Members have mentioned that flood control is one area where focus should be there because the flood situation gets alarming during the monsoon season. The State Government should draw up a plan and it should take all possible steps for controlling the flood situation there.

* Not recorded.

As far as urban development is concerned, the hon. Members were mentioning about Varanasi. The Government of India is cleaning River Ganga now. They were saying that Ganga water is polluted. For cleaning of River Ganga, when Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister, he gave a package and thereafter the Government of India is concentrating more on cleaning River Ganga. It is not only the responsibility of the Government of India, but it is the responsibility of the State Government also to see that Ganga water is not polluted so that it can be used for drinking water, it can be used for irrigation and also for transport, if possible.

The State Government's focus should be on development of agro industries, industrial development, development of education, employment generation and development of health infrastructure. These are the areas where the State Government has to pay its attention. ... (*Interruptions*)

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): मंत्री जी ने पूर्वांचल के लिए कुछ नहीं कहा है, इसलिए मैं सदन का वॉक आउट करता हूँ।

17.58 hrs.

(Shri Tufani Saroj then left the House)

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, you continue.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I will conclude within a minute.

Sir, Poorvanchal is the land of Buddha. It has got very important tourist destinations like Allahabad, Ayodhya and Varanasi. All these religious places are there in the Poorvanchal region. So, roads have to be developed there. If the State Government sends the proposal which is acceptable to the Government of India, we will extend support to them.

Therefore, as the Government of India is giving more and more attention for the development of Uttar Pradesh by providing more funds, I would request the hon. Member to withdraw her Resolution.

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमने मंत्री जी का हमारी मांग के बारे में उत्तर सुना। हमें अब पता लगा है कि हमारी केंद्र की सरकार कितना ज्यादा धन उत्तर प्रदेश को देती है और उत्तर प्रदेश हमारे पूर्वांचल को वह धन नहीं देता है। हमारी राज्य सरकार पूर्वांचल का हक नहीं देती है। हमारी राज्य सरकार को पूरे उत्तर प्रदेश को एक ही प्रकार से देखना चाहिए और हर जिले को उसका हक मिलना चाहिए। आज पूर्वांचल इसलिए पिछड़ा है, क्योंकि बहुत सालों से यहां से कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है।

18.00 hrs.

पूर्वांचल में कोई जानता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है। सब मुख्यमंत्री वेस्टर्न यूपी के ही रहे हैं। मैं आपके माध्यम से रिजॉल्यूशन विदड़ों करती हूं और एक ही शर्त पर विदड़ों करती हूं कि अगली 12वें वित्त में पूर्वांचल की तरफ जब तक दिल्ली से ध्यान नहीं दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं आएगी तब तक पूर्वांचल को उसका हक नहीं मिलेगा।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): जब बुंदेलखंड को विशेष पैकेज दिया तो पूर्वांचल को विशेष पैकेज देने में क्या प्रॉब्लम है? ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Rajkumari Ratna Singh be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

* Not recorded.

18.02 hrs.**(ii) IDENTIFICATION OF FAMILIES LIVING BELOW POVERTY LINE AND WELFARE MEASURES FOR THEM**

MR. CHAIRMAN: Now we will take up item no. 19. Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

“ कि यह सभा गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह देश से वर्ष 2015 तक गरीबी के उन्मूलन के लिए समयवद्ध ढंग से निम्नलिखित कदम उठाए :-

- (एक) सभी राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना ;
- (दो) ऐसे प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को व्यावसायिक प्रशिक्षण और तत्पश्चात् लाभदायक रोजगार देना ;
- (तीन) ऐसे प्रत्येक परिवार जिन्हें लाभदायक रोजगार नहीं दिया गया है, को तीन हजार रूपए प्रतिमाह से अन्यून दर पर कुटुंब पेंशन देना; और
- (चार) ऐसे परिवारों के सभी बच्चों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नि शुल्क गुणवत्ताप्रद शिक्षा देना।”

MR. CHAIRMAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, you can speak next time. The House stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

18.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 22, 2010/Vaisakha 2, 1932 (Saka).

